खण्ड-143, अंक-5
शुक्रवार, 23 आश्विन, शक संवत् 1876
(15 अक्टूबर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 143 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १५ अक्तूबर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेवनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदीब अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मदतक़ी हादी , श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रधीन सिंह यादव, श्री
रामग्रनन्त पांडेय, श्री
रामग्रवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद,श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री,
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप,श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन,श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राव, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राय, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

भुवाली सेनीटोरियम में लोबोक्टोमी आपरेशन

**१—श्री शिवस्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुवाली सेनीटोरियम में लोबोक्टोमी आपरेशन होना भी शुरू हो गया है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां।

** २—श्री शिवस्वरूप सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां पर इस आपरेशन संबंधी सारे सामान की व्यवस्था पूरी कर दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। केवल प्रोन पोजीशन चेस्ट टेबिल अभी नहीं आई है, वह शीघ्र ही आ जायगी। उसके न होने से काम में कोई रुकावट नहीं है।

श्री शिवस्वरूप सिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो लोबक्टोमी आपरेशन भुवाली में हो रहा है, यह क्या अभी तक प्रदेश में कहीं नहीं होता था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, अभी तक तो थोरेसिक सर्जरी का काम प्रदेश में जारी नहीं हुआ है लेकिन कई ऐसे सर्जन प्रदेश में हैं जिनको इस प्रकार की सर्जरी का ज्ञान है, वह अपने यहां करते हैं लेकिन सरकारी अस्पतालों में यह कार्य अभी जारी नहीं हुआ है।

श्री शिवस्वरूप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने बड़े आपरेशन जो भुवाली में होंगे क्या उनके लिये स्ट्रेलाइजर का समुचित प्रबन्ध है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अलावा उस चेस्ट टेबिल के जिसका जिक्र उत्तर में किया गया है और जिसकी कि व्यवस्था कर दी गयी है। बाकी सब चीजें प्रदेशीय सरकार ने अपने स्टोर से भुवाली सेनिटोरियम भिजवा दी हैं।

श्री शिवस्वरूप सिंह--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो चेस्ट टेबिल भेजने का प्रबन्ध है वह वहां पर कहां से और कब तक पहुंच जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--डाइरेक्टर महोदय ने किसी अमरीकन फर्म को उसका आर्डर दिया है जैसे ही वह आ जायगी वहां भेज दी जायगी।

उत्तर प्रदेश से गेहूं के निर्यात का आदेश और निर्यात करने वाली एजेंसी

**३--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश की खास-खास गेहूं की मन्डियों से काफी तादाद में गेहूं बम्बई को भेजा जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

**४--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार ने यह गेहूं भेजने की अनुमति दी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केन्द्रीय सरकार ने एसेन्शियल सप्लाईज (टेम्पोरेरी) पावर्स ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत आदेश जारी करके गेहूं के अन्तः प्रान्तीय निर्यात पर अधिकार प्राप्त किया है और इसी के अनुसार गेहूं का निर्यात हो रहा है । प्रान्तीय सरकार से इस विषय पर न तो कोई परामर्श किया न अनुमति ली।

**५--श्री रामचन्द्र विकल--यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर रक्खी है कि रबी के बीज के लिये तथा अगले ६ महीने की आवश्यकता के लिये प्रदेश में काफी गेहूं प्राप्य रहे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मात्रा में हमें गेहूं देंगे ?

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार कहां से और किसके द्वारा गेहूं बाहर भेज रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--केन्द्रीय सरकार ने केवल एक फर्म को जो वेलेस कम्पनी के नाम से प्रख्यात है, इजाजत दी है और वही अपने एजेंटों द्वारा पच्छिमी जिलों की मंडियों से गल्ला प्राप्त करके बम्बई भेज रही है। अभी उसको दस हजार टन गल्ला ले जाने की इजाजत दी है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार ने ऐसा भी कोई उपाय सोचा है कि जिससे गल्ले का भाव अधिक न बढ़े ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाय तो और कोई सरकार ने नहीं सोचा है, लेकिन केन्द्रीय सरकार से कहा है कि इस प्रकार यदि गल्ला मंडियों से बाहर जायगा तो अवश्य गल्ले के दाम बढ़ जायंगे और भाव कुछ न कुछ बढ़े भी हैं। लेकिन जैसा कि केंद्रीय सरकार ने कहा कि यदि दाम ज्यादा बढ़ेंगे तो वह इम्पोर्टेड गेहूं प्रदेशीय सरकार को दे देंगे और उसे मंडियों में भेज देंगे, इससे दाम अधिक समय तक न बढ़ सकेंगे और उस गल्ले के आने के बाद क़ीमत फिर गिर जायगी।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म द्वारा कितना गेहूं निर्यात किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने अभी बताया कि इस फर्म को १०,००० टन गेहूं बम्बई प्रदेश को ले जाने की इजाजत दी गई है।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जो फर्म है उसमें प्रान्त के रहने वालों में से भी कोई है या सब बाहर के हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---नहीं, यह फर्म तो इस प्रदेश की नहीं है। प्रदेश के व्यवसाइयों में इस बात का रोष है कि बम्बई के किसी फर्म को इस प्रकार की आज्ञा दी गयी है और इस प्रदेश के किसी व्यवसायी को नहीं दी गई।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस फर्म के अलावा दूसरे प्रदेश के फर्म को भी गल्ला ले जाने की वह इजाजत देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेशीय सरकार की नीति इस सम्बन्ध में अब तक यह रही है कि प्रदेश की खाद्य-समस्या को सुलझाने में यह हितकर नहीं है कि जो गल्ला केन्द्रीय सरकार ने अब तक भेजने के लिये कहा है उससे अधिक गल्ला यहां से बाहर जाय।

राजा वीरेन्द्र शाह---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि १० हजार टन गेहूं जो बाहर जायगा उसके लिये केन्द्रीय सरकार से कहा जाय कि यहां से जाने से अन्न में काफी कमी हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या अन्न मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिले की किन-किन मंडियों से अब तक अन्न बाहर भेजा जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो सरकार के पास इत्तिला है उससे पता चलता है कि सहारनपुर जिले से, मुजफ्फरनगर जिले से और हापुड़ की मंडी से गल्ला अभी बम्बई भेजा जा चुका है।

तारांकित प्रश्न

मधुबन थाना, जिला आजमगढ़ के ग्राम दित्तूपुर में डकैती की घटना

*१---श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---प्रथम सत्र के १४-५-५४ के प्रश्न संख्या ८९ के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन थाना, जिला आजमगढ़ के ग्राम दित्तूपुर में ७, ८ जनवरी, १९५४ की रात को कोई डकैती पड़ी थी पर पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में ३०७ दफा में रिपोर्ट लिखी गयी है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---थाने पर जिस घटना की रिपोर्ट की गई वह दफा ३०७ आई० पी० सी० की थी। अतः उसी दफा में मामला दर्ज किया गया जो इस समय अदालत में विचाराधीन है।

*२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना हाकिम, घोसी ने इस घटना की जांच की थी ? यदि हां, तो घटना के सम्बन्ध में उनकी क्या रिपोर्ट है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, चूंकि मामला अदालत में चल रहा है, इसलिये परगना हाकिम की रिपोर्ट जाहिर करना, उचित नहीं होगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष---क्या आप कोई वैधानिक आपत्ति उठाना चाहते हैं ?

श्री व्रजविहारी मिश्र---जी हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इस समय है उसमें जो विषय है उसके सम्बन्ध में अदालत में मुकदमा चल रहा है और यह प्रश्न अदालत में विचाराधीन है। तो क्या ऐसा प्रश्न विधान सभा में उपस्थित किया जा सकता है, यह मैं व्यवस्था आप से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अगर मुझे मालूम हो गया होता कि सब-जुडिसी है तो यह प्रश्न कार्यवाही पर नहीं आ सकता था लेकिन पहले से तो मुझे पता नहीं चल सका इसलिये मैंने उसे स्वीकार करके सरकार के पास भेज दिया था लेकिन आप माननीय मंत्री जी के उत्तर में सुनेंगे जिसमें कहा गया है कि यह विषय सब-जुडिसी है इसलिये जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि रिपोर्टकर्ता ने १०-१-५४ को माननीय गृहमंत्री तथा जिलाधीश के पास इस आशय की दरख्वास्त दी है कि पुलिस इंचार्ज ने हमारे खिलाफ जो यह रिपोर्ट लिखी है वह गलत है और फिर से उसकी इन्क्वायरी की जाय ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यह सब-जुडिसी है। इसके विषय में डिटेल्स में नहीं जाया जा सकता। इसमें अदालत जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ प्रश्नकर्त्ता महोदय ने गृह मंत्री के पास कोई आवेदन-पत्र भेजा था ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय गृहमंत्री जी बतायेंगे हाकिम परगना, घोसी ने घटनास्थल पर जांच की या थाने पर ?

श्री अध्यक्ष---यह भी उसी से सम्बन्धित है। वह तो सब अदालत के सामने आयेगा।

जिला किसान सभा, उन्नाव के प्रतिनिधि मंडल द्वारा गृह मंत्री को स्मृतिपत्र

*३-श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला किसान सभा, उन्नाव की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था और एक स्मृति-पत्र उन्हें दिया गया था उसकी बाबत क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त प्रतिनिधि मंडल ने मुझको गत फरवरी १८ को जो स्मृति-पत्र दिया था उसमें जो आरोप लगाये गये थे उसकी जांच कराने पर यह पता लगा कि जमानतें जजी अदालत द्वारा रद्द की जा चुकी थीं तथा १०७-११७ के मुकदमें से संबंधित केवल एक ही व्यक्ति के पास बंदूक पाई गयी थी जिसका लाइसेंस जिलाधीश ने अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया था ऐसी हालत में सरकार द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्मृति-पत्र में जो आरोप लगाये गये थे वह क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, एक तो आरोप यह लगाया गया था कि कुछ लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया और दूसरा यह था एक आदमी की बंदूक जब्त नहीं की गयी और तीसरा आरोप यह था कि चौकीदार को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक ऐसा चौकीदार रखा गया जो कि जमींदारों के प्रभाव में है।

श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस जांच का जिक्र इस उत्तर में दिया गया वह किस अधिकारी के जरिये करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की रिपोर्ट है इस सम्बन्ध में ।

श्री झारखंडे राय—क्या गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह आरोप किस मामले के विषय में लगाये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक आदमी जिसका नाम सियाराम था उस पर उन्नाव-लखनऊ रोड पर हमला किया गया और बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गयी उसकी ।

गन्ना बन्दी आन्दोलन में गिरफ्तार हुये व्यक्तियों की संख्या

*४–श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक कुल कितने व्यक्ति गन्ना बंदी आंदोलन में गिरफ्तार हो चुके हैं? (कितने किन-किन जिलों) तथा वे किस श्रेणी में जेल में रखे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत जनवरी-फरवरी में गन्ना बंदी आंदोलन के सम्बन्ध में कुल २७२ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

बरेली	..	११
मुरादाबाद	..	१४
शाहजहांपुर	..	६७
रामपुर	..	३१
देवरिया	..	१८
नैनीताल	..	१०४
गोंडा	..	८
बाराबंकी		१९

योग २७२

गिरफ्तार व्यक्तियों में इस समय कोई भी जेल में नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति इस गन्ना आंदोलन में गिरफ्तार हुये थे उनमें से कितनों पर अभी मुकद्दमें चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं था । इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । चूंकि बहुत दिनों की बात हो गयी सम्भवतः किसी के पास न होगी, मैं ठीक नहीं कह सकता ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन लोगों पर मुकद्दमा चलाया गया वह किस दफा के अनुसार चलाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कई महीने पहले की बात है । प्रश्न पूंछा नहीं गया, इसलिये इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह बन्दी जो छोड़े जा चुके हैं जिस समय जेल में थे उस समय इनके साथ किस श्रेणी का बर्ताव किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न वर्तमान काल के सम्बन्ध में था अगर जानना हो तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

कैदियों को अखबार दिये जाने का प्रविधान

*५---श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की जेलों में किन किन अखबारों को कैदियों (राजनीतिक तथा साधारण) को देने की आज्ञा सरकार की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कैदियों को अखबारों के दिये जाने का प्रविधान जेल मैनुअल के नियम संख्या ३०३ और ७३९-ए में है। राजनीतिक कैदियों का कोई अलग वर्ग नहीं है।

श्री झारखंडे राय---क्या गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जेल में कोई लिस्ट होती है जिसके मुताबिक अखबार दिये जाते हैं और जिसमें परिवर्तन अक्सर हुआ करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि जिन सेक्शन का हवाला दिया गया है उनको ध्यान से देख लें उसमें सब दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जिन समाचारपत्रों को कैदी स्वयं मंगाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके सम्बन्ध में भी कोई नियम जेल मैनुएल में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खास-खास हालतों में मंगा सकते हैं अगर जेल अधिकारी समझें कि जो लिस्ट है उसके अन्तर्गत वह हैं।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कैदियों को अखबारों के अलावा और कौन-कौन सी सुविधायें जेल में दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी अखबारों की वह लिस्ट जो है, जेल मैनुअल में उसे पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपके पढ़ने की चीज है आप पढ़ सकते हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस लिस्ट का जिक्र उन्होंने किया है उसमें साप्ताहिक जनयुग और संघर्ष अखबार हैं या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास तो उन अखबारों की लिस्ट है जो कि जेल में नहीं जाते। उनके अलावा और सभी जाते हैं। इस वक्त जहां तक मेरे पास लिस्ट है उसके मुताबिक जनयुग और संघर्ष दोनों ही मना है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उस लिस्ट को पढ़ देने की कृपा करेंगे जो कि उन अखबारों की है जो जेल में नहीं जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह ७२ अखबारों की लिस्ट है अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आप अपने दफ्तर में उसे उन्हें दिखा दीजियेगा। मैं इतना समय देना उचित नहीं समझता।

जौनपुर जिले में पुलिस के सहयोग के हेतु जनता द्वारा कमेटी बनाने का विचार

*६---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में पुलिस के सहयोग के हेतु जनता की तरफ से कोई कमेटी बनायी गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

*७—श्री बाबूनन्दन—यदि हां, तो उसका कार्यक्रम क्या है और कितने व्यक्ति उस कमेटी में हैं ?

*८—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितना कार्य उस कमेटी द्वारा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता के हितार्थ और पुलिस के सहयोग के हेतु सरकार कोई कमेटी उस जिले में बनाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर के लिये कोई बात ऐसी खास है नहीं । यों विलेज डिफेंस सोसाइटियां प्रदेश के हर जिले में बनी हुई हैं और वह जनता और सरकार के सहयोग की चीज है ।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अपराध निरोधक कमेटियां बनायी गयी हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इससे उठता नहीं ।

नई कृषि शिक्षा के लिये प्रदेश के स्कूलों को प्राप्त भूमि

*९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक नयी कृषि शिक्षा के अनुसार प्रदेश के कितने स्कूलों को भूमि प्राप्त हो चुकी है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—२,३६४ विद्यालयों को भूमि प्राप्त हो चुकी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २,३६८ विद्यालयों को कुल कितनी भूमि प्राप्त हुयी है ?

डाक्टर सीताराम—२३,५६७ एकड़ भूमि ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन विद्यालयों में से कितने विद्यालय प्राइमरी हैं, कितने जूनियर हाई स्कूल हैं और कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं ?

डाक्टर सीताराम—जूनियर हाई स्कूल हैं २,०५५ और बकिया ३०९ उच्चतर स्कूल और और स्कूल हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—कितने विद्यालयों को अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हुयी है और क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—२८,०९९ में से उतना घटा लीजिये ।

श्री श्रीचन्द्र—जिन स्कूलों को जमीन नहीं मिली है उनको जमीन दिलाने का सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह चकबंदी में हो सकेगा और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट भी ऐसा संशोधन किया गया है कि उन स्कूलों को जमीन मिल सके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इन स्कूलों को दी जाने वाली भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जिस प्रकार भूमि का उपयोग होता है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—जमीन के साथ क्या सरकार ने बैलों का प्रबंध किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—हो रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उस भूमि को अध्यापक व विद्यार्थी जोतेंगे या कमेटी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अध्यापक और विद्यार्थी उसमें खेती करेंगे ?

श्री बलवन्तसिंह—इस योजना के बारे में सदस्यों को अधिक ज्ञान होने के लिये क्या सरकार किसी दिन इस सदन में इस योजना पर अपनी पूरी बात रखेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अखबारों में काफी विस्तृत हाल दिया गया है और सरकार सदन का समय लेना ठीक नहीं समझती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि बहुत सी प्राप्त जमीन पर झगड़े खड़े हो गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यदि आप ऐसा प्रयत्न करेंगे तो सम्भव है झगड़े हों लेकिन अभी तक नहीं हुये हैं ?

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—[हटा दिया गया।]

राजनीतिक पीड़ित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*११—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितने राजनीतिक पीड़ित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५२-५३ में ३२४ और १९५३-५४ में २९७ राजनैतिक पीड़ित विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां दी गयी हैं ।

श्री जोरावर वर्मा —क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन छात्रवृत्तियों के देने में क्या नियम और प्रोसीजर एडाप्ट किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उसके नियम हैं और वह बहुत लम्बे हैं, उनको पढ़ कर सुनाया नहीं जा सकता है। यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने राजनीतिक-पीड़ितों ने छात्रवृत्ति के लिये दरख्वास्त दी थी और कितनी नामंजूर हुयीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जितनी दरख्वास्तें इस सम्बन्ध में आयीं वह तो गिनी नहीं गयीं इसलिये कि वह बहुत ज्यादा हैं। जितनी मंजूर हुयीं वह आपके सामने हैं बकिया नामंजूर हुयी ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस कक्षा से किस कक्षा तक यह छात्रवृत्ति दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम---थर्ड क्लास से लेकर एम० ए० तक।

जिला हमीरपुर में डाके, कत्ल और चोरियां

*१२-श्री जोरावर वर्मा---क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में सन् १९५२ और १९५३ में कितने डाके, कत्ल और चोरियां हुयीं और कितने केसों में अपराधियों को दंड मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी हुयी सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७९ पर।)

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या मंत्री जी इस लिस्ट को सुनाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५२ ई० में डकैती १३ सजा हुयी ४, कत्ल २७ सजाहुयी ८ और चोरी १२७ सजा हुयी ३५। इसी प्रकार १९५३ में डकैती ९ सजा हुयी १, कत्ल २३ सजा हुयी ५ और चोरी १३७ सजा हुई २८।

गवर्नमेंट नार्मल ट्रेनिंग स्कूल, चरखारी (हमीरपुर) के हटाने का प्रश्न

*१३---श्री जोरावर वर्मा---क्या यह सत्य है कि सरकार गवर्नमेंट नार्मल ट्रेनिंग स्कूल, चरखारी (जिला हमीरपुर) को वहां से हटा कर अगले वर्ष इलाहाबाद या किसी दूसरे स्थान पर ले जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न उनके सामने था ?

डाक्टर सीताराम---नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था।

राधेलाल कृषि महाविद्यालय, कछला, बदायूं का शिलान्यास

*१४---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि श्री राधेलाल कृषि महाविद्यालय, कछला, बदायूं का शिलान्यास सन् १९५२ ई० के अन्त में मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पन्न हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी नहीं, वरन् श्री राधेलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कछला की नींव मुख्य मंत्री जी ने सन् १९५२ ई० में डाली थी।

*१५---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि श्री राधेलाल कृषि महाविद्यालय नाम की कोई मान्य संस्था इस समय कछला, बदायूं में नहीं है और न वहां कृषि का अध्यापन ही होता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां।

*१६-श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कृषि अध्यापन के सम्बन्ध में श्री राधेलाल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कछला, बदायूं को १,००० बीघा भूमि वन विभाग द्वारा दी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, केवल ८१.५५ एकड़ भूमि वन विभाग ने इस स्कूल को पट्टे पर दी है ।

मुजफ्फरनगर में कैराना पुलिस भवन की दुर्दशा तथा उसका निर्माण

*१७—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर में कैराना पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग अपर्याप्त और खराब दशा में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*१८—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कैराना पुलिस भवन कब तक निर्माण कराने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस थाने की इमारत के लिये एक लाख सत्ताइस हजार रुपया मंजूर हुआ है। सन् १९५६–५७ के आर्थिक वर्ष के अन्त तक इसके पूरे हो जाने की आशा है।

म्युनिसिपैलिटीज एक्ट की धारा ७३ के अनुसार शिक्षा समिति को अधिकार

*१९—श्री छेदा लाल (जिला हरदोई)—क्या यह सत्य है कि उपसचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलाधीश महोदय, हरदोई के पत्र के उत्तर में जी० ओ० संख्या बी-५७८६/१ XV डी—११३७-१९५४, दिनांक १९ जून, १९५४ शिक्षा (बी) विभाग द्वारा म्युनिसिपलटीज ऐक्ट की पुरानी धारा ७३ को जो कि ऐक्ट संख्या ७ सन् १९५३ द्वारा संशोधित हो चुकी है पुनः लागू किया है ? यदि ऐसा है, तो किस आधार पर ?

डाक्टर सीताराम—पुरानी धारा ७३ पुनः लागू नहीं की गयी है बल्कि नयी धारा ७३ (२) के अधीन नियम तैयार हो जाने तक शिक्षा समिति को वही अधिकार दिये गये हैं जो उसको पुरानी धारा ७३ के अनुसार हासिल थे।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)—क्या सरकार का ध्यान इस जी० ओ० की ओर आकर्षित हुआ है, जिसका हवाला इस प्रश्न में दिया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो कोई सवाल नहीं हुआ क्योंकि जी० ओ० की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ तभी उसका उन्होंने हवाला दिया है ।

*२०—२२—श्री लालबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)–[आठवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

आजमगढ़ जिले में नवीन कृषि शिक्षा योजना

*२३—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में नवीन कृषि शिक्षा योजना कितने जूनियर हाई स्कूलों में चालू की गयी है ? क्या उन स्कूलों के पास इस कृषि योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक साधन उपलब्ध हो गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—६५ जूनियर हाई स्कूलों में।

जी हां ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि इन ६५ स्कूलों में कुल मिला कर कितने बैल हैं और कितने कृषि विशेषज्ञ हैं ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार को यह मालूम है कि आजमगढ़ जिले में बहुत से जूनियर हाई स्कूलों में बटाई पर खेती उठाने का प्रबन्ध हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन से साधन खेती के लिये उपलब्ध हो सके हैं ?

डाक्टर सीताराम--मेस्टन हल १, देशी हल १, फावड़ा नम्बर ५, १०, फावड़ा नं० ६, ५, कुदाल १०, हैन्ड हैरो ४०, खुरपी ४०, खुरपे १५, बेल्चे २, हंसिये २५, इसके अलावा २५ रुपये का धन प्रत्येक स्कूल के अध्यापक को खर्च के लिये दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बैल खरीदने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो मैं पहले ही कह चुका, आपने शायद सुना नहीं ।

शिक्षा विभाग के गजेटेड कर्मचारियों को एक्सटेंशन

*२४--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शिक्षा विभाग में कितने गजटेड कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनको पिछले ३ साल से लगातार extension मिल रिहा है ? क्या सरकार उनका नाम तथा पद बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--केवल एक । श्री बी०एन० झा, शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ।

*२५--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५३-५४ में शिक्षा विभाग में कितने (Gazetted) कर्मचारियों को extension मिला ?

डाक्टर सीताराम--आठ ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि आफिसर्स को एक्सटेंशन देने के लिये क्या नीति है जिसका प्रयोग किया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--उनकी योग्यता और आवश्यकता ।

श्री भगवान सहाय--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनकी योग्यता की जांच पी० एस० सी० द्वारा की जाती है या एक्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह तो पहले ही से अपने स्थान पर रहते ही हैं।

धोबी जाति को हरिजनों की सूची से अलग करने की सलाह

*२६--श्री शिवनारायण--क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार को कुछ लोगों ने धोबी जाति को हरिजनों की सूची से अलग करने के लिये सलाह दी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां । परन्तु उस पर कोई कार्यवाही सरकार द्वारा उचित नहीं समझी गयी ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कहां-कहां से और किन-किन लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं कि धोबी जाति हरिजन लिस्ट से निकाल दी जाय ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९४९ में रजक महासभा, देहली की ओर से आयी थी और दिसम्बर, १९५० में रजक महासभा, बुलन्दशहर की ओर से एक दरख्वास्त आयी थी।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी भी दरख्वास्तें आयी हैं कि धोबी जाति हरिजन जाति की लिस्ट से न निकाली जाय ?

डाक्टर सीताराम---हां, बहुत सी दरख्वास्तें आयी हैं।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)---ये दरख्वास्तें कहां-कहां से, किन-किन जिलों से और किस-किस संस्था के द्वारा आयी हैं कि धोबी जाति को हरिजन जाति से न निकाला जाया ?

डाक्टर सीताराम---धोबी महासभा बनारस, रजक महासभा देवरिया, रजक महासभा गोरखपुर और दिल्ली से और अन्य जगहों से भी दरख्वास्तें आयी हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जब धोबियों के प्रतिनिधियों ने निकालने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया तो उनको क्यों नहीं निकाला गया ?

डाक्टर सीताराम---उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने विरोध किया।

हाथरस, जिला अलीगढ़ के डिग्री कालिज को मान्यता

*२७---श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस (अलीगढ़) में बने हुये डिग्री कालिज को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---मान्यता विश्वविद्यालय देता है सरकार नहीं देती। इस कालेज को विश्वविद्यालय ने अभी मान्यता प्रदान नहीं की।

*२८---श्री हरदयालसिंह पिपल (अनुपस्थित)---यदि हां, तो किन-किन विषयों में डिग्री कालिज को सरकार द्वारा मान्यता दी जा चुकी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

*२९---३० श्री उमाशंकर---[उत्तर दिनांक १४ अक्तूबर, १९५४ को प्रश्न संख्या १९-२० के अन्तर्गत दिये गये।]

उत्तर प्रदेश में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के विद्यालय तथा उनके निरीक्षक

*३१---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में अरबी, फारसी तथा संस्कृत शिक्षा के क्रमशः कितने विद्यालय हैं और उनके लिये क्रमशः कितने निरीक्षक नियुक्त हैं ?

डाक्टर सीताराम---अरबी तथा फारसी के कुल मिला कर १८८ विद्यालय हैं जिनमें कोई विभाजन नहीं है। संस्कृत के कुल १०४९ विद्यालय हैं। एक निरीक्षक अरबी तथा फारसी विद्यालयों के लिये नियुक्त है। संस्कृत पाठशालाओं के लिये १ निरीक्षक तथा ३ सहायक निरीक्षक नियुक्त हैं।

*३२---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सच है कि अरबी, फारसी मदरसों के निरीक्षक अपने-अपने केन्द्रों में रहते हैं, जबकि संस्कृत पाठशालाओं के सब निरीक्षक बनारस में रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*३३—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षकों को विभिन्न केन्द्रों में रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षकों के कहां-कहां नये केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतलायेगी कि प्रत्येक निरीक्षक के मातहत कौन कौन से जिले होंगे ?

डाक्टर सीताराम—ईस्टर्न जोन, बनारस में बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ बस्ती, गोरखपुर, बलिया, गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, इलाहाबाद, देवरिया।

सेंट्रल जोन लखनऊ में लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन, इटावा, एटा, फतेहपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, हरदोई, फैजाबाद।

वेस्टर्न जोन मेरठ में, बरेली, आगरा, बदायूं, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, पीलीभीत, मथुरा, अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल, रामपुर।

थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर की पुलिस द्वारा वाल्मीकियों की पिटाई

*३४—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जहांगीराबाद, जिला बुलन्दशहर की पुलिस ने कुछ वाल्मीकियों को तिथि, २३, २४ जून १९५४ की रात को लाठियों तथा बेंतों से बेहोश होते समय तक पीटा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, पुलिस ने वाल्मीकियों को नहीं पीटा। वाल्मीकियों के दो दलों में आपस में मारपीट हुई जिसके फलस्वरूप कुछ को चोटें लगीं।

*३५—श्री धर्मसिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिटने वालों की जेल में डाक्टरी हुई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसकी कापी मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—झगड़े के संबंध में जेल में भेजे गये १३ आदमियों की डाक्टरी हुई। उनकी रिपोर्ट यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*३६—श्री धर्मसिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाल्मीकियों ने एस० पी० तथा जिलाधीश को अपनी चोटें दिखाईं। यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, उन लोगों ने एस० पी० को अपनी चोटें दिखलाईं और कहा कि पुलिस ने उनको पीटा है। मामले की जांच की गई, किन्तु आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

श्री धर्मसिंह—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिले में किस अधिकारी द्वारा वाल्मीकियों को न पीटने या पीटने की जांच करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सर्किल आफिसर, लोचन सिंह।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय गृह मत्री जी कृपा करके बताएंगे कि जो पुलिस द्वारा जांच की गयी है वह जांच ठीक प्रतीत न होते हुये किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का इरादा रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--'ठीक प्रतीत न होते हुये' यह तो मैंने कहा नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या बुलन्दशहर जिले के विधान सभा के कुछ सदस्यों ने घटनास्थल पर जांच कर के कोई रिपोर्ट इस घटना के संबंध में माननीय गृह मंत्री के पास भेजी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, रिपोर्ट तो मेरे पास इसकी जांच की नहीं आयी है।

*३७--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--[स्थगित किया गया।]

*३८-४०--श्री रामलखन (जिला बनारस)--[स्थगित किये गये।]

पचास एकड़ या इससे अधिक के फार्मों में मजदूरी की दर

*४१--श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)--२३-४-५४ के प्रश्न संख्या ७५-७६ के संबंध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक के अनुभव के पश्चात् वह १९४८ के न्यूनतम वेतन संबंधी अधिनियम का खेतिहर मजदूरों से संबंधित अंश और अधिक जिलों पर तथा ५० एकड़ से कम क्षेत्रफल पर भी लागू करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*४२--श्री शिववचन राव--क्या उपरोक्त अधिनियम देवरिया तथा गोरखपुर जिलों में भी लागू किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। पर इन जिलों में इस वर्ष के अन्त तक यह अधिनियम अंशतः लागू करने का विचार है ?

*४३--श्री शिववचन राव--क्या सरकार ने इस बात की जांच करायी है कि जहां-जहां उसने उपरोक्त अधिनियम लागू किया है वहां ५० एकड़ और उससे ऊपर के क्षेत्रपति अधिनियम के अनुसार ही मजदूरी दे रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक सरकार को ज्ञात है जिन जिलों में यह अधिनियम लागू है वहां ५० एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल के फार्मों में अधिनियम के अनुसार ही वेतन दिया जा रहा है।

श्री शिववचन राव--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अंशतः का मतलब क्या है ? क्या कुछ गांवों पर या कुछ हिस्से पर लागू होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जैसा कि शुरू में कहा गया था कुछ जिलों में पचास एकड़ के फार्मों पर इस साल लागू किया गया और बाकी फार्मों पर अगले साल लागू किया जायगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गेहूं और गल्ले का भाव जो बढ गया और मजदूरी किसानों को ज्यादा देनी पड़ती है खेतिहर मजदूरों को तो क्या सरकार ने जो नियम बनाया है खेतिहर मजदूरों के संबंध में वह लागू नहीं करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं ठीक मतलब समझा नहीं। ऐसा है कि जब मजदूरी तय की गयी थी उसके बाद गल्ले का भाव गिर गया है। ऐसी हालत में मजदूरी कुछ कम होनी चाहिये लेकिन इस वक्त हमारा कम करने का विचार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह न्यूनतम वेतन अधिनियम कितने फार्मों पर लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तेरह चौदह जिलों में शुरू में लागू था। अब इस साल जैसा कि मैंने बताया प्रदेश के हर जिले में लागू कर दिया जायगा, पचास एकड़ के फार्मों पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री उन फार्मों की संख्या बतायेंगे जिन पर न्यूनतम वेतन अधिनियम इस समय लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय तो हमारे पास संख्या नहीं है। शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट बता सके कि कितने पचास एकड़ के फार्म इन जिलों में हैं ?

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन फार्म्स पर यह लगाया गया है उनमें ठीक प्रकार से काम हो रहा है इसको जांच के लिये कौन सी मशीनरी बनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार के पास श्रम विभाग की मशीनरी है, वही इसकी जांच के लिये है और सबसे बड़ी मशीनरी यह है कि कोई शिकायत नहीं आई जिससे साबित होता है कि काम ठीक हो रहा है ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि गोरखपुर और देवरिया में यह अधिनियम क्यों नहीं लागू किया गया ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस सूबे में ५१ जिले हैं । इम्तिहान के लिये १४-१५ जिले चुनने थे । इसलिये और जिले छूटेंगे ही और इसका कोई जबाव नहीं दिया जा सकता कि फलां क्यों लिया गया और फलां क्यों नहीं लिया गया ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या गृह मंत्री को मालूम है कि इस सदन में घोषणा की गई थी कुछ समय पहले कि ५३ के आखीर तक यह कानून प्रदेश के तमाम जिलों में लागू हो जायगा । यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, ऐसा कहा गया था । उसके बाद फिर चूंकि गल्ले के भाव में गड़बड़ी हुई तो गवर्नमेंट आफ इंडिन्या ने इस कानून को लागू करने की तारीख बढ़ा दी । इसलिये मुनासिब समझा गया कि सब परिस्थितियों को देख कर लागू किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस अधिनियम के लागू किये जाने पर कितने केस अभी तक चलाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं पहले ही निवेदन कर चुका कि अभी हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आयी लिहाजा केस चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिनके पास ५० एकड़ के फार्म्स एक ही जगह पर हैं उन्हीं पर यह अधिनियम लागू है या जिन क्षेत्रपतियों के पास ५० एकड़ या उससे अधिक बिखरी जगहों पर जमीन है उन पर भी लागू होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पूरा ब्योरा याद नहीं है । लेकिन जहां ५० एकड़ के फार्म्स एक चक में हैं उन्हीं पर यह लागू किया गया है । जहां तक मुझे याद है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस अधिनियम के लागू करने के लिए कितने इन्सपेक्टर अथवा स्टाफ को सरकार ने रक्खा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये एक अलग असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं और उनके मातहत में ६-७ इंस्पेक्टर हैं ।

कन्सीलियेशन बोर्ड गोरखपुर द्वारा खलीलाबाद शुगर मिल्स यूनियन के श्रम कमिश्नर कानपुर के पास भेजे गये मुकदमें

*४४---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कन्सीलियेशन बोर्ड गोरखपुर से कितने मुकद्दमें खलीलाबाद शुगर मिल्स मजदूर यूनियन के जनवरी सन् १९५४ से अगस्त सन् १९५४ तक श्रम कमिश्नर कानपुर के पास भेजे गये हैं और उनमें से कितने मुकद्दमों को श्रम कमिश्नर ने एडजुडिकेशन के लिये लौटाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री आनन्द शुगर मिल्स लि० खलीलाबाद, जिला बस्ती तथा खलीलाबाद शुगर मिल मजदूर यूनियन के बीच जनवरी, सन् १९५४ से अगस्त सन् १९५४ तक केवल चार औद्योगिक विवाद कन्सीलियेशन बोर्ड, गोरखपुर ने श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के पास भेजे हैं जिनमें से दो विवाद पंच निर्णय में भेजने के अयोग्य घोषित कर दिये गये और अन्य दो विवादों से संबंन्धित वृति लेख अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये जो दो विवाद अयोग्य साबित किये गये हैं वे किन अधिकारियों द्वारा किये गये और उसकी सूचना मजदूर यूनियन को भी दी गई है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसके लिये अधिकारी जैसा कि इस सदन को मालूम है नियमों के अनुसार सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होता है और उन्होंने इस वक्त यह अधिकार लेबर कमिश्नर को दे दिया है और इन बातों को लेबर कमिश्नर ने ही अयोग्य साबित किया है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अधिक दिनों तक फैसला न होने के कारण मजदूरों में बड़ा ही असंतोष है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हां, बहुत दिनों तक फैसला न हो तो जरूर असंतोष होता है इस खास केस में असंतोष कहां तक है यह मैं नहीं जानता।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार को यह पता है कि बावजूद इसके कि यह इंस्ट्रक्शन लेबर आफिस को दे दिया गया कि कांसिलियेशन आफिसर्स के पास जो मुकद्दमे आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एडजूडिकेशन के लिये भेजे लेकिन इस की पाबन्दी नहीं की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप आम सवाल पूछ रहे हैं। कोई विशेष बात प्रश्न के बारे में हो तो उसको पूछें।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो औद्योगिक विवाद अभी तक फैसले में नहीं आये हैं वह कब तक फैसले में आ जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो लेबर कमिश्नर से दरियाफ्त करके बतलाया जा सकता है कि वह कितनी जल्दी उन पर फैसला कर सकेंगे ?

*४५---श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--- [स्थगित किया गया।]

अर्थ और संख्या विभाग द्वारा कृषि व्यय अन्वेषण

*४६---श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र---क्या सरकार ने अर्थ और संख्या विभाग द्वारा कोई कृषि व्यय अन्वेषण (cost of cultivation enquiry) कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रिपोर्ट मेज पर रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने अर्थ और संख्या विभाग द्वारा कुछ थोड़े से चुने हुये गांवों में एक विशेष अन्वेषण करवाया था जिसमें उन चुने हुये गांवों में कृषि व्यय अन्वेषण भी शामिल है। एक गांव के ऊपर रिपोर्ट लिखी जा चुकी है और प्रकाशित की जा रही है। प्रकाशित होने पर माननीय सदस्य की मेज पर एक प्रति रख दी जायेगी।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र---क्या माननीय गृहमंत्री कृपाकर बतायेंगे कि कितने गांवों में यह अन्वेषण हुआ कितने समय तक यह अन्वेषण होता रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९ गांवों में यह अन्वेषण २, ३ हिस्सों में करके हुआ। यह अन्वेषण शुरू किया गया ४८-४९ में और ५० में भी हुआ और थोड़ा सा उसके बाद १९५१ में भी हुआ।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र---क्या माननीय गृहमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने राजकीय कर्मचारी इस अन्वेषण में लगे और सरकार का कुल कितना रूपिया इसमें खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस काम को श्रम विभाग करता है उसके सुपुर्द यह काम किया गया था जो उन लोगों को वेतन मिलता है वही बराबर मिलता रहा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस अन्वेषण की रिपोर्ट का सारांश क्या है ?

श्री अध्यक्ष---यह ब्योरे का सवाल है यदि माननीय गृह मंत्री संक्षेप में बतला दें तो मैं इसकी इजाजत दे सकता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसके अन्दर गेहूं का पैदा होना कि वह एक एकड़ में कितना पैदा होता है और उस पर क्या खर्च होता है; इतनी उपज होती है और इतना खर्च होता है इस प्रकार से हर एक गल्ले के लिये इस तरह की चीजें हैं।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र---इस प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने एक विशेष अन्वेषण की ओर इशारा किया है, तो क्या माननीय गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इस विशेष अन्वेषण की, पूरे गांव की, पूरी रिपोर्ट कब तक प्रकाशित हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तय हुआ है कि एक-एक गांव के सम्बन्ध में जो सामग्री हो उसको एकट्ठा करके एक-एक गांव की रिपोर्ट अलग-अलग निकाली जाय। एक गांव की छप रही है और बाकी की भी जितनी जल्दी सामग्री मिल जायगी उतनी ही जल्दी रिपोर्ट छाप दी जायगी।

जिला आजमगढ़, थाना घोसी, ग्राम मलेरी कोट में डकैती की घटना

*४७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत घोसी थाने के मलेरीकोट गांव में गत मार्च के अन्तिम सप्ताह में कोई डकैती या चोरी की घटना हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक मामला आई० पी० सी० की धारा १४८/३८० के अन्तर्गत घोसी थाने में दर्ज किया गया था परन्तु जांच करने पर पता चला कि कोई चोरी नहीं हुई थी।

*४८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी थाने में जो रिपोर्ट इस सम्बन्ध में लिखी गई उसकी प्रतिलिपि रिपोर्ट करने वाले को नहीं दी गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दी गई थी।

*४९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट करने वाले ने प्रान्तीय सरकार और जिलाधीश आजमगढ़ के यहां इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास प्राप्त हुआ था। जिलाधीश आजमगढ़ को इस विषय में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना में जो कुछ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं उनमें एक चौकीदार भी था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चौकीदार था, यह मैं नहीं जानता; लेकिन जो लोग इससे ताल्लुक रखते हैं उनके नाम मेरे पास हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे वे उस घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किये गये थे और मुकाबले में गांव वाले भी कुछ घायल हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, कहना यह है कि एक शख्स गुजई था; उसका साहब अली से कुछ झगड़ा था। गुजई अपने घर पर मौजूद था; उसने कुछ लोगों से कहा कि साहब अली झगड़ा करने के लिये मेरे घर पर आयेगा, तो कुछ लोग वहां पर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जमा हो गये। साहब अली की मदद के लिये भी कुछ लोग आ गये; शायद २, ३ आदमी आ गये। फिर दोनों पार्टी में झगड़ा हुआ और दोनों पार्टी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। लेकिन बहुत हल्की चोट दोनों पार्टी के आयी थी, इसलिये गम्भीर मामला नहीं था जिसकी वजह से मुकदमा चलाया जाता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह घटना कितने बजे रात की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास रिपोर्टकर्ता ने २३-४-५४ को जो प्रार्थना-पत्र डकैती के सम्बन्ध में दिया था उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जिलाधीश के पास ऐसी दरख्वास्त दी गयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लेकिन जिलाधीश ने रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें कोई दरख्वास्त नहीं मिली।

जिला बोर्डों द्वारा हरिजनों को निःशुल्क शिक्षा देने की हिदायत

*५०—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार का कोई ऐसा जी० ओ० है जिसके अनुसार जिला बोर्डों को यह हिदायत दी गई है कि वे हरिजन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दें और इस प्रकार बोर्डों की आमदनी में जो कमी होगी उसका दो तिहाई खर्च सरकार पूरा करेगी और एक तिहाई बोर्ड स्वयं बरदाश्त करेगो?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*५१—श्री गोवर्धन तिवारी—यदि यह सही है, तो क्या सरकार को यह पता है कि अल्मोड़ा जिला बोर्ड को हरिजन छात्र शुल्क के घाटे की पूर्ति के लिए सरकार केवल ३,६१० रुपया देती है जबकि उपर्युक्त जी० ओ० के अनुसार उसे १४,९२९ रुपया मिलना चाहिये?

डाक्टर सीताराम—जी हां, अल्मोड़ा जिला बोर्ड को शिक्षा शुल्क घाटा पूर्ति के लिये ३,६१० रुपया दिया गया है।

*५२—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार अल्मोड़ा जिला बोर्ड को हरिजन छात्र शुल्क का दो तिहाई रुपया देने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—समस्त जिला व नगरपालिका बोर्डों के अनुदान को बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जी० ओ० में इस बात के स्पष्ट आदेश होते हुए भी कि हरिजन छात्रों का २/३ सरकार देगी, अल्मोड़े के जिला बोर्ड ने हरिजन छात्रों को २/३ भी नहीं दिया?

श्री हरगोविन्दसिंह—आदेश में तो यह बता दिया गया है लेकिन रकम कितनी होगी यह म्युनिसिपिल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से पूंछा गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि अल्मोड़ा जिला के हरिजन विद्यार्थियों से पहले फीस ले ली जाती है और फिर साल के बाद उनको लौटाई जाती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—नहीं, यह ग़लत है।

बस्ती जिले के लोटन थाने को बनवाने का प्रबन्ध

*५३—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले के लोटन थाने का पुलिस क्वार्टर ग्राम लोटन में है और लोटन ग्राम थाने के क्षेत्र के एकदम पूर्व किनारे पर है जिससे उस थाने के क्षेत्र के निवासियों को रिपोर्ट करने में असुविधा होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*५४—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार उक्त थाने का क्वार्टर थाने के क्षेत्र के बीच में किसी दूसरी जगह बनाने का प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

लखनऊ छात्र आन्दोलन की सहानुभूति सूचक हड़ताल में भाग लेने वाले छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई

*५५—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार का आदेश है कि गत लखनऊ छात्र आन्दोलन की सहानुभूति सूचक हड़ताल में भाग लेने वाले छात्रों का नाम उस कालेज या स्कूल में न लिखा जाय जहां वे पढ़ते थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं।

हल्द्वानी तहसील के हल्का देवलचौड़ के ग्राम तल्लीकरैल में श्री धनंजय की नृशंस हत्या

*५६—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नवम्बर सन् १९५३ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हल्द्वानी तहसील के हल्का देवलचौड़ के ग्राम तल्लीकरैल में एक नवयुवक की नृशंस हत्या कर डाली ? अगर हां, तो पुलिस ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नवम्बर सन् १९५३ में थाना हल्द्वानी में श्री धनंजय की मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली। जांच के पश्चात् ज्ञात हुआ कि मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना से हुई थी जब कि वह अपने बहनोई श्री चतुर्सिंह को बंदूक लेकर शिकार खेलने गये थे। श्री चतुर्सिंह का चालान आर्म्स ऐक्ट की धारा २१ में कर दिया गया है। इसी सम्बन्ध में मृतक के दूसरे बहनोई प्रेम सिंह का, जो कि मृतक के साथ शिकार खेलने गये थे, चालान भा० दं० वि० की धारा ३०४–ए में कर दिया गया है। दोनों मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

नैनीताल के तराई क्षेत्र में डाके और हत्यायें

*५७—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५३ में नैनीताल के तराई क्षेत्र में कुल कितने डाके पड़े तथा कितनी हत्यायें हुईं ?

डाक्टर सम्पुर्णानन्द— ७ डाके और ११ हत्यायें हुईं।

जिला हमीरपुर में सन् १९५३—५४ में हत्यायें

*५८—श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में सन् १९५३ में और ३१ जुलाई, सन् १९५४, तक कुल कितनी हत्यायें हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५३ में २३ तथा १९५४ में ३१ जुलाई तक २०।

ग्राम कप्तानगंज, थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़ में चोरियां

*५९—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि ग्राम कप्तानगंज, थाना राजगंज, जिला आजमगढ़, में इस साल कितनी नकब देकर चोरियां हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल एक चोरी हुई।

*६०—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि कई चोरियों की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई और लोगों ने इस सम्बन्ध में चौकीदार की शिकायत की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। चौकीदार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई।

पिछड़े वर्ग या हरिजन जाति के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने का भिन्न-भिन्न विभागों को सरकारी आदेश

*६१—श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में भिन्न भिन्न विभागों को आदेश दिया गया था कि वे सरकार को उन कर्मचारियों की संख्या सूचित करें जो पिछड़े वर्ग या हरिजन जाति के हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward classes Commission) के लिए इस प्रकार की सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६२—श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या सम्बन्धित आंकड़ों की सूची सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—कुछ विभागों से आंकड़े प्राप्त न होने के कारण सूची अभी पूरी तैयार नहीं हुई है।

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड ७ (क्रमागत)

†श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं कल यह कहना चाहता था कि यह बिल जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य से मान्यवर मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति इससे होगी या नहीं यह तो भविष्य ही बता सकेगा। श्रीमन्, ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल यदि एकमत होकर, किसी चांसलर के नाम से सहमत होकर उसका नाम चुनती है तो उसके विरुद्ध मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी स्वयं उपकुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह संशोधन स्वीकार कर चुके हैं। श्रीमन्, अब प्रश्न यह है कि यदि ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल एक-मत होने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में क्या किया जाना चाहिये। माननीय तेजप्रताप सिंह ने जो अपने संशोधन में रखा है उसका अभिप्राय और लक्ष्य स्पष्ट है और वह यह है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल तीन नामों में से "एकार्डिंग टु दि सिस्टम आफ प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन बाई मीन्स आफ दि सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट" चांसलर को चुनेगी। इसका उद्देश्य है कि तीन नामों के चुनाव के

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

†१४ अक्तूबर, १९५४, की कार्यवाही में छपा है।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपरांत युनिवर्सिटी के जितने ग्रेजुएट्स हैं जिनकी तीन वर्ष की स्टैंडिग हो उसके द्वारा माननीय चांसलर महोदय का चुनाव कराया जाय। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो मुझे सबसे पहले कहना है वह यह है और जिस पर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज यदि यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को यह अधिकार देने में सरकार को आपत्ति हो सकती है जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस भवन में अपने भाषणों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है कि वे समझते हैं कि जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हैं वे इसकी योग्यता नहीं रखते हैं कि अपने चांसलर की नियुक्ति कर सकें। माननीय मदन मोहन जी ने यह कहा कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स यदि कुलपति को चुनेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि दलबन्दी और गुटबन्दी जो आज तक थी और जिसके जिम्मेदार भी उनके कथनानुसार रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स ही ठहराये गये हैं, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मदन मोहन जी या मैं या कोई भी माननीय सदस्य इस विधान सभा के इस चीज को उतना महसूस नहीं कर सकते जितना वहां पर रहने वाले छात्र को उससे ममता और श्रद्धा हो सकती है। दूसरे के लिये उतनी ममता करना और श्रद्धा होना असम्भव है। यदि यही बात बनारस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के लिये कही जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी, माननीय मदन मोहन जी, रामनारायण त्रिपाठी जी या और भी बहुत से माननीय सदस्यों को इस पर घोर आपत्ति हो सकती है और वे इतना अप्रसन्न हो सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं और उसका एक ज्वलन्त प्रमाण प्रत्यक्ष है। इस भय से कि कहीं असंगत समझ कर आप मुझे टोकें न, मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा और आपकी अनुमति से केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं उसके सिद्धान्त में नहीं जाना चाहता कि वह उचित है या अनुचित है। लेकिन जब जमींदारी प्रथा का विनाश हुआ, इससे और कुछ न समझा जाय, मुझे उसके औचित्य पर कोई आपत्ति नहीं है और न इस समय उसकी बाबत कोई विवाद ही सदन के सामने है लेकिन, श्रीमन्, यह मैं बतला देना चाहता हूं कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन पहले था उसके हाथ से छीन कर पूर्णतया उसी तरीके से कुर्क अमीन, नायब तहसीलदार और कानूनगोयान आदि के हाथ में सारी शक्ति सौंप दी गयी है। हमारे मंत्री महोदय, जो हमारे पड़ोस के जिले के ही हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि एक्सटर्नल तरीके से जिसका यूनिवर्सिटी से कोई सम्पर्क न हो, कोई सम्बन्ध न हो, कोई ममता न हो, उनके ऊपर अगर इस बोझ को लाद दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह उसके कार्यभार को अच्छी तरह से नहीं चला सकता है, जैसा कि जो ममता रखता हो, जो श्रद्धा रखता हो और जिसका किसी न किसी प्रकार से उससे सम्बन्ध रह चुका हो, वह चला सकता है। श्रीमन्, इस तरह की बातें एक जगह नहीं बल्कि हर जगह देखी जा सकती हैं। यह सत्य है, अप्रिय सत्य भले ही क्यों न हो।

मान्यवर, अब रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स पर इतना भरोसा न करना कहां तक उचित है? श्रीमन्, आपको अनुभव होगा कि जो हमारे मतदाता निरक्षर थे और जो बैलट पेपर को बक्स में डालने के बजाय ऊपर रख कर ही हाथ जोड़ कर चले आते थे और प्रणाम करके चले आते थे वह उस प्रकार के मतदाता मंत्री जी का जो चुनाव कर सकते हैं तो क्या श्री मदन मोहन जी मुझे यह समझा सकते हैं कि फिर वह रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स क्यों चांसलर को नहीं चुन सकते हैं और क्यों उनको यह अधिकार न दिया जाय?

इसके संबंध में यह भी कहा गया कि इससे दलबन्दी और गुटबन्दी बढ़ेगी। मैं आपका ध्यान उन दिनों की तरफ ले जाना चाहता हूं जब लिमिटेड फ्रेंचाइज हुआ करता था और चाहे म्युनिसिपल बोर्ड में हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हो, चाहे कौंसिल का या सेन्ट्रल लेजिस्लेचर का एलेक्शन हो उस जमाने में वोटर के लिये लोग मोटर और तरह-तरह के प्रलोभन देते थे और मतदान कराया जाता था। लिमिटेड फ्रेंचाइज में बहुत सी खराबियां होती हैं लेकिन सन् ५२ के इलेक्शन में यह भी हुआ कि आज उसका पता नहीं चलता कि कौन विजयी होगा और कौन

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

हारेगा ; और भी बहुत सी करप्ट प्रेक्टिसेज लिमिटेड फ्रेंचाइज में होती हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स द्वारा चांसलर का चुनाव कराया जायगा तो इस तरह की बहुत सी करप्ट प्रेक्टिसेज दूर हो जायंगी। माननीय मंत्री जी ने एक्जिक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट में बहुत से सुधार किये हैं गोकि इससे उसका कोई संबंध नहीं है लेकिन चूंकि आप इसमें सुधार कर रहे हैं फिर भी उन पर आप विश्वास न करें यह कोई नीतिसंगत बात नहीं मालूम होती, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के लिये किसी सदस्य का यह कहना कि उनको अधिकार न दिया जाय, यह सर्वथा अनुचित है, वह कोई नाबालिग नहीं वह युनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। हालांकि अब समय आ गया है कि पोलिटिकल पार्टीज उनको राजनीति में घसीटने की कोशिश करती हैं, अगर ३ साल के अनुभव के बाद यदि उनसे चांसलर चुनने को कहा जाय तो इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है और कोई ऐसी अक्षमता उनमें नहीं है जिसके कारण उनको यह अधिकार न दिया जाय।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने इस प्रकार की आपत्ति की थी और कहा था कि यह संशोधन जो है वह टेक्निकली गलत है। इसका मतलब यह है कि यह सुन्दरता से ड्राफ्ट नहीं हुआ है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि वह तो लेमैन हैं और जो विशेषज्ञ होते हैं विलायत में भी जो बड़े बड़े अनुभवी ड्राफ्ट करने वाले होते हैं उनसे भी त्रुटियां होती हैं जिनका महान तजुर्बा होता है। इसके कोई जूडीशियल इन्टरप्रिटेशन का सवाल नहीं है और यदि किसी माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है तो वह संशोधन द्वारा इसको सुधार कर ठीक कर दें और इसकी गलती को दूर कर दें। यहां तो सिद्धांत का सवाल है। देखना यह है कि इसकी मंशा क्या है। हमारा तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है कि जिस कानून में भी चाहे वह पुराना हो या आज का हो जो भी खराबी हो उस पर विचार विनिमय करके दूर कर दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह स्थान नहीं है कि जहां पर हम इस तरह की मामूली टेक्नीकल बातों को देखें। टेक्नालोजी पर किसी संशोधन को अमान्य मानना उचित नहीं है। श्रीमन्, यह दूसरी बात है कि आप उसको मूव करने की इजाजत न दें लेकिन जब आप की आज्ञा हो चुकी तो उस समय मेम्बरों को अधिकार है कि उसमें कोई त्रुटि हो तो सुधारें या सरकार अगर सुधार कर सकती है तो करें। अगर यह चाहे कि अब उसको न लिया जाय कुछ देर बाद या दूसरे दिन लिया जाय तो उसके लिये भी आज्ञा दे सकते हैं लेकिन इस बात को देखना है कि क्या सरकार उस नीति से सहमत है या नहीं। अगर इस नीति से सहमत ही नहीं हैं तब तो इन अगणित सदस्यों की संख्या को देखते हुये विरोधी पक्ष का कोई संशोधन पारित होगा यह संभव नहीं है। ब्रूट मेजारिटी है, श्रीमन्, सरकार के पीछे और उससे वे विरोध पक्ष की अवहेलना कर सकते हैं और आप जो चाहें उसे इस समय सदन में कर सकते हैं परन्तु यह भी देखना है कि जो आप करते हैं उससे आपका यश, आपका नाम, आपका आदर भूल न जाय, बावजूद इसके, सभी उनके इस तरीके से खुद भोगें। श्रीमन्, माननीय चिन्तामणि जी ने १९२१ में इस विधेयक को रखा था और आज भी लोग उनके नाम को याद करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से यह देखना है कि कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के कारण माननीय मंत्री या माननीय सभासचिव कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे दूसरों के लक्ष्य की पूर्ति होती है और जो वास्तविक चीज है उससे वे अलग होते जा रहे हैं। मैं, श्रीमन्, किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहा हूं जिससे आपको टोकना पड़े, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसमें और भी बहुत से स्थान हैं जहां मतभेद हैं उनको भी दूर किया जा सकता है यदि उनको इस परिस्थिति में, इस अवस्था में, वह स्वीकार किये जायं। श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह इस पर विचार कर लें। सभा सचिव जी जो इस समय विद्यमान हैं उनको इस पर विचार करना चाहिये। उनको इस समय भय हो सकता है कि इसमें बहुत सी प्रेक्टिकल कठिनाइयां हैं। यह सिस्टम और कहीं नहीं है और इसकी सफलता का उन्हें भय हो सकता है। मगर मैं नहीं देखता कि जब मुल्क में एलेक्शंस एडल्ट फ्रेंचाइज पर हो सकते हैं और वह भी कुछ साल पहले तो इस इलैक्शन की कठिनाइयां क्यों नहीं दूर की जा सकती ? केवल इच्छा हो, बिल हो और दृढ़निश्चय हो तो उससे यह कठिनाइयां नहीं होंगी लेकिन आपने

निश्चयात्मक बुद्धि से यदि यह तय कर लिया हो कि जो हम कर रहे है वही ठीक है और किसी भाव से हम उससे डिगेंगे नहीं तब तो यह हठवादिता है और वे उसी पर आरूढ़ होकर इस पद पर सुशोभित हैं तब तो इसमें आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। केवल इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने जो मूल अधिनियम की धारा १० को दूसरे रूप में रखने के लिए संशोधन दिया है उसका विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय यदि आप माननीय तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन को देखें तो यह विदित होगा कि २, ३, ४, ५, ६ और ७ सेक्शंस जो हैं उनको मानने से इस क्लाज में बहुत बड़ी विषमता पैदा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन से यह विदित है कि कोर्ट को बिलकुल छोड़ दिया जाय और ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल वेकेंसी होने के ६० दिन के अन्दर है एक चांसलर का एलेक्शन कर ले। इसके बाद सब सेक्शन ३ से मालूम होता है कि अगर एग्जक्यूटिव कौंसिल किसी डिसीज़न पर न पहुंच सके तो ऐसी परिस्थिति में तीन नाम हाई रेप्यूटेशन के लोगों के बाई मीन्स आफ प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन के चुन करके रखे और उनकी वोटिंग रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स जिनकी स्टैंडिंग तीन साल से कम की न हो उन्हीं से कराये। पांचवी बात जो माननीय सदस्य द्वारा रखी गई है उसमें यह है कि चांसलर का टर्म ६ साल का हो। छठी और सातवीं बातों में सदस्य ने यह दर्शाया है कि स्टेट्यूट्स जो हों उनको भी चांसलर कान्सटीट्यूट करे। इन सब बातों के देखने से यह प्रतीत होता है कि इन संशोधनों को मान लेने के बाद ऐसी विषमता पैदा होगी जो कि माननीय सदस्य को, मूथम कमेटी के १५२ पृष्ठ पर दिया गया है, उससे साफ जाहिर हो जायगी। उसमें लिखा है :—

"The alternative of an elected Chancellor gives rise to a number of difficult problems, of which the most outstanding would be division of the powers now exercised by the Chancellor between an elected Chancellor and the Government, for we think it must be recognised that the Government cannot be wholly excluded from having some voice in the affairs of the University."

इससे यह साफ जाहिर है कि इस तरह का एलेक्शन जो होगा वह युनिवर्सिटी के हित में बुरा होगा क्योंकि चांसलर की ऐसी ड्यूटी है जो कि गवर्नमेंट से सम्पर्क स्थापित करे। जब हम इस संशोधन विधेयक पर विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्टेट्यूट्स को कोर्ट बनाता है। इसी तरह आर्डिनेंसेज जो हैं, ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा बनाये जाते हैं। और माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उससे तो आर्डिनेंसेज और स्टेट्यूट्स दोनों को बनाने का पूरा अधिकार चांसलर को मिल जायगा जिससे अब तक जितना करप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पाया गया है उससे अधिक हो जायगा। अभी अगर कमजोरियां २५ फीसदी है तो इस संशोधन को मान लें लेने के बाद सेंट परसेंट बढ जायंगी इसलिये कि चांसलर को इसके द्वारा सारी पावर मिल जायंगी। क्योंकि उसकी पावर कोर्ट में होगी, ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में, ऐकेडेमिक कौंसिल में होगी। इसके बाद मैं पुनः आपके सामने रखूंगा कि जैसा बहुत से लोगों ने, माननीय सदस्य ने और मेरे साथी नारायणदत्त तिवारी ने भी इस चीज को सदन के सामने प्रस्तुत किया है कि कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी में ऐसी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी की बात हो या आक्सफोर्ड, मेंचेस्टर, एडिनबर्ग, लिवरपूल या ब्रिस्टल युनिवर्सिटीज में ऐसी बातें होती हैं कि अगर कोई भी अमेंडमेंट लाना होता है तो उन अमेंडमेंट्स को गवर्नमेंट लाती है। इसके अलावा माननीय सदस्य को इस चीज को नहीं भूलना चाहिये कि कोलम्बिया युनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट मिस्टर आइजनहावर थे और अब भी हैं। साथ ही साथ दुनिया की और युनिवर्सिटीज में भी नहीं देखा गया कि चांसलर या प्रेसीडेंट जनता के द्वारा चुना गया हो। इस तरह से अगर जनता के द्वारा या रजिस्ट्र्ड ग्रेजुएट्स के द्वारा चांसलर को या प्रेसीडेंट को चुनते हैं तो वैसी परिस्थिति में इस विधेयक को मान लेने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई

[डाक्टर सीताराम]

देगा जिसको कि हम अधिक दिनों तक नहीं सहन कर सकेंगे। हम मानते हैं कि जनतंत्र की भावना से जनता को प्रेरित करना अनिवार्य है लेकिन इस तरह की शिक्षा देना खतरे से खाली नहीं होगा जिसको कि माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। अतः मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि जिस संशोधन को आपने रखा है उसे आप वापस ले लें।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री तेज प्रताप सिंह ने रखा है उसके ऊपर मैंने उनका और अन्य माननीय सदस्यों का भाषण सुना। मैं यह समझता हूं कि जो संशोधन उन्होंने रखा है अगर वह संशोधन मान लिया जाता है तो यह विधेयक जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उसका वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में काफी खराबियां हैं और वह खराबियां चुनाव के कारण हुई हैं उस चुनाव के कारण जो दलबन्दी हुई है उसमें हमारे अध्यापकगण पड़े रहते हैं। उनका ध्यान शिक्षा की ओर नहीं है। उस दलबन्दी के कारण शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। उसी को सुधारने के लिये यह विधेयक हमारे इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर हम थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि यह संशोधन मान लिया जाय तो कुलपति के चुनाव में भी तमाम वह झगड़े पड़ेंगे। कुलपति इस तमाम युनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा अफसर है। अगर उसका भी चुनाव होता है तो यह गड़बड़ और यह संघर्ष बहुत बढ़ जायगा। यह भी मानी हुई बात है कि जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं वह चुनाव से सदा बचा करते हैं। चुनाव में जो पड़ते हैं वह जानते हैं कि किस संघर्ष में जाना पड़ता है। इस संशोधन में जो तरीका रखा है कि पहले एक्जीक्यूटिव कौंसिल नाम रक्खें अगर उनमें भेद हो तो तीन नाम रखे जायं और वे तीन नाम ग्रेज्युएट्स के सामने जावें। ग्रेज्युएट्स जिस तरह से वोट देते हैं उसका अनुभव हमें अभी यहां विधान परिषद के चुनाव में हुआ है। विधान परिषद के चुनाव में कुछ सदस्य रजिस्टर्ड ग्रेज्युएट्स के द्वारा चुने जाने वाले थे। हमें अच्छी तरह मालूम है और मैं जानता हूं कि जिन्होंने इस संशोधन को रखा है या श्री माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी भी उससे परिचित होंगे कि वह वोट किस तरह से दिये गये।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा कि किसी चुनाव के संबंध में जो कि ग्रेज्युएट्स ने किया या जो सदन के बाहर के लोग हैं उनके बारे में कुछ आक्षेप की बात कही जाय।

श्री रतनलाल जैन---मैं सिर्फ यह कह देना चाहता हूं कि यह जो प्रणाली रखी गयी है वह प्रणाली बड़ी दूषित है। वोट देने के दो ही तरीके हो सकते हैं जैसा कि माननीय नौरंग लालजी ने बताया कि या तो जो रजिस्टर्ड ग्रेज्युएट्स हैं वह एक जगह पर इकट्ठे हों या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह अपने घर से ही उन फार्मों को भर कर भेजे। अगर एक जगह इकट्ठे होंगे तो हर एक ग्रेज्युएट् को अपने पास से खर्च करना होगा। मेरा अनुमान है कि इसमें दस प्रतिशत भी इकट्ठे नहीं होंगे और जो इकट्ठे भी होंगे वह तब इकट्ठे होंगे जब कि उम्मीदवार उनके घर जा जाकर उन्हें प्रेरणा करेंगे। इस तरह से उनका मकसद पूरा हल नहीं होगा। अगर घर घर पर वोट दिये जायं तो इसका नतीजा यह होगा कि बहुत से उनके लिफाफे हमारे जो उम्मीदवार हैं वह या उनके पैरोकार उनसे ले लेंगे। जिस उद्देश्य से यह संशोधन माना गया है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक राय देंगे, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिये वह उद्देश्य इस तरह से कदापि पूर्ण नहीं होने वाला है बल्कि उससे बहुत बड़ी खराबी पैदा हो जायगी। जिस खराबी को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है, वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि इस तमाम विधेयक में चांसलर को बहुत सी पावर्स दी हैं। अगर वह चुनाव से होता है तो उसमें बड़ा भारी विरोध सा पड़ जाता है। गवर्नर सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच में लिंक है, वह दोनों को मिलाता है। पहले सन् २१ के गवर्नर के हाथ में सब पावर थी, वह रूलर था। आज का गवर्नर कंस्टीट्यूशनल हैड है और शक्ति मिनिस्ट्री के हाथ में है, बहुत-सी बातें गवर्नर मिनिस्ट्री की मान लेता है और जहां

डिस्क्रीशन (discretion) है वही अपनी राय इस्तेमाल करता है। गवर्नर बहुत कुछ अंश में स्वतंत्र है। आज का गवर्नर भिन्न है वह भी सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में है। सरकार प्रजा की प्रतिनिधि है और उसका यह कर्त्तव्य है कि शिक्षा में दिया हर पैसा सदुपयोग में लगे। इसलिये सरकार का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि युनिवर्सिटी पर अपनी दृष्टि रखे। हमारे देश में आज बहुत दलबन्दी है और युनिवर्सिटी में भी है। जिन देशों में शिक्षा में दलबन्दी नहीं जैसे इंग्लैन्ड में, वहां पर भी गवर्नर या रूलर या सरकार के हाथ में बहुत से अधिकार दिये गये हैं। मूथम कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है जिसका कुछ अंश मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

"The alternative of an elected Chancellor gives rise to a number of difficult problems, of which the most outstanding would be division of the powers now exercised by the Chancellor if he be an elected Chancellor and the".

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह हिस्सा सदन में पहले पढ़ा जा चुका है।

श्री रतनलाल जैन—तो इसमें उन्होंने दिया है कि इंग्लैन्ड में जहां शिक्षा स्वतंत्रता के साथ चलती है वहां भी सरकार को बहुत कुछ पावर्स है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो स्टैट्यूट पास होता है उसकी अनुमति वहां का किंग देता है; और भी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे लिवरपूल, ब्रिस्टल और लीड्स वहां भी विशेष स्टेट्यूट्स वगैरह प्रिवी कौंसिल में जाती है या गवर्नमेंट उनकी अनुमति देती है। जब ऐसे देश में जहां कि विश्वविद्यालय बहुत कुछ स्वतंत्र हैं जहां पर अध्यापकगण में दलबन्दी नहीं है, जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, वहां पर भी सरकार के हाथ में बहुत कुछ पावर्स हैं। अगर उनका संशोधन मान लिया जाता है और एक वह व्यक्ति जिसका सरकार से कोई संबंध नहीं है चुनकर आ जायगा तो यह प्रश्न उठेगा कि अब सरकार को क्या क्या पावर्स रहें। इसलिये जिस तरह से यह विधेयक बनाया गया है, जिस तरह से इसके अंश और खंड बनाये गये हैं उन सब में एक अप्रसांगिकता आ जायगी और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। इसलिये जिस आशय से यह कानून बनाया जा रहा है वह सब नष्ट हो जाता है। इसलिये मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें क्योंकि इस संशोधन से तमाम उद्देश्य नष्ट हो जाता है। इस सदन में जितने माननीय सदस्य हैं, वह चाहे इस पक्ष के हों या विरोधी दल के हों सब ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत ही खराबियां हैं यह खराबियां उस समय तक दूर नहीं होंगी जब तक कि इस चुनाव पद्धति में रुकावटें न डाली जायंगी। यदि चुनाव किसी बड़े अफसर का भी किया जायगा तब भी वह कम नहीं होंगी बल्कि जितनी खराबियां आज हैं उससे भी दस गुनी बढ़ जायंगी और यूनिवर्सिटी एक बहुत नीचे के स्तर पर पहुंच जायगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर महोदय, आजकल दस्तूर यह है तहरीर में और तकरीर में इंसान दो चीजों की दुहाई ज्यादा देता है एक तो चुनाव की और दूसरी सत्याग्रह की। जिन लोगों ने चुनाव और सत्याग्रह के स्तर को इतना नीचा गिरा दिया है तो वह उस बात के जिम्मेदार हैं कि इनमें जो खूबियां थीं वह अगर किसी वजह से कम हुई हैं तो वह गलत इस्तेमाल से। जैसे कि आज आम तौर पर हर छोटी से छोटी बात पर सत्याग्रह किया जाता है और गांधी जी की दुहाई दी जाती है लेकिन वह यह नहीं समझते और भूलकर भी नहीं समझते कि सत्याग्रह का जो तरीका था और गांधी जी जिसे अपनाते थे उस तरीके की बड़ी बेहुरमती होती है अगर उसकी छोटी छोटी चीजों के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से जहां तक चुनाव का मामला है तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिये, जम्हूरियत के लिये, चुनाव बहुत बड़ी जरूरी चीज है और इसके बिना सही जम्हूरियत पनप नहीं सकती है। लेकिन इसके माने यह नहीं होते हैं कि हर चीज में चुनाव ही चुनाव नजर आये। अगर हम यह फैसला कर देते हैं और इस चीज को अपना लेते हैं कि चुनाव हमारे सामने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

रहे तो फिर हम अदालतों का, मैजिस्ट्रेटों और जजों का भी, चुनाव करें या दुनियां की कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रह जाती है जिसमें हम चुनाव को इंट्रोड्यूस न करें।

मुझे याद है कि जब हमारा कांस्टीट्यूशन बन रहा था, गवर्नर की तकर्ररी का मसला आया तो बड़ी गरमागरम बहस हुई और उस बहस के दौरान में इधर से भी और उधर से भी बड़ी बड़ी दलीलें दी गईं लेकिन बिलआखीर यह तय किया गया कि गवर्नर को इलेक्टिव परसोनल नहीं होना चाहिये बल्कि नामजद हो और मैं समझता हूं कि यह फैसला जो उस वक्त कांस्टीटुएंट असेंम्बली ने किया वह बिल्कुल सही और मुनासिब था और अगर फैसला इसके बरअक्स होता तो वह सही नहीं होता।

आज हमारे सामने इलाहाबाद युनिवर्सिटी का अमेंडिंग बिल है और हमको इसे इस नजरिये से देखना चाहिये कि हमने इस बिल को इसलिये यहां लाने की जरूरत समझी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो खराबियां थीं, करप्शन था, उनको किस तरह से दूर किया जाय। यह एक कसौटी हमारे सामने है और इस कसौटी के मातहत हम इस पोजीशन को जज कर सकते हैं और कानून में नई तरमीम ला सकते हैं। जवाबवाला, मेरा जाती खयाल यह है कि अगर इस वक्त चांसलर की तकर्ररी के सिलसिले में बहस हमारे सामने होती कि चांसलर गवर्नर हो या चीफ जस्टिस हो या और कोई तीसरा शख्स हो तब तो उस पर दो रायें हो सकती थीं। मैं भी शायद इस राय को पसन्द करता कि चीफ जस्टिस को अगर गवर्नर के बजाय चांसलर बनाया जाय तो बेहतर हो सकता है और आज जगह इसको रायज भी किया गया है। लेकिन जब मैं इस तरमीम को पढ़ता हूं कि चांसलर के ओहदे को एक एलेक्टेड ओहदा बनाया जाय तो मेरी समझ में यह तरमीम नहीं आती और मैं इसे समझने से कासिर हूं कि किस तरीके पर यूनिवर्सिटी के स्टैटचूट में या ऐक्ट में और प्रेक्टिकल ऐडमिनिस्ट्रेशन में यह 'फिट इन' हो सकता है। अगर वाइस-चांसलर के मुताल्लिक ये तमाम प्राविजन रखे जाते जो कि मेरे दोस्त ने बहुत ही मेहनत और होशियारी के साथ ड्राफ्ट किये हैं तो मैं समझता हूं कि ये 'फिट इन' हो सकते थे लेकिन चांसलर वह शख्स है कि जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हेड है। उसकी यूनिवर्सिटी के अन्दर बिल्कुल वही शान है जो हमारे सूबे के ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर गवर्नर की हो सकती है और जाहिर है कि जो हेड किसी इंस्टीटचूशन का हो और जिसके हाथ में आखिरी फैसला हो उसको किसी सूरत से भी एलेक्शन से नहीं आना चाहिये। इसलिये अगर हम एलेक्शन के मसले को मान लेते हैं और इस तरीके पर, जिसका इस तरमीम के अन्दर प्राविजन है, चांसलर को एलेक्ट करते हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि चांसलर पार्टीबन्दी के जरिये से ही मुन्तखिब होकर आयेगा। मैं जानता हूं कि मूवर साहब ने जो तरमीम पेश की है उनका हर्गिज यह मंशा नहीं होगा कि चांसलर पार्टीबन्दी के जरिये से आये। लेकिन मेरे दोस्त को याद रखना चाहिये कि इन्सानी कमजोरियां भी हमारे साथ में लगी हुई हैं और अगर हम किसी शख्स को किसी बड़े ओहदे के लिये पसन्द करते हैं या उसकी नामजदगी कराते हैं तो कुदरतन उस शख्स के अन्दर भी यह ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि वह इस पर ज्यादा से ज्यादा कायम रहे। अगर ऐसी चीज पैदा हो गयी तो इसका नतीजा सिवाय इसके और कोई नहीं हो सकता है कि इस एलेक्शन में एक पार्टीबन्दी की स्पिरिट फिर पैदा हो और उसका वह नतीजा होगा कि जिसके मातहत आज यूनिवर्सिटियां झगड़े की जगह बनी हुई हैं और जिनको दूर करने के लिये इस किस्म के बिल लाने की जरूरत पड़ गयी है। जवाबवाला, मूथम कमेटी और राधाकृष्णन् कमीशन ने इस मसले पर बहुत काफी गौर किया है और जहां तक मैं समझता हूं, इनमें से किसी ने इस बात को पसन्द नहीं किया है कि किसी सूरत से भी इलेक्शन का सिस्टम चांसलर के लिये लाया जाय। इसलिये कि चांसलर और वाइस-चांसलर दो ऐसी जगहें हैं यूनिवर्सिटी में जो अहमियत रखती हैं। वाइस-चांसलर की पोजीशन तो ऐसी है कि वह यूनिवर्सिटी के डे टु डे ऐडमिनिस्ट्रेशन

का जिम्मेदार है और वह अपना पूरा वक्त देकर वहां काम करता है। हमने यह मान लिया है वह एलेक्शन के जरिये से आयेगा अगर्चे इस तरमीमी बिल के जरिये से हमने उसके एलेक्शन में भी बहुत कमी कर दी है लेकिन फिर भी वाइस-चांसलर किसी न किसी तरीके से चुनाव के जरिये से ही आयेगा। उसके बाद चांसलर की ड्यूटी तो एक निगरां की हैसियत रखती है। उसकी पोजीशन तो एक किस्म के स्पिरिचुल हेड या फाउन्टेन की है जहां से स्पिरिचुअलिज्म पलो कर सकें। वह अपनी जात से यूनिवर्सिटी के अन्दर एक किस्म की मोरैलिटी इन्फयूज कर सकता है। तो ऐसे शख्स को तो एलेक्शनबाजी से हमको बहुत दूर रखना चाहिये। मेरा ख्याल तो यह है कि जितने भी चांसलर हैं या जो लोग चांसलर बन सकते हैं वे खुद भी पसन्द नहीं करेंगे कि एलेक्शन के जरिये से वे मुन्तखिब हों। इसके अलावा चांसलर की इसलिये भी नामजदगी होनी जरूरी है कि हुकूमत में और यूनिवर्सिटी के अन्दर एक लिंक कायम रहे। इसलिए कि हमारे मुल्क के अन्दर यूनिवर्सिटियां अभी उस हालत को नहीं पहुंची हैं कि बगैर सरकारी इम्दाद के यूनिवर्सिटियां स्मूथली रन कर लें, उनको रुपया भी मिल जाय और उनको हम पब्लिक की तरफ से चलाया करें। हमको यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया हुकूमत से लेना पड़ता है। हमारे सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, और लखनऊ यूनिवर्सिटी की मिसालें हैं कि जिन्होंने बहुत सा रुपया गवर्नमेंट से लेकर खर्च कर दिया और फिर वह गवर्नमेंट के सामने आयीं इस गरज से कि गवर्नमेंट उनको रुपया दे, उनके कर्जे को चुकाये। गवर्नमेंट ने तालीम के मकसद को तालीम के काज को देखते हुए बार-बार उनके कर्जे को अदा किया, उनके रुपये को अपने पास से चुकाया और सही उसकी वजह यह थी कि उनके अन्दर बदइन्तजामी थी। जहां तक यह कहा गया कि उनके अन्दर सही तौर पर इन्तजाम चलाने की जिम्मेदारी न थी, या स्पिरिट नहीं थी, इस वजह से इस तमाम बिल को लाना पड़ा, लेकिन बड़ी बदनसीबी होगी, अगर हम वह बिल जो इस गरज से ला रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों के अखराजात का कंट्रोल हो, जो रुपया दिया जाय, उसका सही इस्तेमाल हो, यूनिवर्सिटियों में पार्टी-बन्दी की वबा दूर हो, यूनिवर्सिटियां स्मूथली रन करें, अगर इस काम में बावजूद तमाम मुश्किलात के मदद पहुंचा सकें और उन मुश्किलात को दूर कर सकें तब तो ठीक है, वरना अगर हमारे किसी अमल और तरमीम से ऐसी सूरत पैदा हो गयी कि इसमें और इजाफा हो गया तो यह एक बड़ी बदनसीबी होगी इसलिये मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जहां तक यूनिवर्सिटियों का बिल है उसमें हम इस बुनियादी बात को सामने रख कर कोई तरमीम पेश करें कि जहां तक मुमकिन हो सके हम यूनिवर्सिटी को एलेक्शन और चुनाव की वबा से दूर रखने की कोशिश करें। मैं महसूस करता हूं पूरी तरह से एलेक्शन इस वजह से अलहदा नहीं किया जा सकता क्योंकि वाइस-चांसलर के सेलेक्शन में हमने बहुत कोशिश की है कि यह कम से कम एलेक्शन उसके अन्दर आ सके, लेकिन फिर भी मौजूद रहा। इसलिये जहां कहीं हम यह समझ सकते हैं कि इस एलेक्शन की बफा को हम हटा सकते हैं और खास तौर से चांसलर के मामले में, जो यूनिवर्सिटी का हेड है, जो स्प्रिचुल फाउंटेन है और जिसके पिवट के चारों तरफ यूनिवर्सिटी घूमती है अगर उसका रिश्ता हुकूमत से भी कायम रखें और उसको स्मूथ वर्किंग का मौका दें तो यह यूनिवर्सिटी की बेहतरीन खिदमत होगी।

तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसी स्पिरिट में हमें इस मसले पर गौर करने का मौका मिलेगा।

*श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं, जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसकी सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी समझ में आजकल डेमाक्रेसी के जमाने में सब से अच्छा तरीका एलेक्शन का है। जो लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा]

यह कहते हैं कि एलेक्शन न किया जाय वह मेरी समझ में यह नहीं देखते कि क्यों इस बात को कहते हैं। जब कि वह खुद इस सूबे में एलेक्ट होकर आये हैं और डेमोक्रेसी का जमाना है और खास कर ऐसी जगह जहां कि अभी मेरे पूर्व वक्ता जी ने कहा है कि स्प्रिच्वल हैड हो। तो स्प्रिच्वल से भी पहले यह चीज है कि जितने लोग हर डिपार्टमेंट में सरकार के आते हैं वह विश्वविद्यालय से ही आते हैं, वहीं सबका करेक्टर मोल्ड किया जाता है। वहां दुनियावी काम ज्यादा सिखाया जाता है, स्प्रिच्वल बात तो बाद को आती है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि दुनिया में जो इन्तजाम करने का तरीका इस जमाने में रखा गया है वह डिमाक्रेसी की बुनियाद पर रखा गया है। तो जहां तक बुनियाद ही डेमाक्रेसी है और जहां पढ़े लिखे लोगों का काम है वहां तो ख्याल यह है कि एलेक्शन ही से वहां चांसलर को मुकर्रर होना चाहिये। न कि एक ऐक्ट में यह बना दिया जाय कि फलां एक शख्स चांसलर होगा। मेरी समझ में यह निहायत जरूरी है कि इस संशोधन को माना जाय।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---जनाब मुहतरिम अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है और इस पर जो तरमीम आयी है कि एलेक्शन के जरिये से चांसलर को मुकर्रर किया जाय, इसका एक नतीजा यह निकलता है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि गवर्नर को नामजद करना या गवर्नर को चांसलर बनाना इसका किस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, जो तरमीम आयी है इसके सिवा दूसरा ख्याल हो ही नहीं सकता कि जो तरमीम आयी है उसे मंजूर करना है या वह हिस्सा मंजूर किया जाय जो तरमीमी बिल के अन्दर मौजूद है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि सुल्तान आलम खां साहब ने फरमाया कि वह एक ऐसा महबर होगा चांसलर जिसके ऊपर पूरी यूनिवर्सिटी घूमेगी और घूमनी चाहिये। जाहिर है कि ऐसी जिम्मेदार शख्शियत जो किसी आजाद मुल्क की तनकीद से बालातर नहीं है और जहां किसी ऐसे कानूनी हेड का ताल्लुक है, अगर उसको चांसलर मुकर्रर कर दिया जाय तो वह तनकीद से बालातर नहीं हो सकता है। एलेक्शन से जो बुजुर्ग तशरीफ लायेंगे हम उनकी अच्छाई और बुराई पर एक गैर मुतासिब्बाना निगाह डाल सकेंगे। अगर एलेक्शन का तरीका खत्म कर दिया तो हमें समझबूझ कर एक ही उसूल तसलीम करना पड़ेगा या तो शुरू से आखिर तक सारी बाडी के अन्दर सिर्फ नामजदगी हो या उसके अन्दर एलेक्शन का उसूल रखा जाय। आपने अभी फर्माया कि एलेक्शन की वबा इसके अन्दर फैली जिसको हम बचाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा। अगर यूनिवर्सिटी के अन्दर एलेक्शन की वबा दाखिल करने से हम यह चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को नुकसान होता है तो इससे बहुत महत्वपूर्ण और इससे अहम ऐसी चीजें हैं जो कि एलेक्शन के जरिये तय होती हैं और जिनके हाथ में हमारी किस्मत होती है, हमारी तालीम होती है, हमारी इज्जत आबरू होती है। वजीरे तालीम भी यहां एलेक्शन से चुन कर आये हैं। अगर यह उसूल जैसा कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा जारी रखा जाय तो शायद हम कुछ दिनों के बाद यह भी जरूर महसूस करने लगेंगे कि वजीर तालीम या इससे भी कोई अहम जगह हो उसको भी नामजद कर दिया जाया करे, एलेक्शन से न आये। उस वक्त वजीर तालीम साहब खुद इसकी मुखालिफत करेंगे। इसी सूरत में इस पर जो तरमीम आयी है उसकी ताईद करता हूं। मैं चाहता यह हूं कि यह जितनी भी दफात चांसलर के इंतखाब के लिए दी गयी हैं। यह पूरी की पूरी रक्खी जायं। जहां तक आपने फरमाया कि चांसलर एक स्प्रिचुअल हेड होता है, हमें वहां जाकर किसी को साधू नहीं बनाना है। हमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फकीर और दरवेश बन करके रूहानी सबक नहीं पढ़ाना है। उसके लिए कुटियां और मुसलमानों की खानकाहें बहुत हैं। जहां रूहानी सबक मिल सकता है। यूनिवर्सिटी में तो जो दिमागी सबक मिल रहा है उसको मुकम्मिल होने दीजिये। उसका हैड उसे रखिये जिस पर अवाम का ऐतमाद हो और ऐतमाद हासिल करने को दुनिया में कोई शकल मौजूद नहीं है सिवा इसके कि मुख्तलिफ राय से चुन कर किसी जगह पर लाया जाय। मैं समझता हूं कि यह डर गैरजरूरी है कि अगर एलेक्शन हुआ तो हमारी यूनिवर्सिटी और उसकी तालीम को कोई नुकसान पहुंचेगा। फाइनैंशल इमदाद के मुताल्लिक जो आपने फरमाया मैं उसको गौर से सुन रहा था। वह एक चीज गौर करने की है कि अगर गवर्नर उसका हेड होता है तो यूनिवर्सिटी में रुपया लगाने में आसानी होगी। अगर हम किसी को एलेक्शन के साथ लाते हैं, तो उस सूरत में हमें गवर्नमेंट से रुपया हासिल करने में तकलीफ होगी। मैं समझता हूं कि यह फिलसफा शायद बड़ी हद तक सही साबित न हो। वजीर तालीम या गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी को रुपया देना चाहेगी तो वह इस वजह से कि एक चांसलर उस इन्तखाब के जरिये से आया लिहाजा उसमें कमी कर दें, ऐसा नहीं होगा। जितना रुपया देना चाहेंगे उतना देंगे। मंशा यह होगी कि रुपया न दिया जाय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाखों रुपया फजूल खर्च कर रही है इसकी बिना पर रोकना चाहेंगे तो आप चाहें किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत को चांसलर बना दें लेकिन वजीर तालीम को मजबूर न कर सकेंगे कि वे बड़ी रकम निकाल कर दें। लेकिन अगर यह यकीन हो जाता है कि तालीम ठीक चल रही है, हमारे अन्दर सलाहियत है कि हम समझा सकें कि जो रुपया गवर्नमेंट ने अवाम का दिया वह बिल्कुल ठीक खर्च हो रहा है। यह कह दें कि तुम्हारे अन्दर सलाहियत ही रही है तब तो इसकी कोई दवा नहीं है। लेकिन हम यह एडमिनिस्टर करके दिखा दें कि जो पब्लिक का रुपया दिया गया है वह ठीक तौर से खर्च हो रहा है। तब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा माली इमदाद देने में उनको कोई दरेग न होगा। इन तमाम खयालात को छोड़ कर जो ऐसे मौके पर इन्वाल्व हो जाया करते हैं कि एक तरमीम हमने रक्खी, एक तरमीम दूसरे ने रक्खी, एक बिल गवर्नमेंट की तरफ से आया या इंडिविजुअल मेम्बर की तरफ से आया, इन बातों को छोड़ कर हमें इस बिल की एक एक दफा पर विचार करना चाहिये और खसूसियत के साथ इस दफा पर गौर करना चाहिये कि हकीकत में हम ज्यादा से ज्यादा सूबे के रुपये देने वालों का एतमाद किस सूरत में हासिल कर सकते हैं। मेरे खयाल में यही शक्ल मुनासिब होगी कि इन्तखाब के जरिये हम चांसलर, वाइस चांसलर को लायें। जो कोर्ट बने वह भी इन्तखाब के जरिये बने और जो नतायज हों उनको पब्लिक के सामने ला सकें और उसी को जिम्मेदार ठहरा सकें कि तुमने गलत आदमी को मुन्तखिब किया। हम कह सकते हैं कि हमने बेहतरीन वजीरे तालीम को लाकर रक्खा। कल को कहा जाय कि हमने ऐसे वजीर तालीम को नहीं रक्खा जो यू० पी० के अन्दर ठीक तौर से वजारत तालीम को चला सके तो हम कहेंगे कि इतने एम० एल० एज० ने उनको चुना है। जब उधर से कोई बात कही जाती है तो उसका हम यही जवाब देते हैं कि चलिये मैदान के अन्दर, जिसको सूबे की अक्सरियत का एतमाद हासिल है वह यहां आयेगा। लिहाजा हमें एक शख्स के मुकाबले में, एक राय के मुकाबले में जितनी ज्यादा राय आम्मा हो उसको चांसलर की ताईद में हासिल करना है। लिहाजा वजीरे तालीम से मेरी दरख्वास्त है कि वे यह इलेक्शन वाली सूरत मंजूर कर लें।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर खास कर चांसलर की नियुक्ति के बारे में कल और परसों से विवाद चल रहा है। मेरी मंशा कतई नहीं थी कि ज्यादा समय सदन का इस पर लिया जाय क्योंकि बहुत से खंड पड़े हुए हैं जिन पर विचार करना हैं। आप जानते है कि मैंने कभी भी सदन का समय नष्ट नहीं किया जिसमें लोगों को आपत्ति हो। मैं शाहिद फाखरी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत खूबी के साथ इस पद्धति का, जिसका जिक्र मैंने संशोधन में किया, अपने भाषण में वर्णन किया। मुझ में उतनी योग्यता नहीं है कि उतनी खूबी के साथ उसका वर्णन कर सकता। उसके वर्णन करने में भी समय नष्ट करना ही होता।

कल से जो विवाद इस विषय पर चल रहा था उसमें दलील यह दी गयी कि चुनाव की पद्धति विश्वविद्यालय में लाना नहीं चाहिये। ज्यादातर इसी बात पर जोर दिया जाता रहा है। जिस चुनाव पद्धति की बदौलत हम यहां पर आज इकट्ठा हैं और जिसको हमने स्वीकार कर लिया है और जिसकी अच्छाई और बुराई को देखकर भली प्रकार से यह निश्चय किया है कि यह ठीक है और जिसकी बदौलत हम यहां पर सारे सूबे का कार्यभार सम्भालने के लिये उपस्थित हैं उसके बावजूद भी हम यहां आकर इस मनोवृत्ति को मानने लग जायं कि चुनाव के अलावा नामिनेशन से कोई काम करें या किसी पद को परपिचुयेट करें, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसमें कोई दलील भी समझ में नहीं आती है। केवल एक चीज समझ में आती है कि आज कल जो धारणा बन गयी है कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुयेट इनडिसिप्लिन्ड हैं। यही धारणा ज्यादातर लोगों की बन गयी है कि उन लोगों में यह बुद्धि नहीं है कि वे चुनाव कर सकें और जिससे हमारे देश का हित हो। ऐसी धारणा आज बन गयी है। इसका रिएक्शन भी दिखाई पड़ता है। ऐसी अनहोनी बातें पारसाल हुयीं और अब भी हुआ करती हैं जिससे वह रिएक्शन एजुकेटेड क्लास में दिखाई देता है और वह एक चेतावनी है जिस बुनियाद पर हम स्वयं खड़े हुए हैं उसको दूसरों से छीनें, उनको हम वह अधिकार न दें, उनका हम विश्वास न करें तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? आज इन्टेलिजेन्शिया में कितना विरोध है इसके बाबत वह सबको विदित है। मैं यह समझता हूं कि इस चेतावनी को हमें स्वीकार कर लेना चाहिये और वह खुले दिमाग से स्वीकार करना चाहिये। लेकिन उस पर हमको यकीन नहीं हो रहा है। हम यह सोचते हैं कि इस चांसलर के पद को गवर्नर के लिये परपिचुयेट कर दें और विश्वविद्यालयों को कोई फ्रीडम न रह जाय। हो सकता था कि हम सब स्वीकार कर लेते लेकिन इस बिल के अन्दर जहां हम यह देखते हैं कि हर एक जगह पर चांसलर द्वारा नियुक्तियां नामिनेशन से भरी पड़ी हैं और इन्टरफियेरेन्स होने की सम्भावना भरी पड़ी है तब यह मालूम होता है कि एक व्यक्ति के ही ऊपर इतना काम लाद देना और एक इन्डिविजुअल की डिस्क्रीशन पर इतना अधिक विश्वास करना घातक होगा। कल श्री नौरंगलाल जी ने बड़ी योग्यता के साथ इस बात पर प्रकाश डाला था कि इसमें गवर्नर महोदय की कोई मुखालफत नहीं है और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट जो होंगे वह पूरी तरह से स्वतन्त्र होंगे कि वह अपना चांसलर किसी भी व्यक्ति को चुनेंगे और मुमकिन है कि योग्य और इंडिविजुअल डिस्क्रीशन पर काम करने वाले हमारे राज्यपाल महोदय न हों और उनमें लोगों की आस्था हो। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वह चुने जा सकते हैं क्योंकि किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। कल यह बातें हमारे मित्र ने कही थीं। जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं उनके ऊपर हमको भरोसा करना चाहिये। जिनके ऊपर हम अपने देश के लिये आशा लगाये हुए हैं कि वह हमारे देश का आगे चल कर गहन भार सम्भालेंगे और वह इसकी तैयारी पर हैं तो उन पर हमको विश्वास करना चाहिये और उन पर किसी प्रकार से अविश्वास करना हमारे देश के लिये घातक होगा। इसलिये यह प्रश्न इस संशोधन के रूप में सदन के सामने आया कि उनके ऊपर यह छोड़ दिया जाय कि यह अपना चांसलर ऐसे प्रमुख इमिनेन्ट आदमी को चुनें जिस पर उनका विश्वास हो। इस पद्धति से योग्य व्यक्ति द्वारा पद के

सम्भालने पर विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा, विश्वविद्यालय का मान बढ़ेगा। लेकिन आज हमारी धारणा यह हो गयी है कि हमको पढ़े लिखे लोगों का विश्वास नहीं है और इसके विरोध में जो बातें कही जाती हैं उसके माने यही हैं लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि यह घातक विचार है। हमें आंखें खोलना चाहिये, हमें देखना चाहिये यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे सामने वे परिस्थितियां आने वाली हैं कि उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जायगा।

किसी सज्जन ने यह कहा कि अगर ये वाइस-चांसलर इलेक्टेड होंगे तो बड़ी धांधली होगी। अध्यक्ष महोदय, धांधली की गुंजायश तो हर जगह रहती है और हर समय रहती है। यह तो व्यक्ति विशेष के गुणों पर निर्भर है। हम चाहे जिस पद्धति को अपनायें चाहे नामीनेशन ही क्यों न थोपा जाय, यदि वह व्यक्ति अच्छा है तो वह अपने डिस्क्रीशन से अच्छा काम कर सकता है लेकिन चुनाव पद्धति से आने वाले व्यक्ति खराब ही होगा यह कहना ठीक नहीं है। आज हम यहां इलेक्शन के द्वारा आकर इकट्ठे हुए हैं और हम सब अपनी कंस्टीट्युयेंसीज से आते हैं। हम लोगों पर लोगों का दबाव पड़ता है लेकिन जो लोग दबने वाले नहीं हैं वे दबाव में नहीं आते चाहे उनकी कोई क्षति हो या न हो। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी ने हमें ऐसे रत्न दिये हैं जो नाजायज चीजों के सामने नहीं झुकते हैं, मैं समझता हूं कि उस डेमोक्रेसी पर विश्वास न करना घातक होगा, यह हमारे लिये खतर की बात है। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---श्रीमन्, जो संशोधन इस सदन के सामने उपस्थित है उसका यदि सही विश्लेषण किया जाय तो उसका निचोड़ यह होगा कि चांसलर की नियुक्ति किस प्रकार से हो। उसके तीन तरीके हो सकते हैं, एक तो यह कि किसी पद के साथ उसको जोड़ दिया जाय जैसा कि अभिप्राय इस पद्धति का है, दूसरा चुनाव का तरीका है, और तीसरा नामजदगी द्वारा हो सकता है। इस देश में तीनों पद्धतियां चालू हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में चुनाव की पद्धति है। लेकिन उसमें, यदि गौर से देखा जाय तो किसी जगह भी चांसलर को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं लेकिन जहां नामीनेशन द्वारा चांसलर की नियुक्ति होती है वहां चांसलर को यह अधिकार है कि वह कोर्ट्स की मीटिंग्स और कन्वोकेशन्स को प्रीसाइड करे। सागर यूनिवर्सिटी का चांसलर चीफ मिनिस्टर है और जिसके बारे में जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि यह ठीक नहीं है और अगर यह कहा जाता है कि चुनाव द्वारा चांसलर नहीं होना चाहिये और विशेषतः ऐसा चांसलर जिसके हाथ में कुछ शक्ति विधेयक या अधिनियम द्वारा केन्द्रित की जाय, उसका यह नतीजा नहीं निकलता कि चुनाव को सरकार खराब समझती है। सवाल तो यह है कि किसी स्थान के लिये हम क्या पद्धति बनाना चाहते हैं। कहा गया कि हम यहां चुने हुए आते हैं, डेमोक्रेसी से आते हैं तब भी अगर हम यह कहें कि चुनाव की पद्धति वहां नहीं होनी चाहिये यह ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो डेमोक्रेसी के विकास के लिये चुनाव ठीक हैं। यदि चुनाव की पद्धति न हो तो डेमोक्रेसी का विकास नहीं हो सकता व चुनाव के आधार पर ही डेमोक्रेसी अवलंबित है उसमें चुनाव की प्रथा ठीक है।

इस प्रकार से उसको जनता का सहयोग मिल सकता है लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जितनी संस्थायें हों सब जगह चुनाव ही होना चाहिये। अगर यह दलील ठीक है तो होना यह चाहिये कि यूनिवर्सिटी का प्रत्येक अध्यापक चुना हुआ होना चाहिये। हम लोग डेमोक्रेसी में चुने हुए लोग हैं और अगर इससे आगे बढ़ा जाय तो यह भी कहा जायगा कि यूनिवर्सिटी का प्रत्येक विद्यार्थी चुना हुआ होना चाहिये।तो डेमोक्रेसीमें यूनिवर्सिटी के अन्दर चुनाव हो या न हो इससे कोई संबंध नहीं है। तो आपको हमको देखना यह है कि यूनिवर्सिटी में अगर हम चुनाव की प्रथा को रखते हैं और उस प्रोत्साहित करते हैं तो उसका

[श्री हरगोविन्द सिंह]

असर क्या होगा। यूनिवर्सिटी का एक अभिप्राय होता है, एक आदर्श होता है जिसके लिये उसकी स्थापना होती है। यदि उन अभिप्रायों को, उन आदर्शों को आप चुनाव द्वारा पा सकें तो जरूर चुनाव होना चाहिये, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसकी यह दलील नहीं होगी कि चूंकि हम लोग सभी चुने गये हैं इसलिये चुनाव का विरोध नहीं कर सकते हैं बल्कि उसकी दलील यह होगी कि चुनाव के द्वारा ही यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय अपने आदर्श की पूर्ति कर सकते हैं। चुनाव को अगर इसमें से निकाल दिया जायगा तो उससे इन आदर्शों की पूर्ति नहीं होगी तो अब तक जितने कमीशन या जितनी कमेटीज इस प्रकार की बैठीं उन सब ने बावजूद श्री तेज प्रताप सिंह और श्री शाहिद फाखरी साहब ने यह कहा कि यूनिवर्सिटीज में चुनाव की प्रथा कम से कम होनी चाहिये क्योंकि इसके द्वारा उसमें दलबन्दी होती है और जब अध्यापकों में दलबन्दी हो जाती है तो वे अपने महान कार्य, जिस कार्य के लिये वे विश्वविद्यालय में हैं उससे अलग हो जाते हैं और वह उनके लिये एक दूसरा कार्य हो जाता है। पहले दर्जे का प्रमुख कार्य उनके लिये चुनाव हो जाता है। इस कारण से वहां चुनाव की प्रथा कम से कम रहनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय शाहिद फाखरी साहब का कितना संबंध यूनिवर्सिटी से है लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि किसी ने चुनाव की प्रथा को प्रोत्साहन देने लिये यूनिवर्सिटी के अन्दर नहीं कहा। उसका मुख्य कारण उन्होंने यही दिया और इस विधेयक में यही रखा गया है कि जहां बिलकुल आवश्यक हो वहां ही चुनाव किया जाय और यही नहीं बल्कि साथ ही यह भी रखा गया है कि चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट से हो। यह इसी कारण कि जिसमें दलबन्दी और गुटबन्दी न हो सके। इस गुटबन्दी का विवरण जो राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में दिया गया है वह हमारे लिये, आपके लिये और सभी के लिये एक लज्जा की बात होती है। जो भी उसको पढ़ेगा और यह देखेगा कि हमारे विश्वविद्यालय इस प्रकार के वातावरण में चल रहे हैं या उसकी हालत है तो जरूर उसका दिल रोयेगा। इस कारण जब हम चुनाव की बात या चुनाव यहां नहीं रखना चाहते हैं तो वह केवल इस कारण नहीं रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे विश्वविद्यालय के लिये अहितकर होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वरना चुनाव प्रथा के हम खिलाफ नहीं है यह दलील मेरी समझ में नहीं आयी कि एजुकेशन मिनिस्टर भी चुने हुए हैं। शायद दूसरा कोई कास्टीट्यूशन बनेगा तो उसमें शाहिद साहब की राय ली जायगी और तब शायद एजुकेशन मिनिस्टर चुने जायेंगे। यहाँ तो हम सब लोग मेम्बर होकर चुने जाते हैं। यहां तो पूरे कैबिनेट को एक आदमी चुनता है। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वे ही अपने कैबिनेट के मेम्बरों को चुनते हैं। उनकी यह दलील बिलकुल बेपाये की है किएजुकेशन मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर का चुनाव होता है। चुने हुए व्यक्तियों में से ही चीफ मिनिस्टर चुनता है। वैसे एजुकेशन मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है। हम सब मेम्बर हैं और मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी की जो सब से बड़ी शक्ति है, जो सबसे बड़ा पद है उसका चुनाव नहीं होना चाहिये। इसलिये हम, आप सभी चुने हुये हैं और हम जानते हैं कि हमको बहुत सी बातें ऐसी करनी होती हैं कि जिससे हम अपने मतदाताओं को खुश रख सकें। डेमोक्रेसी में चुनाव इसीलिये रखा गया है और इसी कारण से वह मुख्य चीज है ताकि चुने हुए व्यक्ति अपने मतदाताओं की सेवा करते रहें और उनको खुश रखने का प्रयत्न करें क्योंकि उन्हीं के सहयोग से प्रजातंत्र सफल हो सकता है। यहां अगर चांसलर की भी चुनाव पद्धति द्वारा नियुक्ति होगी तो वही नियम उसमें भी लागू होंगे जो हमारे आप के लिये लागू हैं। नतीजा यह होगा कि जो अधिकार उसके लिये दिये हैं उनको बरतने में उसको भी ख्याल करना पड़ेगा कि जिन वोटों से मैं चुना गया हूं कहीं उनके विचारों के विरुद्ध तो मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं। तो इसी कारण मैं समझता हूं कि इस तरह से हम यूनिवर्सिटियों की रक्षा भी करेंगे और उनकी सेवा भी करेंगे अगर हम इस ऊंचे पद को चुनाव परिधि से बाहर रखें। इसी कारण से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के स्थान पर नया खंड ७ निम्न रूप में रख दिया जाय:-

७—मूल अधिनियम की धारा १० को निम्न रूप में रख दिया जाय—

10. *The Chancellor*.—(1) The Chancellor shall be elected in the manner hereinafter appearing.

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least sixty days before a vacancy is due to occur or within sixty days after the vacancy occurs in the office of Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person held in high esteem by the public and suitable to hold the office of Chancellor. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person, the persons so selected shall be declared as the Chancellor of the University.

(3) In case unanimity, as envisaged in sub-section (2), is not reached at, the Executive Council shall elect three persons of high reputation and eminence according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) After electing three persons under sub-section (3) the Executive Council shall call thereupon, all the Registered Graduates of the University of three years standing, to elect any one of the three persons as Chancellor according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The person elected under sub-section (2) or (4) shall be the Chancellor of the University. He shall hold office for a period of six years but may at any time relinquish office by submitting not less than ninety days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Executive Council. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and the President of the Court and shall, when present, preside at meetings of the Court and at any Convocation of the University.

(6) The Chancellor shall have such other power as may be conferred on him by this act or the Statutes.

(7) The manner and procedure of election under this section shall be prescribed by the Statutes."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—मुझे खेद है कि आज कोरम न होने से समय बहुत बरबाद हो गया है। असेम्बली का कोरम तो हो ही जाना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय:—

"Provided always that the Governor as Chancellor would act in his individual discretion so far as permissible within limits of the Constitution."

श्रीमन्, इस प्रतिबन्धात्मक वाक्य की आवश्यकता तो मैं इसलिये समझता हूं कि जिस प्रकार विधान की मर्यादा आजकल उसके अनुसार गवर्नर को अनिवार्यत: किसी भी मामले में जिसमें स्टेट फंक्शंस इन्वाल्व हों उनमें केबिनेट की राय से काम करना पड़ता है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १५४ की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसकी उपधारा (२) इस प्रकार है :—

"(2) Nothing in this article shall—

(*a*) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law or any other authority; or

(*b*) prevent Parliament or the Legisiature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor."

उसके हिसाब से किसी भी कार्य के अनुसार उनपर कोई फंक्शन कन्फर नहीं किया जा सकता। तो यह भी कहा जा सकता है कि चांसलरशिप हम इस ऐक्ट के जरिये से गवर्नर पर लाद नहीं सकते मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बैंच के सामने नहीं आया है लेकिन मुझे खतरा नजर आता है कि धारा १५४(२) संविधान की जो है वह कोर्ट में पेश की गई तो हमारे गवर्नर का चांसलर बनना ही खटाई में न पड़ जाय। लेकिन फिर भी इसको स्पष्ट करने के लिये यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिये जायं और ये प्रतिबन्धात्मक वाक्य संविधान की धारा १६३ (१) के अनुसार उचित मालूम पड़ते हैं :—

"(1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.'

तो डिस्क्रीशन शब्द का प्रयोग कांस्टीट्यूशन में किया गया है कि केवल ऐसे कारणों को छोड़कर जबकि गवर्नर यह समझता है कि उनके डिस्क्रीशन में है बाकी सब में स्टेट गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर का या कैबिनेट की राय लेनी पड़े तो गवर्नर को और चांसलर को अलग अलग करने के लिये और यह स्पष्ट करने के लिये जो गवर्नर चांसलर होंगे वह स्टेट गवर्नमेंट की राय से कोई भी कार्य यूनिवर्सिटी के संबंध में नहीं करेंगे, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिये डिस्क्रीशन शब्द का लाना जरूरी है और इसीलिये इन प्रतिबन्धात्मक वाक्यों का जोड़ा जाना बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ ही हमने ऐज फार ऐज पासिबिल विदिन दि लिमिट्स आफ दि कांस्टीट्यूशन होना चाहिये वह भी हमने रख दिया है। १६३(१) और १६३ (२) को जो हमने पढ़कर सुना दिया है उसको देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस आवश्यक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राविजन को अवश्य रखें। मैं तो यह कहूंगा कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार और गवर्नर के बीच में जो संबंध है वही संबंध चांसलर और सरकार के बीच में एक प्रकार से हो जायगा।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के संशोधन का विरोध करता हूं। तिवारी जी का यह संशोधन अनावश्यक है। यह अनावश्यक क्यों है ? इस आधार पर कि जहां तक मैं समझता हूं गवर्नर और चांसलर दोनों यद्यपि इस कानून के अनुसार एक ही व्यक्ति होगा, किन्तु दोनों के दो पद हैं। गवर्नर महोदय यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नर पर जो जो बंधन हैं वह सब चांसलर पर भी होंगे। चांसलर अपने यूनिवर्सिटी ऐक्ट से बंधा हुआ होगा और गवर्नर अपने गवर्नर होने के नाते जो पद और अधिकार होंगे उसमें बंधा हुआ होगा। मेरा जहां तक खयाल है यूनिवर्सिटी ऐक्ट में कोई ऐसी धारा नहीं है जिसमें लिखा हो कि चांसलर गवर्नर की राय से, अपने मिनिस्टरों की राय से कार्य करेगा। इसमें कोई ऐसी धारा नहीं है। इसलिये हम नहीं कह सकते कि गवर्नर जब चांसलर का काम करता रहेगा वह किसी भी स्थिति में बाध्य होगा कि वह मिनिस्टरों की सलाह प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आपका यह कहना अनावश्यक है।

बहरहाल थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय, यद्यपि यह दर्ज नहीं है कि चांसलर की हैसियत से काम करते हुये गवर्नर को जो रेस्ट्रक्शंस हैं, उनसे वह बाध्य है। अगर थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाय तब मैं कहता हूं कि यह संशोधन इनकनसिस्टेंट होगा। उसकी वजह यह है कि जब हम कान्सटीट्यूशन की यह धारा पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि कुछ बातें जो इसमें हैं उनको छोड़कर के शेष सभी में काउंसिल आफ मिनिस्टर्स को अधिकार होगा कि गवर्नर को सलाह दे। इस पर फिर से गौर किया जाय। इसमें लिखा है :—

163 (1) There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his descretion.

इसके अन्दर कोई अगर बात हो जिसमें वह विवेक से काम करेगा उसको छोड़कर अन्यत्र सब जगह गवर्नर, अगर वह अर्थ माना जाय जैसा कि तिवारी जी मानते हैं, को ऐडवाइस करने के लिये मिनिस्टर को अधिकार है और उसका कर्त्तव्य होगा। नियम बनाने का यह मतलब हो जायगा कि यदि यह संशोधन न लाया जाय तो गवर्नर को ऐडवाइस करेंगे, उनका फंकशन होगा कि सलाह दें और ऐसी स्थिति में गवर्नर महोदय को सलाह मानने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जब ऐसा अर्थ लगाया जाता है तब आपका यह संशोधन लाना व्यर्थ हो जायगा कि आप जो रेस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, वह नहीं लाया जा सकता है। गवर्नर किन स्थितियों में अपने डिस्क्रिशन से काम ले सकता है वह कान्स्टीट्यूशन में होना चाहिये। इसमें एक स्थान पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिये कि चीफ मिनिस्टर के चुनाव का प्रश्न आता है, उसको चुनने के लिये गवर्नर अपनी कैबिनेट से राय लेने के लिये बाध्य नहीं है, वह अपने विवेक में स्वतंत्र है। इसके अलावा और भी प्रश्न ऐसे पैदा हो सकते हैं कि कहां कहां वह विवेक से काम करने के लिये स्वतंत्र है। जब कभी ऐसा झगड़ा आयेगा तो वहां गवर्नर को अधिकार होगा कि वह निर्णय करे। लेकिन जितने अधिकार होंगे वह सब अन्डर दी कान्स्टीट्यूशन या बाई दी कान्स्टीट्यूशन इसके अन्दर ही होंगे। कोई दूसरा एनेक्टमेंट गवर्नर के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऐक्ट की किसी धारा को कोई अधिकार नहीं होगा कि गवर्नर से यह कहे कि आप इस मामले में स्वतंत्र हैं और मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं है कि आपको सलाह दे। मैं इसलिये कहता हूं कि कान्स्टीट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर महोदय मिनिस्टर्स की राय मानने के लिये बाध्य हैं। मैं परम्परा की बात छोड़ता हूं। जहां तक कानून का प्रश्न है कांस्टीट्यूशन में कहीं नहीं है कि गवर्नर बाध्य है। एक धारा दी गई है कि अदालत में यह प्रश्न नहीं पैदा किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशभान राय]

जा सकता है कि मिनिस्टर ने या केबिनेट ने राय दी है या नहीं दी। वह केवल इस मंशा से है कि गवर्नर को राय दी जाय या न दी जाय इस रहस्य को छिपाये रखने के लिये अथवा यों कहिये कि गवर्नर महोदय को सब अधिकार हैं इस बात को सुरक्षित रखने के लिये वह धारा रखी गयी है। इसलिये यह सोचना कि गवर्नर बाध्य है कैबिनट की राय को माने, यह नहीं है। अब यह दूसरी बात है कि परिस्थिति के अनुसार विवश हो करके माने। लेकिन कानून में मानने के लिये बाध्य नहीं है। अगर यह मानते हैं कि बाध्य है तो मुझको बतायें कि किन-किन अवस्थाओं में वह सलाह लेंगे इसमें वर्णित हैं। इसलिए इन दोनों बातों पर विचार करते हुए मैं यह समझता हूं कि यह अनावश्यक है और यदि अनावश्यक नहीं है तो कम से कम यह इनकांसिस्टेंट है। इसलिये मैं चाहता हूं कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी अपने इस संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी तिवारी, मैं इसको मानते हुए कि एक अध्ययनशील व्यक्ति हैं और हमेशा उनकी आदत भी है कि वह काफी अध्ययन करें और सोचें और विचारें, इस बात को मानते हुए भी मुझे आश्चर्य हुआ उनके इस संशोधन का अर्थ क्या है? वह क्या चाहते हैं, यह भी विचारणीय प्रश्न है। इसमें अगर देखा जाय और उनके संशोधन को पढ़ा जाय तो लिखा हुआ है कि "Provided always that, the Governor as Chancellor would act in his individual discretion so far as permissible within limits of the constitution." इसका अर्थ यह हुआ कि वह चाहते यह हैं कि विदिन दी लिमिट्स आफ दी कांस्टीच्यूशन, विधान के अन्तर्गत जितना कि उनको डिस्क्रीशन प्रयोग करने का अधिकार है वह अधिकार उनको दिया जाय और उसी के अनुसार वह काम करे। अगर अर्थ लगाया जाय तो अर्थ केवल यही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर विधान के अन्दर उनको अधिकार है कि वह अपने डिस्क्रीशन का प्रयोग करें, अपने अधिकार का प्रयोग विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी करें तो अगर विधान में यह नियम है, विधान में उनको यह अधिकार है तो फिर इस प्रस्ताव के उपस्थित करने का क्या कारण रह जाता है। मैं समझता हूं इसमें विधान में जैसा हमारे माननीय पूर्व वक्ता महोदय ने बतलाया है उनको यह डिस्क्रीशन अप्लाई करने का अधिकार है मैं भी इसको मानता हूं और माननीय नारायण दत्त जी भी इसको मानते होंगें कि डिस्क्रीशन अप्लाई करने का अधिकार उनको विधान के अन्तर्गत है। तो फिर इस संशोधन के उपस्थित करने का क्या कारण है? मालूम यह होता है कि विधान में इसके रहते हुए भी वह यह चाहते हैं कि एक खास अधिकार गवर्नर महोदय को दे दिया जावे कि वे अपने इस अधिकार का प्रयोग करें जहां तक कि उनकी हैसियत चांसलर की रहती है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय नारायण दत्त जी से कि यह संशोधन अनावश्यक है और रिडंडेंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विधान के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है, उसी के अन्तर्गत वह अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इसको उठा लें।

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन को पढ़ने के बाद और तिवारी जी के भाषण को सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि तिवारी जी को गवर्नर की जो ड्यूअल कैपेसिटी है, दोहरी परसनालिटी है—एज चांसलर और एज गवर्नर, उस पर कुछ भ्रम हो गया है। पिछले दिनों में गवर्नर को चांसलर बनाने के सम्बन्ध में जो बहस की गई थी उसके कारण भी उनको कुछ भ्रम हो गया है। बहस यह की गई थी कि स्टेच्यूट्स कुछ ऐसे बन सकते हैं जिनमें कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फाइनेंशल इम्पलीकेशंस हों। तो गवर्नर यदि चांसलर होगा तो वह पहले अपनी कैबिनेट से या मिनिस्टर्स से सलाह लेकर देख सकता है कि फाइनेंशल इम्पलीकेशंस कहां तक गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकती है अगर वह इम्पलीकेशंस गवर्नमेंट पर भी आते हैं तो इस कारण से शायद उनको भ्रम हुआ। गवर्नर कांस्टीच्यूशन के रूप से कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पर चलेगा। आज भी जो मौजूदा विधान है, ऐक्ट है यूनिवर्सिटी का और उसमें भी और जो विधेयक संशोधित रूप में आ रहा है उसमें भी पूरे रूप से चांसलर को इस बात का अख्तियार है कि वह अपने डिस्क्रीशन से काम करे। अगर यह लिख दिया जाय जो कि तिवारी जी ने रखा है तो उसके बाद भी जब अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि चांसलर यह जरूरी समझे कि किसी मामले में अपनी कैबिनेट या मिनिस्टर से सलाह लेनी चाहिये तो क्या वह चाहेंगे कि उस हालत में भी कि वह जरूरत रहते हुये भी सलाह न लें।

आज उन्हें पूरा अधिकार है, पहले ऐक्ट से भी और संशोधन विधेयक से भी वह अपने डिस्क्रीशन से काम करें और जहां जरूरी समझें वहां सलाह लें। इसलिये इस प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस लें ले।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन की स्प्रिट से सहमत हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। हो सकता है कि इसकी शब्दावली इलवर्डेड हो। हमारे अमेंडमेंट बिल में चांसलर को इतनी पावर्स दी गई है एप्वाइंटमेंट्स और वाइस-चांसलर के सेलैक्शन इत्यादि के बारे में। तो कम से कम इतना तो चैक उन पर होना ही चाहिए कि ऐज चांसलर व अपने डिस्क्रशन से काम करें चाहे ऐज गवर्नर वह काउंसिल आफ मिनिस्टर्स से सलाह लेगें। एक ही व्यक्ति एक ओर चांसलर और दूसरी ओर गवर्नर हो तो वह निश्चय ही कुछ हद तक सहमत होंगें अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस से। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमेशा कांग्रेस सरकार ही रहे। दूसरे दलों की सरकारें भी आ सकती हैं और उस समय जो गवर्नर होगा तो कम से कम उस पर यह जरूरी है कि वह अपने विवेक से काम कर सकें। हां, फाइनेंसेज के बारे में गवर्नर गवर्नमेंट से सलाह ले सकता है। इसलिये इतने प्रतिबन्ध में कोई हानि नहीं है।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन का मैं विरोध करना चाहता हूं। प्रिजम्प्शन जिसके बेसिस पर यह संशोधन लाया गया है वह मैं समझता हूं कि क़तई इल्लीगल है। वह समझते हैं कि कांस्टीटच्यूशन आफ इंडिया में गवर्नर का एक फंकशन यूनिवर्सिटी का चांसलर होना भी है। इसीलिये वह अपने अमेंडमेंट की सपोर्ट में कंस्टीटच्यूशन की धाराओं को साइट करते हैं और वह यह बताते हैं कि कुछ फंकशंस गवर्नर के डिस्क्रीशनरी हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें वह मिनिस्टर्स की सलाह लिया करेंगे। इसलिये माननीय सदस्य इससे जो इनफरेंस निकालना चाहते हैं वह नहीं निकल सकता है, क्योंकि जहां तक चांसलर का प्रश्न है इसके लिये यूनिवर्सिटी ऐक्ट है, उसके लिये कंस्टीटच्यूशन नहीं है। कंस्टीटच्यूशन की कोई भी धारा उसके ऊपर लागू नहीं होती। अगर कंस्टीटच्यूशन के अन्दर कोई प्रावीज़न है तो क्या यह सदन उस पर कोई फरदर प्रतिबन्ध लगा सकता है? मैं समझता हूं कि यह माननीय सदस्य की भूल है। इसलिये यदि कंस्टीटच्यूशन में वह कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो वह पार्लियामेंट ही कर सकती है, हाउस आफ दि पीपल ही कर सकता है। इसलिये उनके दिल में ग़लतफहमी है और यह संशोधन मिसकंसीव्ड है जिसे उठाने का उन्हें पूरा अधिकार है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इसे उठा लें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—अभी मैं एक मौका माननीय श्रीचन्द्र जी को और दे दूं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दूसरे छोटे छोटे स्कूलों में झगड़े प्रायः हुआ करते हैं उसी प्रकार से यूनीवर्सिटी की जितनी कमेटियां हैं और चांसलर का जहां तक सम्बन्ध है उनमें झगड़े होने की सम्भावना रहती है। यदि इस प्रकार से स्वतन्त्र रूप से चांसलर को अधिकार नहीं है कि वह अपने विचार प्रकट कर सके तो मैं समझता हूं कि वह झगड़े समाप्त नहीं हो सकते हैं। यह तो परम आवश्यक है कि मिनिस्टर या गवर्नमेंट के सलाह मशविरे से गवर्नर काम करे लेकिन जहां तक चांसलर का सम्बन्ध है वह इन झगड़ों के सम्बन्ध में और यूनीवर्सिटी के कार्य के सम्बन्ध में चांसलर के स्वतन्त्र विचार न हों तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से चांसलर को रखना तो एक व्यर्थ सी चीज होगी।

इसलिये मैं देख रहा हूं कि जो संशोधन दिया गया है उसमें इंडिवीजुअल डिसक्रीशन शब्द आये हैं यानी उसमें चांसलर अपने विवेक से काम ले और जिसको आज्ञा कांस्टीटचूशन देता है उसके अन्दर वह कार्य करे। यहां पर भी कानूनी ढंग से या वैधानिक ढंग से चांसलर बना हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कोई ऐसे विचार प्रगट न करे। इसलिये मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं कि यह संशोधन अत्यन्त उचित है और यह मानने के योग्य है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र मेहरोत्रा जी और मिश्रा जी के भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मैंने चेष्टा की कि मैं उनके विधान सम्बन्धी तर्क को ध्यान से सुनूं। श्रीमन्, मैंने दुबारा जो पहिली बात कही उसका मुख्य आधार यह है जिसको मैं पुनः प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने दुबारा विधान को पढ़ने की कोशिश की और कल रात्रि भर मैं इस बात की चेष्टा करता रहा कि मैं देखूं कि आया हम विधान के अनुसार गवर्नर को चांसलर बना भी सकते हैं या नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं कोई विधान वेत्ता नहीं हूं, कांस्टीटचूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं। लेकिन बार-बार पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि धारा १५४ (२) के अनुसार हम गवर्नर को चांसलर नहीं बना सकते हैं जब तक हिन्दुस्तान के कांस्टीटचूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा और उसके अन्दर गवर्नर को चांसलर बनाने का अधिकार नहीं दिया जायगा तब तक हम नहीं बना सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर मान लिया जाय कि कल को इस प्रकार का संशोधन कांस्टीट्यूशन में कर लें कि गवर्नर चांसलर हो जाय लेकिन फिर भी आर्टीकल १६३ (ए) आ जाता है। उसमें कहा गया है कि गवर्नर अपने फंकशन्स में केबिनेट से एडवाइज करेगा और कौंसिल आफ मिनिस्टर्स से एडवाइज करेगा। जहां तक कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर अपने डिसक्रीशन से काम करेगा, मैंने ऐसी गुंजायश की है कि जिसमें स्पष्ट हो सके कि जब कभी गवर्नर चांसलर के रूप में काम करेगा तो वह अपने डिसक्रीशन के मातहत काम करेगा। आज क्या हालत है। हमारे माननीय मंत्री जी एक भी काम बतला दें जिसको कि आज वर्तमान राज्यपाल इंडिविजुअल डिस्क्रीशन के अनुसार काम करते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि नान-स्टेट ऐक्टीविटी अगर कोई है तो कुलपतीज लेटर लिखने में शायद मंत्रिमंडल का कोई इंटरवेन्शन न हो या कभी-कभी किसी कालेज में कन्वोकेशन ऐड्स देने में न हो बाकी हर कार्य जो गवर्नर के नाम से वर्तमान राज्यपाल करते हैं उसमें कैबिनेट की सलाह लाजिमी होती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां कहीं भी स्टेट फाइनेंसेज इन्वाल्व होते हैं, जहां कहीं राज्य का स्वार्थ निहित होता है वहां पर उनको केबिनेट की राय लेने की जरूरत पड़ती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली के इतने दिनों के तजुर्बे के बाद भी अगर हम कोई अनुभव प्राप्त न कर सके तो मुझको बड़ा दुःख है। मैं तो यही चाहता हूं कि विधान के अनुसार कार्य हो। स्टेट लिस्ट के आइटम ११ के अनुसार हम यूनिवर्सिटीज का विधान बना सकते हैं। लेकिन उसी विधान में दिया हुआ है कि हम जब तक यह साफ नहीं करते कि उनका इंडीविजुअल डिस्क्रीशन होगा तब तक जैसा कि माननीय नेकराम जी और माननीय श्रीचन्द जी ने कहा हम गवर्नर को और स्टेट गवर्नमेंट को एक चीज बना देंगे। अगर माननीय मंत्री जी स्टेट गवर्नमेंट को ही चांसलर बनाना चाहते हैं तो यह उनकी खुशी है। लेकिन अगर वह यह चाहते हैं कि गवर्नर चांसलर स्टेट गवर्नमेंट से कोई अलग चीज हो तो मैं उनसे कहूंगा कि इन प्रतिबन्धात्मक वाक्यों को अवश्य जोड़ें। जहां तक वैधानिक प्रश्न है मैं एक गलती अपनी स्वीकार कर सकता हूं कि मैंने उस समय प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया। लेकिन आज मेरा स्पष्ट व्यू हो गया है कि जब तक विधान में संशोधन नहीं होता तब तक इस असेम्बली को कोई अधिकार नहीं है कि हम गवर्नर को चांसलर बना सकें।

डाक्टर सीताराम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय तिवारी जी को माननीय केशभान राय जी के जवाब से यह विदित हो गया होगा कि उन्होंने किस तरह से उनके संशोधन का विरोध किया है। सन् १९२१ में जब यह ऐक्ट बना था उस वक्त गवर्नर चांसलर की शक्ल में रहते हुये सिर्फ सिम्बल था लेकिन इंटर्नल केपेसिटी में वह यूनिवर्सिटी के सब कामों को देखता रहता था। लेकिन अब पोजीशन बिल्कुल चेंज हो गयी है क्योंकि सन् १९४६ में जब से इस देश में जनतंत्रात्मक प्रणाली स्थापित हुई तब से स्टेटचूट्स और आर्डिनेंसेज को गवर्नर बिना कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के एप्रूवल के अपनी एसेंट देकर यूनिवर्सिटी को नहीं भेज सकता है। साथ ही साथ जहां पर फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स आयेंगे वहां पर बिना कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के गवर्नर या चांसलर को अधिकार नहीं है कि यूनीवर्सिटी को भेज दें। माननीय नारायण दत्त तिवारी ने हमेशा मूथम इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट को सदन के समक्ष कोटेशन के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि सफा १५२ पर जो मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है इस चांसलर के बारे में उसको पढ़ें।

अब मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय तिवारी जी अपने संशोधन को वापस ले लें और मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"'Provided always that the Governor as Chancellor would act in his individual discretion so far as permissible within limits of the Constitution."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ३, १९२१ की धारा ११ का संशोधन।

"The Vice-Chancellor. 11. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University and be appointed by the Chancellor in the manner provided in this section.

(2) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are prescribed by the Statutes and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(4) No person who has at any time previously held the office of Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8) shall be eligible for re-appointment.

(5) The Executive Council shall, as far as may be, at least forty days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the person to be recommended to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him, and if it fails to decide unanimously the name of any person it shall adjourn to a date within ten days next following. At the adjourned meeting, if the Executive Council—

(*a*) decides unanimously the name of any person, he shall be recommended to the Chancellor who shall thereupon appoint him;

(*b*) is unable to decide unanimously the name of any person it shall in the same meeting decide names not more than three in number of persons suitable. for being recommended to the Chancellor; Provided that if more than three names are proposed in that behalf it shall choose three out of them according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. The name so chosen shall then be recommended to the Chancellor.

(6) On receipt of the recommendation under clause (*b*) of sub-section (5) the Chancellor may, in his discretion—

(*a*) appoint as Vice-Chancellor any one out of the persons recommended by the Executive Council, or

(*b*) return the names to the Executive Council for reconsideration.

(7) Where the Chancellor has returned the names for reconsideration under clause (*b*) of sub-section (6) the Executive Council shall be free—

(*a*) to recommend to the Chancellor the name of any person decided unanimously in which case the person whose name is so decided shall be appointed by the Chancellor, or

(*b*) to recommend to the Chancellor, in case it is unable to decide unanimously the name of any person, the names previously recommended by it or any names, not exceeding three in number, decided in the manner laid down in sub-section (5), and the Chancellor shall appoint any one out of the names so recommended.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Chancellor. If the vacancy is, or is likely, to last for a period exceeding six months, the Chancellor shall call upon the Executive Council to forward its recommendations and the provisions of sub-section (1) and (5) to (7) shall in so far as may be, apply for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(9) Until arrangements have been made under sub-section (8), the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities.

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ८ को निम्न रूप में रख दिया जाय :---

"८---मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

The Vice-Chancellor

11. (1) The Vice-Chancellor shall be elected in the manner provided in this section.

(2) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are prescribed by the Statutes and shall not be varied to his disadvantage after his election.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(4) The Executive Council shall, as far as may be, atleast forty-five days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the persons to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be sent to the

[श्री जोरावर वर्मा]

Chancellor who shall thereupon confirm him, and if it fails to decide unanimously the name of any person it shall adjourn to a date within a week next following at the adjourned meeting, if the Executive Council—

(*a*) decides unanimously the name of any person, it shall be sent to the Chancellor who shall thereupon confirm him.

(b) is unable to decide unanimously the name of any person it shall elect persons not more than three in number according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The Court shall elect any one of the persons elected under clause (b) of sub-section (4) and send his name to the Chancellor for confirmation.

(6) The person elected under sub-section (4) or (5) shall be the Vice-Chancellor of the University.

(7) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Executive Council, which , in case the vacancy is or likely to last for a period exceeding six months, shall act according to the provisions of sub-section (4), (5) and (6) for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(8) Until arrangements have been made under sub-section, the Registrar shall carry on the current duties of the office of the Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities."

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह जो अमेंडिंग बिल रखा गया है अगर हम इसको देखें और जो हमारा पहले का ऐक्ट था उसको भी देखें तो इससे पता लग जायगा कि हमारी सरकार वाइस-चांसलर (उपकुलपति) की नियुक्ति में भी किस तरह से हस्तक्षेप करना चाहती है।

यह सब जानते हैं कि अभी तक जो वाइस-चांसलर की नियुक्ति की प्रणाली रही है और उस दृष्टि से जब हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को देखते हैं तो सम्भवतः शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहां नामिनेशन से उप-कुलपति की नियुक्ति होती हैं, उन वाइस-चांसलर के मुकाबले में कोई आदमी अच्छा आया हो। लेकिन इतने पर भी हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटी में हस्तक्षेप करने के लिये यह ऐसा विधेयक पेश किया है जिससे कि वहां की स्वतन्त्रता ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का जो कामकाज चलता है सम्भवतः उसमें भी कठिनाई पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस ऐक्ट के अनुसार यह था कि इक्जिक्यूटिव काउन्सिल (कार्यकारिणी समिति) अपना एक नाम चुनती थी यद्यपि कुछ ऐसा रिवाज बना हुआ था कि एक के बजाय तीन नाम पेश किये जाते थे। इससे लोगों को यह शिकायत थी जैसे कि आदरणीय डाक्टर अमरनाथ झा ने भी बताया कि कुछ डमी कैंडीडेट मैजारिटी पार्टी के रख लिये जाते थे

ताकि माइनारिटी पार्टी का कोई आदमी न आ सके। इससे लोगों को उससे बड़ी नफरत थी आज इस सरकार को सम्भवतः उस डिफेक्ट (खराबी) की आड़ में यह मौका हाथ लग गया कि वह यूनिवर्सिटी के शासन में भी दखलअन्दाजी हस्तक्षेप करे। उपाध्यक्ष महोदय, बजाय इसके कि इसमें एलेक्शन या सेलेक्शन होता जिससे हमारी यूनिवर्सिटी को अच्छा वाइस-चांसलर मिले उन्होंने एक नामिनेशन की प्रणाली रख दी। जिस प्रकार मैंने बताया था कि असोसिएटेड कालेज का प्रोबिशन करके उसके यूनिटरी कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया है। चांसलर गवर्नर को बना कर यूनिवर्सिटी को बिल्कुल कठपुतली बना दिया उसी प्रकार से चांसलर के लिए नामिनेशन की प्रणाली रख कर यूनिवर्सिटी में समझता हूं कि एक पाठशाला या किंडरगार्टेन के रूप में हमारे सामने आ रही है। जहां तक देश के महान् विद्वानों का मत है उनका यह कहना है कि यूनिवर्सिटी के कर्तव्यों का एक अंग यह भी है कि वह अपना वाइस चांसलर 'स्वयं चुनें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मैं आपकी आज्ञा से आदरणीय राधाकृष्णन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके पेज ४२२ पर उसने यह कहा है—

"It is really a part of University's duty to learn how to choose its own Vice-Chancellor wisely and that therefore to deprive it of this duty would be a councel of despair."

उपाध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन् जी का कमीशन यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध में सब से श्रेष्ठ कमीशन था और यह उसका विचार है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस अमेंडिंग बिल में लिखा है कि हम उसमें जो संशोधन लाये हैं वह राधाकृष्णन् कमीशन और मूथम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लाये हैं। तो राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट से पढ़ कर मैंने आपको एक उद्धरण सुना दिया। अब मूथम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ १५४ पर यह कहा है—

"Selection of Vice-Chancellor-It is clear, we think, that the Vice-Chancellor must be a man with exceptional qualifications. How is he to be found? Under the present system the Executive Council recommends three or more names to the Court; and the Court proceeds, subject to confirmation by Chancellor, to elect one of the Executive Council's nominees as Vice-Chancellor. It has been said that this is a system which has worked well in the past; that may be so; certainly the Universtity has had great Vice-Chancellors."

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री ने बड़े जोरों के साथ यह कहा है कि राधाकृष्णन् कमीशन ने चांसलर के लिए यह कहा है कि अब तक जो चांसलर्स गवर्नर होते आये हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया है। उनकी कोई शिकायत नहीं है कि गवर्नर को चांसलर नहीं होना चाहिये। उसी प्रकार से हमारी मूथम कमेटी जिसको हमारी सरकार ने अपना आधार माना है उसी प्रकार से उनका यह विचार है कि अभी तक जो वाइस-चांसलर की प्रणाली रही है उसने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रणाली में कुछ दोष जरूर रहे हैं, जैसा कि कमेटी ने बताया है कि तीन खराबियां हैं एक्जिक्यूटिव कौंसिल द्वारा वाइस-चांसलर चुनने में। एक तो मेजारिटी पार्टी का कैंडिडेट ही वाइस-चांसलर हो पाता था। दूसरे यह कि अध्यापक यद्यपि कोर्ट में कम तादाद में हैं लेकिन कार्य रूप में यह देखा जाता था कि मीटिंग्स में उनका बहुमत रहता था। इसलिये अध्यापकों का ही वाइस-चांसलर चुना हुआ होता था। तीसरी बात यह है कि इस प्रकार से अध्यापकों में गुटबन्दी होती थी। जैसा कि यहां बताया गया है कि इन्हीं खराबियों को दूर करने के लिये यह अमेंडिंग बिल पेश किया गया है।

(कोरम के लिये इस समय घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हो गया।)

श्री चन्द्रसिंह रावत---देखिये आपका संशोधन इतना डल (नीरस) है कि कोरम पूरा नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा---यह मेरा नहीं बल्कि सरकार का दोष है कि सरकारी काम को पूरा करने के लिये वे कोरम को भी पूरा नहीं रखते कांग्रेस में ऐसे डल (नीरस) आदमियों को टिकट दिया जो सरकारी काय में भी सहयोग नहीं करते।

(जोरों की हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसमें जो डिफेक्ट्स खराबियां हैं बजाय उन डिफेक्ट्स को दूर करने के सरकार ने वाइस-चासलर को ही हटा दिया और बजाय इसके कि यूनीवर्सिटी वाइस-चांसलर को चुने, नामिनेशन को पद्धति कर दी जिससे गवर्नर उसका एप्वाइंटमेंट करेगा। अगर आप इस अमेंडिंग बिल को पढ़ें तो उपाध्यक्ष महोदय उससे साफ जाहिर हो जायगा कि यहां ऐसी व्यवस्था की गई है जहां दो बिल्लियां एक रोटी के बटवारे के लिये लड़ती हैं तो इतने ही में वहां एक बन्दर आ जाय तो वह रोटी कभी इधर बढ़ा कर बढ़ती करते कभी उधर इस प्रकार से एक समय ऐसा आया कि रोटी ही खत्म हो जाय और बिल्लियां लड़ती ही रह गईं। इसी तरह से जिस समय एक्जिक्यूटिव कौंसिल में ऐसी परिस्थिति हो---अगर एक नाम भेजें तो बहुत अच्छा---गर एक न आये तो तीन नाम चुन कर भेजे और जो तीन नाम सरकार के पास यानी गवर्नर (चांसलर) महोदय के पास जायं तो गवर्नर (चांसलर) महोदय को यह अधिकार होगा कि या तो वह उनमें से जिसको चाहते हों उसको एप्वाइंट (नियुक्त) कर दें और यह उनकी निगाह में जिसको नियुक्त करना चाहते हैं वह नाम उन तीनों में न आया हो तो वह फिर एक्जिक्यूटिव कौंसिल के पास उन तीनों नामों को रिकंसीडरेशन (पुनः विचारार्थ) के लिये भेज दें।

फिर एक बात यह भी है कि जो तीन नाम गवर्नर महोदय (चांसलर) के पास जायंगे तो हमारे चांसलर महोदय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि उनमें चाहे कोई माइनारिटी पार्टी का रिप्रेजेन्टेटिव क्यों न हो अगर चांसलर महोदय उनको चाहते हैं तो उसी को नामिनेट कर देंगे और जो बहुमत का विचार है उसको एक्सेप्ट (स्वीकार) नहीं करेंगे।

श्री शिवनारायण---इसमें आपका क्या नुकसान है ।

श्री जोरावर वर्मा---जो कुछ आपको कहना हो वह उठ कर कहिये इस प्रकार रोज-रोज बन्दर की तरह उचकना बीच में टोकना ठीक नहीं लगता।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। वर्मा जी ने जो यह कहा कि उनका बन्दर की तरह उचकना ठीक नहीं है क्या ये शब्द पार्लियामेंटरी हैं। क्या यह मेम्बर पर रिफ्लेक्शन नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये ?

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसे वापस लने में कोई संकोच नहीं परन्तु आपके द्वारा मैं यह कहूंगा कि जिसको जो बात कहनी हो वह उठ कर खड़े हो जायं और कहें। इस तरह बीच में सीट पर उचकना अच्छा नहीं लगता।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---जब उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है तो उसके बाद माननीय सदस्य उस एतराज को दोहरा नहीं सकते ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--उन्होंने अपने शब्द तो वापस ले लिये लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसे मोशन्स यहां पर किये जो कि हमारे हाउस के माननीय सदस्य के लिये एक रिफलेक्शन है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--यह तो स्टैबलिस्ड फैक्ट है कि सम्बन्धित सदस्य को सम्बोधित करके ही कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री जोरावर वर्मा-- हां, मैं यह कह रहा था कि इस तरह से यह प्रणाली हो जायगी कि बजाय इसके कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल द्वारा वायस-चांसलर के चुनाव में कुछ सुधार किया जाय। हमारी सरकार ने वह अधिकार गवर्नर या चांसलर महोदय को दे दिया है कि वह नाम मात्र के लिये लड़ाने के लिये एक्जिक्यूटिव कौंसिल से उसका एलेक्शन करायेंगे। इस प्रकार एक्जिक्यूटिव कौंसिल जो है वह उप-कुलपति के लिये तीन नाम सजेस्ट (प्रस्तावित) करे। अगर वह तीन नामों का सुझाव न दे सके और इससे ज्यादा नाम हों तो उसका सिंगिल नान-ट्रांसफरेबिल वोट के द्वारा उसका चुनाव कराया जाय और जब चांसलर के पास वह नाम भेजे जायं तो यह उनकी मर्जी पर होगा कि उनमें से चाहे जिसे उप-कुलपति नियुक्त करें। पेज ६ पर इस विधेयक के यह दिया हुआ है कि--

(6) On receipt of the recommendation under clause (*b*) of sub-section (5) the Chancellor may, in his discretion—

(*a*) appoint as Vice-Chancellor any one out of the persons recommended by the Executive Council, or

(*b*) return the names to the Executive Council for reconsideration.

यह ठीक है, लेकिन यह देखने में ऐसा लगता है कि पुनर्विचार के लिये चांसलर उसको भेजेगा। लेकिन उसका रहस्य यह जादू वास्तव में यही होगा कि उसमें उसकी मर्जी कृपादृष्टि के लिये गुंजाइश छिपी हुई है और उसमें यह भावना निहित मालूम होती है। अगर हमारे गवर्नर, चांसलर महोदय की समझ में कोई ऐसा नाम नहीं आया जिसे वह नियुक्त करना चाहते हैं तो इसकी हद नहीं है कि वह दो बार लौटायेंगे या चार बार लौटायेंगे या सौ बार लौटायेंगे। इसके लिये उसमें कहीं पर कोई समय नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे चांसलर के अनेक बार लौटाने पर जब एक्जिक्यूटिव कौंसिल किसी ऐसे आदमी का नाम भेजेगी जिसको हमारी सरकार चाहेगी तो उपकुलपति उसको फिर नियुक्त किया जायगा। इस तरह से चांसलर को जिस प्रकार का अधिकार दिया गया है, वायस-चांसलर की नियुक्ति का मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेटिक सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत प्रतिकूल है। जहां तक विश्वविद्यालय के काम की बातें हैं और वहां की स्वतन्त्रता की बातें हैं वह तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुयी हैं और उसके लिये जहां सरकार ने ४ बन्धन रखे हैं वहां एक यह बन्धन भी और लगा देना उसके लिये कोई बड़ी बात नहीं है।

तो यह बात है जो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी के बिल्कुल विपरीत है। जितने विद्वान और कमीशन नियुक्त हुये हैं चाहे वह राधाकृष्णन् का हो या मूथम साहब का हो वह इस मेरी बात के फेवर में ही कहते हैं। श्री अमरनाथ झा जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दो बार वायस-चांसलर रह चुके हैं उनको भी राधाकृष्णन् कमीशन के सामने गवाही के लिये प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने भी इस बात के लिये अपनी राय प्रकट की थी कि वायस-चांसलर का अप्वाइंटमेंट नहीं होना चाहिये बल्कि

[श्री जोरावर वर्मा]

एलेक्शन चुनाव होना चाहिये। यह इस कमीशन के दूसरे पार्ट प्रथम खंड के पेज १७९ में इस प्रकार से दिया हुआ है जिसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :—

"The chances are that the Vice-Chancellorship may, in actual practice go to a politician for whom government are not able to provide otherwise, whether he is an academic man or not."

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रणाली इस बात की ओर संकेत करती है कि हमारी सरकार गवर्नर (चांसलर) इस वायस-चांसलर के चुनाव में क्या से क्या कर सकती है। अगर सरकार यह देखेगी कि इस विधान सभा में कोई ऐसा आदमी है जिसको वह मंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं बना सकी है तो वह उस आदमी को यूनिवर्सिटी पर वाइस-चांसलर बनाकर उस पर लाद दिया जा सकता है। क्योंकि उसमें यह कुछ भी निश्चित नहीं है कि वह (उपकुलपति) पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो। क्योंकि उसमें एक भी धारा ऐसी नहीं मालूम होती है जिसमें यह लिखा हो या उससे उस प्रकार का संकेत मिलता हो कि उसके लिये किसी भी प्रकार की क्वालीफिकेशन्स (योग्यता) की आवश्यकता है। इस प्रकार से ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल को कोई अधिकार रह ही नहीं जाते हैं जिससे बार-बार उसके पास वापस करके उसको बाध्य कर दिया जायगा कि वह ऐसा नाम भेजे जिससे सरकार चांसलर का मन्तव्य पूरा हो। यह यहां की ब्रिटिश पालिसी की तरह ही है कि यहां पर दो पार्टियों को पैदा करके सरकार बन्दर न्याय बांट करना चाहती है। जब प्रिंसिपल (सिद्धान्त) डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक है तो उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के मेंबर होंगे। इससे इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि वाइस-चांसलरशिप के लिये एक से ज्यादा नाम आये। इसलिये मैंने इसके बजाय यह संशोधन रक्खा है कि वाइस-चांसलर के चुनाव में अगर एक्जीक्यूटिव एक ही नाम को डिसाइड निश्चित कर देती है तो चांसलर को उस नाम को ही कनफर्म कर देना होगा। लेकिन अगर ऐसी संभावना हो कि तीन नाम आ जायं तो उन नामों को कोर्ट में भेज दिया जाय। कोर्ट में बहुमत से एक नाम को चुन लिया जाय, उसको चांसलर के यहां भेज दिया जाय वह उसको कनफर्म कर दे। इसलिये मेरा जो संशोधन है वह आज कल के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अनुकूल है। इसको मान लेने से मेरा विचार है डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों की रक्षा हो सकेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे तो अधिक अच्छा होगा।

*श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर जी ने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध करने का कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि वाइस-चांसलर के सम्बन्ध में जो पद्धति इस विधेयक में प्रोवाइड की गयी है वह सब से उत्तम तरीका है और यही तरीका मूथम कमेटी और सर राधाकृष्णन् कमेटी ने पसन्द किया है। यदि हम मूथम कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो हमें मालूम होगा कि उसमें वाइस-चांसलर के सेलेक्शन के सम्बन्ध में काफी हद तक विचार-विनिमय किया गया है और अन्त में वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वाइस-चांसलर का सेलेक्शन किस तरीके पर किया जाय। उनके सामने जो विभिन्न एवीडेंसेज हुए उन पर विचार-विनिमय करने के बाद ही वे इस नतीजे पर पहुंचे। मूथम कमेटी बतलाती है कि वाइस-चांसलर का सेलेक्शन किस प्रकार से हो। उन्होंने एक तरीका वह बतलाया है जो राजपूताना और दिल्ली यूनीवर्सिटी में है यानी उसका चुनाव एक कमेटी द्वारा होता है जिसमें दो एक्जीक्यूटिव और एक एकेडेमिक कौंसिल के सदस्य होते हैं। लेकिन उसने बताया है कि यह तरीका ज्यादा चलने वाला नहीं है। दूसरा तरीका यह बताया है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यूनिवर्सिटी के डीन रोटेशन से वाइस-चांसलर हों लेकिन इस आइडिया को भी मूथम कमेटी ने ठीक नहीं बताया ? वह कहते हैं कि दूसरे देशों में जो रोटेशन का तरीका है उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इसलिये यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने एक तरीका और निश्चय किया और वह तरीका यह है कि एक कमेटी बनायी जाय जो इंडियन वाइस-चासलर सेलेक्शन कमेटी कहलायगी, यह वाइस-चांसलर के सेलेक्शन पर विचार करेगी। मैं उसको पढ़कर सुनाए देता हूं—

"That the selection of the Vice-Chancellor should be entrusted to some independant body such as the Public Service Commission or to an Indian Vice-Chancellor Selection Committee whichshould consist of persons of established reputation, with special representation of the State for whose university a Vice-Cchancellor is required.

उन्होंने दो तरीके बताये हैं। एक तो यह कि इंडियन वाइस-चांसलर कमेटी उसका चुनाव करे और दूसरा यह कि यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव कराया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य विवाद के समय मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि एक यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना की जाय। और वह यूनीवर्सिटी सर्विस कमीशन ही वाइस-चांसलर का सेलेक्शन करे। यह एक तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका जैसा कि मूथम कमेटी ने कहा है कि उसके ऊपर भी विचार किया गया लेकिन वे कहते हैं कि यह ठीक तरह से काम नहीं कर सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पुराना ऐक्ट है उसमें यह तरीका था कि वाइस-चांसलर का सेलेक्शन वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी करे और कोर्ट के सामने उस नाम को भेज दे। कोर्ट के सामने जो नाम जाता था उसको कोर्ट ऐप्रूव करके चांसलर के पास भेजता था। यह एक तरीका था और इसने बड़ा अच्छा काम किया और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में बड़े-बड़े वाइस-चांसलर आये लेकिन उन्होंने कहा कि यह तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं है। मूथम कमेटी ने बतलाया कि इस तरीके में तीन डिफेक्ट्स हैं। एक डिफेक्ट्स तो यह है कि जो मेजारिटी ग्रूप है मेजारिटी में होने की वजह से उसी ग्रूप का वाइस-चांसलर चुना जायगा। दूसरा डिफेक्ट यह है कि जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में एलेक्टेड ज्यादातर टीचर्स होते हैं। वैसे कागज में देखा जाय तो मेजारिटी जो होती है वह टीचर्स की नहीं होती है लेकिन जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में ज्यादातर टीचर्स ही मौजूद रहते हैं, तो टीचर्स का ही एक तरह से एलेक्शन हो जायगा। तीसरा डिफेक्ट उस कमेटी ने यह बतलाया है कि जो एकेडेमिक हेड होगा वह अपने एलेक्शन के लिये निर्भर है उन टीचर्स पर जो उसको चुनेंगे तो यह तरीका भी ठीक नहीं है। फिर आगे कहा गया है कि मूथम कमेटी ने जो तरीका बतलाया है वही सबसे अच्छा है कि एक कमेटी बनायी जाय जो वाइस-चांसलर के नाम की तजवीज करे। यदि तीन नाम होंगे तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास उसको ऐप्रूव करने के लिये भेज दें। लेकिन मूथम कमेटी उस तरीके से भी सहमत नहीं है। जो तरीका इस ऐक्ट में दिया गया है वही सबसे अच्छा तरीका है कि वाइस-चांसलर का चुनाव एक्जीक्यूटिव कौंसिल करे। और अगर एक ही नाम हो और उससे एक्जीक्यूटिव कौंसिल सहमत हो जाती है तो उसको चांसलर के पास एप्रूव करने के लिये भेज दिया जायगा। और अगर वह एक नाम से सहमत नहीं है और कई नाम हैं तो फिर उसका चुनाव करा सकती है। यह तरीका है लेकिन जैसा कि अग्रवाल साहब ने भी एक दफा कहा था कि इससे एक एलेक्शन और बढ़ जायगा। बिना एलेक्शन के एक तरीका यह हो सकता है कि जितने नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास आवें सब नामों को चांसलर के पास भेज दिया जाय। अगर एक नाम होगा तब तो चांसलर के पास ऐप्रूव के लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल नाम भेजेगी लेकिन अगर तीन नाम ही भेजे जायं तो फिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल में उसके लिये एलेक्शन होगा और एलेक्शन होने के बाद चांसलर के पास उस नाम को भेजा जायगा। मूथम कमेटी ने इसके ऊपर काफी विचार-विनिमय किया है और उनकी राय है कि इसको बिलकुल कांफिडेंशियल रखा जाय ताकि किसी को मालूम न हो कि किसने किसको वोट दिया और बैलेट पेपर सीधे चांसलर

[श्री नेकराम शर्मा]

के पास भेज दिये जायं और वही उसको खोले। यह एक तरीका है जो बहुत उपयुक्त हो सकता है। मान लीजिये कि तीन आदमियों का एलेक्शन हुआ, किसी को ४० वोट मिले, किसी को १० मिले और किसी को ५ मिले और चांसलर जिसको ५ वोट मिले उसी को नामिनेट करदे तो ऐसी हालत में उसका मेजारिटी का कंफिडेंश नहीं मिलेगा। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि यह प्राविजन हो कि जितने बेलेट पेपर्स हैं चांसलर के पास सीधे ही सीधे भेज दिये जायं ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि किसने किसको वोट दिये हैं तो यह आशंका दूर हो सकती है। यह तरीका बहुत ही उपयुक्त तरीका है जो इस बिल में दिया हुआ है। बहुत सोच समझ कर और काफी विचार करने के बाद इस तरीके को इस बिल में रखा गया है। मूथम कमेटी ने कहा है :—"A person who has thougnt and who thinks deeply about the function of a University, who has crative ideas about how the needs of India can best be served by her universities, who is articutate in expressing his ideas on university education, and who is adept at placing the financial needs of the university before those agencies of government who must appropriate the necesaary funds." वह ऐसा आदमी होना चाहिये कि जो युनिवर्सिटी का संचालन ठीक से कर सके और ऐसा आदमी ढूंढना आजकल आसान और प्रेकटिकेबिल नहीं है। दूसरा एक तरीका यह भी सोचा गया कि यूनानिमस हो जाय तो नाम चला जाय और तीसरा एक तरीका वही था जो मैंने बताया कि कोर्ट में एलेक्शन हो और नाम भेजे जायं और उसके बाद चांसलर उन में से छांट ले लेकिन मैंने जो अभी उसमें भी तीन डिफेक्ट बताये उनके कारण वह भी अधिक उपयुक्त नहीं है। इस लिये सब से अच्छा तरीका वही है कि जो इस विधेयक में रखा गया है कि पहले नाम भेजा जाय, यूनानिमस हो जाय तो ठीक है, नहीं होगा फिर ३ नाम भेजे जायेंगे और अगर उस में भी सहमत न हों तो एलेक्शन होगा और उसके बाद भी ३ नाम ही भेजे जायेंगे। उनमें से चांसलर एक नाम छांट लेगा। इस तरह से जो यूनिवर्सिटी अटानामी है वह भी कायम रहती है और किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं होता है और चांसलर उन्हीं ३ नामों से एक रखेगा वह कोई बाहर का नाम नहीं ला सकता है जो नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल भेजेगी उन्हीं में से एक को वह वाइस-चांसलर चुनेगा। जो तरीका विधेयक में रखा गया है उससे मैं सहमत हूं और जो वर्मा जी का संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हूं। मान्यवर, अगर देखा जाय तो इस विषय पर बोलने में अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। जहां तक एक्जीक्यूटिव कौंसिल का प्रश्न है वह एक मत हो कर किसी नाम को चुन सकती है तो ऐसी परिस्थिति में जैसा कि विधेयक में है या इस संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर हो जाता है। अन्तर केवल इतना है कि जैसा कि मौजूदा विधेयक में है कि अगर एक मत न हो तो वैसी परिस्थिति में चांसलर वाइस-चांसलर की नियुक्ति करेगा लेकिन इस संशोधन के द्वारा वह चाहते हैं कि कोर्ट को अधिकार दिया जाय। जो मौलिक मतभेद है वह केवल यह है कि जहां तक वाइस-चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न है उसका एलेक्शन कोर्ट के जरिये होना चाहिये जैसा कि माननीय वर्मा जी चाहते हैं न कि चांसलर के द्वारा जैसा कि बिल में है। यह कोर्ट का अधिकार होना चाहिये या नहीं होना चाहिये इस पर विचार-विनिमय हो सकता है, इस पर मतभेद हो सकता है और यह एक विवाद का भी प्रश्न हो सकता है। देखने से यह स्पष्ट है कि जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल में मतभेद हो तो चांसलर महोदय को यह अधिकार देना कि वह तीन आदमियों में से जो कि एक्जीक्यूटिव कौंसल द्वारा भेजे गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हों उनमें से एक को नियुक्त करे। यह नहीं होना चाहिये बल्कि यह चीज कोर्ट के अधिकार में होनी चाहिये और उसके बाद भी अगर यह शिकायत रहे तो उसके दुरुपयोग की सम्भावना नहीं हो सकती जैसा कि यह संशोधन भविष्य में बतायेगा। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यह सब को भली भांति मालूम है कि वहां एलेक्शन कोर्ट द्वारा होता है। इस जगह भी आजतक का जो प्रीसिडेंस था वह यही था कि कोर्ट द्वारा ही होता था लेकिन सरकार ने जो तरीका विधेयक में रखा है उसमें भय यह है कि अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल से ३ नाम भेजे गये और उसमें २ नाम डमी भेज दिये गये और एक को जिसको वह चाहेंगे वह हो ही जायगा, वह डमी मीटिंग से हट जायेंगे यह इसमें अन्देशा है।

इस संशोधन में इस भय को दूर करने के लिये कि मिजारिटी पार्टी सब कैन्डिडेट्स, यानी तीनों नाम अपने ही पक्ष के न भेजे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को सजेस्ट किया गया है और मैं समझता हूं कि इससे यह भय तो दूर अवश्य हो जावेगा। यही सिद्धान्त है जो सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट में जिस तरह से नाम भेजने का तरीका रक्खा गया है वह भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का रखा गया है। इस बात पर मैं समझता हूं न सरकार को और न वर्मा जी को मतभेद हो सकता है। मान्यवर जब कि माननीय मन्त्री जी एक्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट को इस रूपरेखा को देना चाहते हैं तो उसमें यह कहा जा सकता है और वह यह कहने का दावा भी रखते हैं कि उसमें सुधार हुआ है तो इस परिस्थिति में यह मेरी समझ में नहीं आता कि वह अब क्यों इसको रखने में भयभीत हो जाते हैं नहीं समझ में आता कि उसके पीछे क्या भूमिका है। कोर्ट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल दोनों में कोर्ट सुप्रिम बाड़ी है और उस कोर्ट को इस तरह से वाइस-चान्सलर की नियुक्ति में ठुकरा देना मैं समझता हूं सर्वथा अनुचित है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल तो कोर्ट की एक्जीक्यूटिव बाडी है और उसको जैसा अधिकार दिया गया है उसको देखते हुए कोर्ट को इस बारे में अंतिम निर्णय न देना और चांसलर के सुपुर्द किया जाना मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से भी प्रजातांत्रिक प्रणाली से भी सुन्दर बात नहीं कही जा सकती। आज जैसा कि माननीय जोरावर जी आशंका उत्पन्न कर रहे थे कि हो सकता है कि चांसलर महोदय एक बार नहीं कई बार उन नामों को वापस करे एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास तो मुझे इस संबंध में कहना है कि उन्होंने शायद ध्यानपूर्वक नहीं देखा है कोई प्रतिबन्ध इस विधेयक में नहीं है कि यदि चांसलर उन तीनों नामों को वापस कर दे तो यह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पूर्ण अधिकार में होगा कि उन्हीं नामों को पुनः वापस कर दे और जहां पर वह यह समझते हैं कि चांसलर उनको परेशान कर सकते हैं वहां उसका दूसरा पहलू यह भी है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन्हीं नामों को चांसलर के पास भेज सकता है। मान्यवर, इस संशोधन से वह भी त्रुटि और न्यूनता दूर होती है क्योंकि कोर्ट में एलेक्शन होता है और जो उसमें विजयी होता है वाइस-चांसलर होता है यह लैकुना आज है। कोई भी आपके पास प्रतिबन्ध नहीं है कि यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन्हीं नामों को अपने चांसलर के पास भेजे, एक बार, दो बार, तीन बार जितनी बार चाहे नामों को वापस कर दे और एक्जीक्यूटिव कौंसिल बराबर उन्हीं नामों को वापस करती रहे तो कोई भी प्रतिबन्ध इसके लिये आपके पास नहीं है और यह लैकुना ऐसा है जिसके लिये माननीय सभा सचिव को और माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिये। (एक आवाज—यह आजादी उनको दी गई है।) अगर इसका यह स्वरूप दिया जाय तो मैं समझता हूं कि किसी भी हालत में स्टालमेंट हो सकता है क्योंकि संभव है वह तीनों नाम जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल से भेजे जायं वह माननीय चांसलर महोदय को अमान्य हों, वह स्वीकार करने में तत्पर न हों, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है वह वापस जायगा और फिर वही तमाशा, वही नाम भेजते रहेंगे और इस तरह से स्टालमेंट रहेगा, डेडलाक होगा। इस पर माननीय सभासचिव सोच लें। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी चीज न करें जो डेफीनिट लैकुना है। यह कोई स्वतंत्रता नहीं है इसकी भावना होती तो वह बहुत सी और जगहों पर दृष्टिगोचर हो सकता था।

जहां तक वादविवाद था चांसलर का उसका अन्त हो चुका है। अब चांसलर के अधिकारों में वृद्धि की गई, वाइस-चांसलर के अधिकारों में वृद्धि हुई है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल को भी

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

अभी एक रूप से यह अधिकार है कि वह सहमत हो कर अपनी यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर चुन सके। लेकिन जहां तक कोर्ट का प्रश्न है वह इस चित्र में कहीं भी देखने में नहीं आता और यह एक ऐसा विलक्षण दृश्य मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि माननीय सभा सचिव को किसी न किसी दिन इस पर पुनः विचार करना होगा और यह सरकार जो कि बारम्बार संशोधन लाने के लिये सदैव तत्पर रहा करती है, उसको वही कदम उठाना होगा जिसकी निन्दा काफी की जा चुकी है और करने में कोई आपत्ति मुझे भी नहीं है। परन्तु इन सब बातों को देखते हुये क्या आज उस अधिकार को केवल एक व्यक्ति में निहित करके यह समझते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का उद्धार हो रहा है।

मान्यवर, जहां तक पार्टीबन्दी का प्रश्न है वह भय दूर होता है। तीन नाम आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रजेन्टेशन से जिसका सिस्टम बाई मीन्स आफ सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट है, उस जगह यह नहीं हो सकता है कि माइनारिटी का उम्मीदवार उन तीनों नामों में से न हो। और होता भी यही है कि दो अगर मेजारिटी में जाते हैं तो इसमें तो संदेह नहीं कि माइनौरिटी का एक कैन्डिडेट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसमें आपत्ति क्या है वह कोर्ट को यह अधिकार दे दें और कोर्ट उनमें से जिसको चाहे निर्वाचित कर ले।

श्रीमन्, आज जो तरीका है बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में वह सराहनीय है, कभी यह नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट को अधिकार देने से उसका दुरुपयोग होने का भय है। बनारस यूनिवर्सिटी का जो वाइस-चांसलर होता आया है और जितनी भी नियुक्ति हुई हैं उनमें यह नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसी नियुक्ति हुई है जिसके लिये किसी तरह से उंगली उठायी जा सके। मान्यवर, एक फंडामेंटल चीज है, सिद्धांत है कि आप जो किसी ऐक्जीक्यूटिव बाडी को उस सुप्रीम बाडी के ऊपर करना चाहते हैं, यह एक ऐसी चीज है जो कि कम सुनाई देती है और अगर सुनाई देती है तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यही सरकार है कि जहां तक प्रजातांत्रिक नियमों का सवाल है उनका पालन उस सीमा तक करती है जहां तक वह उसके हितों की पूर्ति करते रहे हैं। लेकिन उनकी अवहेलना करने में वह सदैव अग्रसर भी रहा करती है अगर उनमें उनकी इच्छाओं की पूर्ति न होती हो।

यह जो चांसलर महोदय को अधिकार दिया जा रहा है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इडिविजुअल डिस्क्रशन में संशोधन आया था और मैं प्रसन्न हूं कि वह ठुकरा दिया गया क्योंकि डिस्क्रीशन इंडिविजुअली ऐक्सरसाइज करने के लिये अधिकार है यह तो इमप्लाइड है। लेकिन जो भय है वह दूसरे कोने से आता है और उसको दूर करने के लिये यही एक उपाय था जिसको कि हमारी सरकार सुरक्षित रूप से अपना सकती थी। वह तरीका ऐसा था जिसमें की वास्तविकता में यदि वह चाहते थे कि यह दलबन्दी जो इलाहाबाद यूनिवरसिटी में आ चुकी है वह दूर की जाय तो इसके लिये मैं उनसे सहमत था और ठीक भी है। लेकिन वह तरीका, जिस तरीके को सरकार करना चाहती है, वह गलत है। तरीका यह है कि आज आप एग्जीक्यूटिव कौंसिल को तीन नाम अगर एक मत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मतभेद है तो तीन नाम एलेक्शन के जरिये, जो कि सिस्टम आफ प्रोपोर्शनल रिप्रिजेंटेशन का हो उसके अनुसार भेजें। होगा यह कि माइनारिटी का भी कैंडीडेट अवश्य रहेगा और कोर्ट को यह अधिकार दिया जाय और कोर्ट को यह फील कराया जाय, उसको यह अनुमान कराया जाय कि वह सुप्रीम बाडी है, उच्चतम अधिकारिणी है वह। लेकिन आज तो आप कोर्ट को एक तमाशा बनाये हुये हैं। सब जगह आप मानते हैं कि वह एक सुप्रीम बाडी है लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है कि वह सुप्रीम बाड़ी है और उसको कोई अधिकार दिया जा रहा है बल्कि जो कुछ भी उसके अधिकार थे उनको संकुचित और संकीर्ण करके उनके जितने अधिकारों का अपहरण हो सकता है, वह किया जा रहा है। मान्यवर, मुझे केवल इतना बताना था इस विषय में कि यह तरीका ऐसा है कि जिससे आसानी से बिना किसी प्रकार के भय से वह अपनी इच्छा की पूर्ति, उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते थे।

यदि इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो वही एक परिस्थिति है, वही एक सीमा है कि जब कि लोगों की शंकायें जो कि निर्मूल और निराधार कही गई हैं, उनमें वास्तविकता का एक स्वरूप आता है और यह पता चलता है कि इसके पीछे हो सकता है कि यह भय किसी दिन सही रूप ग्रहण कर ले। मैं उनकी नेकनियती पर हमला नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि उनके लिये यह इम्पोलिटिक होगा, इंडिस्क्रीट होगा और उनके लिये हितकर नहीं होगा कि ऐसा संशोधन जो कि निर्दोष हो जिससे सचमुच में युनिवर्सिटी का कल्याण होता हो, उसका भी वह विरोध करें। उसका विरोध करके वह किस हद तक, किस सीमा तक उस विश्वविद्यालय का कल्याण करना चाहते हैं और कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश के निवासियों की आंखों में धूल डालना चाहते हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रत्येक निवासी को गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा। मान्यवर हो सकता है और हुआ भी है कि बहुत सी परिस्थितियों में सरकार के न चाहते हुये भी जो कि सरकार किसी माने में लगाव रखते हैं, अपने कल्याण के लिये ही बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो कि सर्वथा निन्दनीय हुआ करते हैं। तो जहां तक युनिवर्सिटी का प्रश्न है, श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि युनिवर्सिटी जो हैं उनको एक दूसरे राज्य का रूप तो नहीं दिया जा सकता एक राज्य के अन्दर, दे कान्ट बी ट्रीटेड ऐज ए स्टेट विदिन ए स्टेट। लेकिन साथ ही साथ उनके अधिकारों पर कुठाराघात भी न होना चाहिये और यदि उनके अधिकार लिये जाते हैं यह कभी भी विद्या की उन्नति के लिये, हमारे इस प्रदेश के लिये हितकर न होगा। जहां तक इसका सवाल है कि आप रुपया देते हैं, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि रुपये की जब जरूरत होती है तो हमसे लोग यह आशा रखते हैं कि हम उसको धन दें, हम उसको द्रव्य दें और जब हम चाहते हैं कि हम उस पर किसी तरह का नियंत्रण रखें तो इस पर घोर विरोध होता है। तो श्रीमन्, मुझे इसमें तो कोई आपत्ति नहीं कि आप नियंत्रण रखें लेकिन नियंत्रण जो है वह अपनी सीमा तक ही होना चाहिये। नियंत्रण के माने अधिकारों के अपहरण के कदापि नहीं होते। अधिकारों का अपहरण करना और तत्पश्चात् यह कहना कि यह नियंत्रण था मैं समझता हूं कि यह इसको एक बहुत ही गलत स्वरूप दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय भी अब विद्यमान हो गये हैं। अतः अब मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक उनका यह तर्क है कि स्टेट विदिन ए स्टेट नहीं हो सकती यह हम मानते हैं कि ठीक है और यह भी ठीक है कि जब उनसे सहायता मांगी जाती है, वह रुपया देते हैं तो यह भी अधिकार उनको रहना चाहिये कि वह यह देखें कि जनता के पैसे का दुरुपयोग न होने पावे ताकि जनता को भी यह पता चल सके कि वह अपने कर्त्तव्य का पालन भलीभांति कर रहे हैं। परन्तु नियंत्रण और अपहरण में अन्तर है। मुझे माननीय मंत्री मंत्री जी से इतनी ही शिकायत रही कि उस सीमा का उल्लंघन हुआ है। उनका नियंत्रण ठीक है, आपकी नियत में मुझे भरोसा है। मगर संभव है कि जाति का असर और कुछ ही त्रुटियों के कारण वह यह समझ सकते हैं कि यह यूनिवर्सिटीज इनकोरोजिबिल हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक दफा फिर उनको मौका देना चाहिये अगर ऐसा है भी। देखना चाहिये कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट के द्वारा उनके लक्ष्य की पूर्ति हो सकती है या नहीं। मैं चाहता हूं कि वह इन सुप्रीम बाडीज को अब भी मौका दें। जब केवल उसूल यह था कि मैजारिटी वोट से ३ नाम भेजे जाते थे उस समय बहुमत के लिये यह सदैव वांछनीय रहा है कि वह आदमी चुन कर भेजता था और उनमें २ डमी होते थे। कोर्ट की मीटिंग की जो मंशा है उसके बारे में जो कुछ मंत्री जी ने कहा मैं उससे भी सहमत हूं। लेकिन जबकि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट कर रहे हैं तो यह अवश्यम्भावी है कि माइनारिटी पार्टी का भी एक नाम इन तीनों में से होगा तो ऐसी सूरत में कोर्ट को यह अधिकार होना चाहिये कि उनमें से वह किसी को निर्वाचित कर सकें। यदि कोर्ट के ऐसे अधिकार पर किसी प्रकार की संकीर्णता न लाई जाती तो अच्छा होता अगर यह मालूम हो कि कोर्ट इस विश्वास के काबिल नहीं है तो मुझे ऐतराज नहीं है वाइस-चांसलर की नियुक्ति का अधिकार चांसलर महोदय को दिया जाय। मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां यह था कि:

"The Chancellor of Allahabad University shall be the Governor of Uttar Pradesh."

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

उसी तरह से इस विधेयक में भी ऐसी चीज है कि अगर ऐसी सूरत आवेगी कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल और चांसलर में मतभेद हुआ और डैडलाक होगा और स्टेलमेट रहेगा तो उसके लिये हल करना असंभव होगा जब तक कि इस ऐक्ट का फिर संशोधन न किया जायगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि केवल दो ही आदमी इस पर बोल सके और क्लोजर मूव प्रश्न उपस्थित कर दिया गया । जिस तरह से सरकार ने यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता का अपहरण किया है उसी तरह से इस सदन के सदस्यों के साथ, उनके अधिकार का हनन करना पार्लियामेंटरी नीति के विरुद्ध है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बतलाया था, पुरानी प्रणाली में थोड़ी सी कमियां मूथम कमेटी ने और दूसरे लोगों ने बतलायी और माननीय मंत्री जी ने उन्हें दूर करने का तरीका रखा और मैंने उनको दूर करने का और दूसरा अच्छा ढंग रखा । अगर मेरे संशोधन को न मान कर माननीय मंत्री जी की ही बात रही तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि वह कोर्ट आखिरकार फिर किस मर्ज की दवा होगी । उसके क्या अधिकार होंगे । जो उसका सब से बड़ा कार्य था वह उससे छीना जा रहा है । दूसरी बात यह है कि मुझे यह शक है कि जिस मर्ज को उन्होंने दूर करने की कोशिश की है तो एक ऐसा ही दूसरा मर्ज पार्टी पोलिटिक्स का और सरकारी इंटफयरेंस (हस्तक्षेप) का यूनिवर्सिटीज के अन्दर दखिल कर रहे हैं जिससे लोगों को यह कहने का अवसर मिल सकेगा कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की । क्योंकि चांसलर के लिये कोई बंधन नहीं है कि कितने समय पर कितने बार वह लौटा सकेगा । जहां तक हमारे शर्मा जी ने कहा है कि मूथम कमेटी ने इस प्रकार की बातें कही हैं वह मैं पहले ही बतला चुका हूं कि जो डिफेक्टस कमेटी ने बतलाये हैं उनको मैंने अपने प्रस्तुत संशोधन द्वारा दूर कर दिया था और मेरा जो यह संशोधन है अगर उसको मान लिया जाय तो यह इन तमाम बुराइयों को दूर कर देता है जो पुराने ऐक्ट में थीं और जो प्रजातंत्र प्रणाली है उसका भी सिद्धांत उसमें निहित हो जाता है । अभी मुझे पता नहीं है कि माननीय मंत्री जी न जाने क्या कहेंगे । उनका यह आरगूमेंट हो सकता है कि वह इस मामले को कोर्ट को नहीं सौंपना चाहते हों क्योंकि यह जो वाइस-चांसलर का मामला है, और अध्यापक कोर्ट में है इसलिये वह अध्यापकों में पार्टी पोलिटिक्स नहीं लाने देना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे मित्र माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने चांसलर के सम्बन्ध में कहा था कि अध्यापकों में, हमारे गुरुजनों पर इस प्रकार की शंका करना सरकार के लिये कहां तक उचित है । मैं समझता हूं कि हम उनको इस अधिकार से वंचित करें तो कहां तक इस सिद्धांत के प्रतिकूल होगा जिसके ऊपर आज हमारी यह सरकार बनी है और हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है और जिस स्वतंत्रता को हमारे बापू ने अपने जीवन की बाजी लगाकर प्राप्त किया था वह हमारे इस शिक्षित वर्ग से छीनी जा रही है । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो विद्वान् हैं और बुद्धजीवी हैं उनसे हमारी सरकार को इतनी बड़ी आशंका क्यों हो गयी है क्योंकि जो उनके निजी अधिकार हैं उनको चुनने का अधिकार भी सरकार नहीं देना चाहती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो इस प्रकार का सिद्धांत वाइस-चांसलर के चुनाव का ठूंसा जा रहा है तो जैसा कि पार्टीबंदी की शंका और संदेह है वह इससे सरकारी संशोधन से और अधिक आयगी। हां, यह जरूर है कि अभी तक माननीय मंत्री जी यूनिवर्सिटी के मामलों में दस्तंदाजी नहीं कर सकते थे और न चांसलर ही कर सकते थे लेकिन अब उनको अच्छा मौका मिलेगा कि वह यूनिवर्सिटी में अपनी तबीयत का वाइस-चांसलर रखेंगे और जब उनका वाइस-चांसलर हो जायगा तो फिर यूनिवर्सिटी उनके इशारे पर, उनके संकेत पर चलेगी, नाचेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि यह जो मेरा संशोधन था यह चैक एंड बैलेंस के सिद्धांत वाला था जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि कोर्ट में या एक्जीक्यूटिव कौंसिल में जो खराबियां थीं वह नहीं हो सकेंगी यानी वह खराबियां दूर हो जायंगी क्योंकि चांसलर सरकार है और वाइस-चांसलर यूनिवर्सिटी का होता लेकिन हमारी सरकार ने पता नहीं आखिर इस प्रकार से अपने सिद्धांत को या मनमानी करने के लिये जो खराबियां थीं उनको दूर करने के बजाय और नयी नयी खराबयों को पैदा करने के क्यों ठेका ले लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको क्या बतलाऊं जैसा कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने कहा है कि वास्तव में बात यह है कि जो कोर्ट को अधिकार हैं उसको छीना जा रहा है और जो आजकल सुप्रीम बाडी है वह एक नाममात्र की बाडी रह जायगी और यह एक सुपरफ्लूअस बाडी रह जायगी और उसका कुछ अस्तित्व ही मेरी समझ में नहीं रह जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से फिर एक बार प्रार्थना करूंगा कि यह जो मेरा संशोधन है यह पुराने ऐक्ट की जो धारा है और इस संशोधन विधेयक की जो प्रस्तावित धारा है, उसका मिडवे मध्य भाग है और प्रजातंत्र प्रणाली के सिद्धांत में यह निहित है उनको समझदार, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों पर विश्वास करना चाहिये। उनकी जो इस प्रकार की भावना बन गयी है कि स्ट्रडेंट्स और टीचर्स में इंडिसिप्लिन आ गयी है वह उनका दोष नहीं है वह समय का दोष है और तो समझता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों ने भाग लिया है उसका भी कुछ असर हो सकता है। बजाय इसके कि उनके अधिकार छीन कर ठीक रास्ते पर चलाने की कोशिश की जाय अगर उनको और अधिकार देकर ठीक रास्ते पर चलने के लिये कहा जाय तो वे ज्यादा समझ सकेंगे। अगर उनको बन्धन में बाँध दिया जायगा, अगर उनको गुलामी की जंजीरों में बांध दिया जायगा तो मैं समझता हूं कि चांसलर ही नहीं बल्कि ऐसे वाइस चांसलर के मैनेजमेंट में भी जितने विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे उनमें गुलामी की प्रवृत्ति अधिक होगी जिससे हमारे देश का हित नहीं हो सकेगा। जो नामिनेटेड वाइस-चांसलर होगा वह बजाय इसके कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, स्टूडेन्ट्स और टीचर्स की भावनाओं को समझ कर कार्य करे वह चांसलर को ही प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि यह तो बुद्धिमानों को शक्तिशाली लोगों के सामने झुकाने समर्पण करने का एक जरिया है।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुये)

अभी तक यह था कि वाइस-चांसलर कोर्ट के सदस्यों की ही इच्छा पूर्ति के लिये कार्य करता था लेकिन अगर मेरा संशोधन नहीं माना जाता है तो जो पुरानी राजसी और नवाबी प्रवृत्ति है वह फिर से जन्म लेगी और मैं समझता हूं कि इस अमेंडिंग ऐक्ट के अनुसार बुद्धिमान लोग वाइस-चांसलर के पद के लिये खड़े ही नहीं होंगे क्योंकि यह इस बात के लिये प्रोत्साहित करता है जो व्यक्ति वाइस-चांसलर होना चाहता है वह कोर्ट के सामने न जाकर हमारी सरकार को खुश करने का प्रयत्न करे और हमारे चांसलर महोदय के यहां डांसिंग स्टैंडेंस दिया करे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वाइस-चांसलर के पद के खयाल से यह शोभा नहीं देता कि ऐसे शब्द उनके लिये कहे जायं। यह माननीय सदस्य के लिये भी शोभा नहीं देता वैसे मैं इसको अनपार्लियामेंटरी नहीं कहता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह एमेंडिंग ऐक्ट बुद्धिमानों को वाइस-चांसलरशिप के लिये खड़ा होने से दूर करता है, भगाता है। कोई भी बुद्धिमान जिसको अपनी बुद्धि और योग्यता पर गर्व है या जिसके विचार किसी भी प्रकार से सरकार से नहीं मिलते जुलते हैं उनको इसके लिये मौका नहीं मिलेगा। आपकी आज्ञा से मैं कहूंगा कि ऐसे-ऐसे लोग आयेंगे जिनको हम थर्ड रेट के वाइस-चांसलर कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी विद्वान् जिसे अपनी विद्वता पर गर्व है वह किसी के यहां आना जाना अपनी शान के खिलाफ समझता है। क्योंकि वह निःस्वार्थ सेवा करता है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि यह विधेयक बुद्धिमानों को दूर करेगा और हमारे सूबे का यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि विद्वानों को, जो इस पद के लिये दूसरों की सेवा खुशामद करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं उनको यह एमेंडिंग बिल इनवाइट (आमंत्रित) नहीं कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से फिर कहूंगा कि यदि वह इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विद्वान् लोग, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है और अपना जीवन विद्यादान और विद्याध्ययन में लगा दिया है, उनको मौका देना चाहते हैं तो वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें। अगर जैसा मैंने पहले कहा था कि वह वास्तव में चाहते हैं कि पार्टी पालिटिक्स यूनिवर्सिटी से दूर हो और जैसी कहावत है बंदर बांट वाली, अगर वह उसको यूनिवर्सिटी में लागू नहीं करना चाहते हैं तो एक्जिक्यूटिव में उसको डिसाइड होने दिया जाय और हमारे चांसलर महोदय एक उसके न्यायाधीश की तरह उसमें पार्ट प्ले करें। अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने चांसलर के लिये चीफ जस्टिस को प्रपोज किया था तो कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि चीफ जस्टिस के लिये उपयुक्त नहीं होगा कि इस यूनिवर्सिटी में वे आयें, क्योंकि यह पद पर उसकी शान और शोभा के खिलाफ बातें हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर गवर्नर महोदय (चांसलर) ऐसी बातों में जो एग्जिक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट निर्णय करे उसे कनफर्म करें अपने डिस्क्रिशन के अनुसार तब तो उनकी इज्जत सुरक्षित रहेगी, क्योंकि लोगों को ऐसा कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि चांसलर वाइस-चांसलर के चुनाव यूनिवर्सिटी के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अगर ऐसा ही बिल रहा तो चांसलर पर भी कलंक लगने का मौका रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अगर पुरानी बातों की याद दिलाऊं कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने और और लोगों ने हमारे चांसलर महोदय की ठठरी बना करके निकाली थी और जलाई थी तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्य से प्रांत के और देश के अच्छे समझदार लोगों का मस्तक लज्जा से झुक गया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे गवर्नर महोदय जो मैं समझता हूं न्याय के और कांस्टीट्यूशनल हेड हैं जिनका हमको हर प्रकार से आदर (रिगार्ड) करना चाहिये अगर उनके खिलाफ विद्यार्थी या और कुछ आदमी इस प्रकार की अशोभनीय बातें करें तो यह किसी प्रान्त के लिये शोभा की बात नहीं है। इससे मैं फिर उन से प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार वह चाहते थे कि चीफ जस्टिस को इस मामले में न डालें तो मेरी समझ में चांसलर (गवर्नर) को भी इस पार्टी पालिटिक्स से दूर रखें ताकि उन पर कोई धब्बा (कलंक) न आये। और अगर मेरे संशोधन को मान लें तो उस से एग्जीक्यूटिव की भी शोभा रहती है और कोर्ट का भी अस्तित्व रहता है। और अगर इसे नहीं मानते हैं तो यह जो कोर्ट है वह सुपरफ्लूअस संगठन और एक तमाशे की बाडी बन जाती है। अगर ऐसा हो गया तो क्या उसका काम होगा, अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि राधाकृष्णन कमीशन के सामने गवाही देते हुए कि किस प्रकार वाइस-चांसलर को एलेक्ट होना चाहिये श्री के० के० हिन्दीकी ने अपने एवीडेंस में कहा है :

"Regarding appointment of the Vice-Chancellorship, I agree that a very suitable method than election is to have a panel of names recommended by a smaller body, like the Executive Council. The Court should elect from this panel."

तो मेरा जो संशोधन है, अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जब मैंने अपना एमेंडमेंट रखा था शुरू में तो उपाध्यक्ष मौजूद थे, इसलिये मुंह से ऐसा ही निकल जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ रखा है वह इस ढंग से रखा है कि जो पुराना ऐक्ट था उसकी खराबियों को दूर करके उसके मुताबिक एक रास्ता निकल सके। विद्वान् लोग वाइस-चांसलरशिप के लिये आ सकें और लोगों को मौका मिले कि वह उनसे सेवा ले सकें और विद्वानों को भी आने का स्वागत रूप में मौका मिले कि वह अपनी सेवाओं को दे सकें।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इसके बाद दूसरा जो संशोधन है वह भी इसी के सम्बन्ध में है। उसी समय बोलूंगा। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है हम विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"11. (1) The Vice-Chancellor shall be elected in the manner provided in this section.

(2) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University. The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as are prescribed by the Statutes and shall not be varied to his disadvantage after his election.

(3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(4) The Executive Council shall, as far as may be, atleast forty-five days before a vacancy is due to occur in the office of Vice-Chancellor and also whenever required by the Chancellor, meet for the purpose of deciding the name of the persons to fill the vacancy. If at this meeting the Executive Council decides unanimously the name of any person his name shall be sent to the Chancellor who shall thereupon confirm him, and if it fails to decide unanimously the name of any person it shall adjourn to a date within a week next following at the adjourned meeting, if the Executive Council—

(*a*) decides unanimously the name of any person, it shall be sent to the Chancellor who shall thereupon confirm him.

(*b*) is unable to decide unanimously the name of any person it shall elect persons not more than three in number according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The Court shall elect any one of the persons elected under clause (*b*) of sub-section (4) and send his name to the Chancellor for confirmation.

[श्री अध्यक्ष]

(6) The person elected under sub-section (4) or (5) shall be the Vice-Chancellor or the University.

(7) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (3) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the Executive Council, which, in case the vacancy is or likely to last for a preriod exceeding six months, shall act according to the provisions of sub-section (4), (5) and (6) for the filling of the vacancy. In other cases the Executive Council may, subject to the approval of the Chancellor, either appoint the Vice-Chancellor or make such other arrangements for carrying on the office of the Vice-Chancellor as it may think fit.

(8) Until arrangements have been made under sub-section 7 the Registrar shall carry on the current duties of the office of the Vice-Chancellor, but he shall not preside at meetings of the University Authorities."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित नयी धारा ११ की उपधारा (१), (२), (३), (४) और (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

"(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a penal of not less than three persons selected in the manner hereafter appearing.

(2) A committee of three persons, not connected with the University or the Associated Colleges, two of whom shall be elected by the Executive Council and one by the Academic Council according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, shall select not less than three persons and shall report such selection to the Executive Council.

(3) The Executive Council, on receipt of the selection under sub-section (2) shall make its recommendation on the persons so selected to the Chancellor, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall be the whole-time officer of the University. He shall hold office for a period of five years but may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(5) No person who has at any time previously held the office of the Vice-Chancellor of the University otherwise than in a vacancy referred to in sub-section (8) shall be eligible for re-appointment."

श्रीमान्, उपकुलपति के चुनाव के सम्बन्ध में जो वर्तमान धारा है वह इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है । किसी भी विश्वविद्यालय का उपकुलपति उस विश्वविद्यालय के विधान का केन्द्र बिन्दु है । अतएव इस दृष्टिकोण से जब हम इस धारा पर विचार करते हैं तो हमको यह सोचना होगा कि विश्वविद्यालय की रक्षा के लिये जो उसकी दीक्षा है, जो पद्धति है उसमें स्वर को उठाने के लिये, उसमें निरन्तर सेवा का भाव और नये आदर्शों की भावना लाने के लिये कैसा उसका नाविक होना चाहिये उस नाविक का चुनाव बड़ी सुन्दर प्रणाली से करना होगा । इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस बिल के रचयिताओं ने संसार के सभी विश्वविद्यालयों की पद्धति को देखा होगा कि किस प्रकार उपकुलपति का चुनाव सुन्दर से सुन्दर तरीके से हो सकता है । जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है वहां के उपकुलपति के चुनाव कोर्ट के द्वारा होता था । विश्वविद्यालय की एक्जिक्यूटिव कौंसिल तीन नामों को कोर्ट के पास भेजती थी और कोर्ट उनमें से बहुमत से किसी एक व्यक्ति को वाइस चांसलर चुन लेती थी जिसको चांसलर नियुक्त कर देता था । मूथम इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि अगर कोर्ट को ही वाइस चांसलर के चुनाव का अधिकार देते हैं तो हम इस प्रकार दलबन्दी के आधार को बढ़ाते हैं, क्योंकि उपकुलपति एक बार नहीं दूसरी बार भी चुना जा सकता है । उपकुलपति को अपने चुनाव को कायम रखने के लिये भविष्य में चुने जा सकने के लिये अपनी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है । इसलिये वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की निष्पक्ष सेवा नहीं कर सकता बल्कि बहुमत दल जो है उसका एक प्रकार से आज्ञाकारी के रूप में हो जाता है । इसलिये सोचा गया कि कोर्ट को इस जिम्मेदारी से हम मुक्त कर दें । श्रीमन्, इस प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए कम से कम मेरे जैसे व्यक्तियों को बहुत बड़ा दुख होता है । कोर्ट के द्वारा ही वाइस-चांसलर का चुनाव कर सकना यह अधिक प्रजातांत्रिक हो सकता है । इस बात को मैं स्वीकार करता हूं जैसा कि सभी मानते हैं कि वहां पर कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं कि दलबन्दी कुछ जरूरत से ज्यादा हो गयी है और इसलिये इस दलबन्दी को कम करने के लिये इस बात की आवश्यकता हुयी कि हम आगरा विश्वविद्यालय की तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोर्ट के कुछ भी अधिकार ले लें । लेकिन जहां हम एक ओर कोर्ट के अधिकार लेते हैं वहां दूसरी ओर हम अध्यापकों की प्रतिनिधित्व को, इस सिद्धांत को कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ाते हैं उनका विश्वास उपकुलपति में अवश्य होना चाहिये, उसके लिये टीचर्स को भी अधिकार मिलना चाहिये । उस अधिकार को और प्रतिनिधित्व को हम दलबंदी के नाम पर अध्यापक वर्ग के सारे अधिकारों को छीन लें वाइस-चांसलर के चुनाव के नाम पर, यह अनुचित होगा । इसीलिये एकेडेमिक कौंसिल बनायी गयी और ऐकेडेमिक कौंसिल को चुनाव करने का अधिकार दिया गया । इसीलिये एकेडेमिक कौंसिल को बड़े अधिकार दिये गये क्योंकि कोर्ट में बाहर के आदमी रहते हैं और कोर्ट में दलबन्दी हो सकती है लेकिन ऐकेडेमिक कौंसिल केवल यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की संस्था रहेगी, और वह पुरानी ऐकेडेमिक कौंसिल नहीं होगी, बल्कि नयी एकेडेमिक कौंसिल होगी, जिसमें पहले ६० मेम्बर होते थे अब उसमें ५० मेम्बर होंगे । पहले ऐकेडेमिक कौंसिल कुछ और थी और अब वह दूसरे प्रकार की होगी जिसमें सुधार के मुताबिक दूसरा स्वत्व होगा । इसलिये हमने यहां पर गुंजायश रखी है कि ऐकेडेमिक कौंसिल का भी एक आदमी उस सेलेक्शन कमेटी में होगा जो कि वाइस-चांसलर का चुनाव करेगी । यही व्यवस्था मूथम कमेटी रिपोर्ट में भी बतलायी गयी है । उसकी सिफारिश में भी इस बात को कहा गया है जो कि मैंने अपने संशोधन में रखी है । यह मैंने पहले नहीं पढ़ा था इसलिये मैं आपकी आज्ञा से इसको अब पढ़ना चाहता हूं —

"A committee of three persons, two nominated by the Executive Council and one by the Academic Council, should select after a survey of as wide a field as possible, not less than three candidates whom it considers suitable for the office of Vice-Chancellor and report its selection to the Executive Council. The latter should make its recommendations on the persons so selected to the Chancellor who would appoint one of such persons as Vice-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

Chancellor. No person connected in any way with the University (otherwise than as a member of the court) or with any College or Hostel should be eligible for appointment to the committee."

यह तीन व्यक्ति जो होंगे उनमें दो आदमी तो एक्जिक्यूटिव कौंसिल के द्वारा भेजे जायेंगे और एक आदमी एकेडेमिक कौंसिल के द्वारा भेजा जायगा। इन तीन आदमियों में से एक आदमी छांटा जायगा जिसको वायस चांसलर पद के लिये उपयुक्त समझकर नियुक्त किया जायगा। इन तीनों नामों को एक्जिक्यूटिव कौंसिल के पास भेज दिया जायगा और वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल उन तीनों में छांटकर अपनी सिफारिश के साथ तीनों नामों को चांसलर के पास भेज देगी और चांसलर उनमें से एक आदमी को वायस चांसलर नियुक्त कर देगा। उसी कालेज का या होस्टल का किसी प्रकार से संबंधित व्यक्ति उस कमेटी में नहीं होना चाहिये।

यह मेरा संशोधन उसी मूथम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर है। इस संशोधन में दिल्ली और राजपूताना यूनिवर्सिटी की प्रणाली को स्वीकार किया गया है और साथ ही सेंट्रल एडवाइजरी एजूकेशन बोर्ड जो भारत सरकार का बनाया हुआ है और जो इस देश की सबसे बड़ी संस्था है उसने भी यह सिफारिश की है कि वाइस चांसलर का चुनाव देश में विश्वविद्यालयों की स्थिति को देखते हुये यूनिवर्सिटी की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के द्वारा चुनी हुयी किसी बाहरी सेलेक्शन कमेटी द्वारा होना चाहिये। हम किसी लेक्चरार का या हेड आफ दि डिपार्टमेंट का चुनाव करने के लिये बाहर की सेलेक्शन कमेटी को मानते हैं और दो एक्सपर्ट हम बाहर के बुलाते हैं। अगर हम हिस्ट्री या फिजिक्स के लेक्चरार को एप्वाइन्ट करते हैं तो भी हम बाहर के एक्सपर्ट बुलाते हैं तो अगर हम लेक्चरार तक के लिये बाहर का एक्सपर्ट बुलाते हैं तो एक वाइस चांसलर के लिये वही सिद्धांत लागू करना चाहिये। वही दृष्टिकोण हमको दूसरी नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी निश्चित करना चाहिये। कुछ विश्वविद्यालयों का, राजपूताना और दिल्ली के विश्वविद्यालयों के विधान की उस दिन मैंने यहां पर चर्चा की थी। मैं उनको समय बचाने की दृष्टि से दोहराना नहीं चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली और राजपूताना विश्वविद्यालय के विधानों में और मेरे संशोधनों में कुछ फर्क है और वह यह है कि जहां से सेलेक्शन कमेटी में वहां पर चांसलर के नामिनी होते हैं वहां पर एक नोमिनी एकेडेमिक कौंसिल के द्वारा रहेगा। उसका कारण यह है कि मूथम कमेटी रिपोर्ट ने इसको अच्छा बतलाया है। मैं उस एक लाइन को पढ़ना चाहता हूं,

"In the first place we think that the three members of the *ADHOC* selection committee should all be nominated by the University, for we are of the view that the power to appoint members of this committee and the power to chose between the persons recommended by it should be. exercised by different authorities."

दिल्ली और राजपूताना में यह है कि वहां पर सेलेक्शन कमेटी में चांसलर ने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यहां पर दूसरा प्रस्ताव है, यहां पर तीन आदमियों को वाइस-चांसलर के लिये रिकमेंड किया जायगा और उसमें से ही वाइस-चांसलर चुना जाता है। मूथम कमेटी रिपोर्ट ने यह कहा है कि हम एक ही अधिकारी को चुनाव करने वाली कमेटी के चुनाव का अधिकार वाइस-चांसलर के चुनाव करने के लिये नहीं देना चाहते। तो मैंने अपने संशोधनो में उसी आधार पर उस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार किया है। वहां दूसरी ओर हमने एकेडेमिक कौंसिल यानी अध्यापकों को भी इस बात का अधिकार दिया है कि वाइस-चांसलर के चुनाव में उनका भी हाथ रहे। मैं यह नहीं कहता कि यह पद्धति सबसे सुन्दर है। सारे कमीशनों और कमेटियों की रिपोर्ट्स में इस बात को माना गया है कि प्रत्येक सिफारिश में कोई न कोई खामी तो अवश्य ही होगी और शायद किसी भी सिफारिश से उतना योग्य कुलपति हम चाहते हैं वह न मिले, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस तरीके को सबसे सुन्दर तरीका कह सकता हूं। राधाकृष्णन कमीशन ने यह इच्छा

प्रकट की है कि वाइस-चांसलर का चुनाव 'यूनानीमस' होना चाहिये लेकिन एक्जीक्यूटिव कौंसिल से केवल एक नाम का सेलेक्शन होना बड़ा मुश्किल मालूम होता है क्योंकि जब एक्जीक्यूटिव स्वयं उसके नाम को तय करने लगेगी तो पार्टीबंदी उसमें आ ही जायगी, क्योंकि एक्जिक्यूटिव में पार्टीज मौजूद ही हैं, बहुमत दल भी वहां मौजूद और अल्पमत दल भी वहां मौजूद है इसलिये जब वह वाइस-चांसलर का चुनाव करने लगेगी तो उसमें पार्टीबंदी आ जायगी। इस प्रकार इसमें भी कमजोरी आ जाती है। लेकिन जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल दूसरी सेलेक्शन कमेटी के हाथ में चुनाव भेज देगी तो पार्टीबंदी का सवाल पैदा नहीं होगा क्योंकि उन आदमियों को यह भी मालूम नहीं होगा कि उसमें उनका नाम आ सकता है। वे एक्जिक्यूटिव के पास तीन नाम भेज देंगे और ऐक्जिक्यूटिव इन तीन नामों में से एक को सम्भवतः वाइस-चांसलर चुनेगी। इसमें पार्टीबंदी की गुंजाइश कम होगी और वह उन तीन नामों से एकमत से एक नाम भेज सकेगी। यह मैं मानता हूं कि मूल अधिनियम में जो धारा है वह अब तक जितने भी तरीके थे उन सबसे अच्छा तरीका है लेकिन मेरे संशोधन में जो तरीका बताया गया है वह वर्तमान विधेयक की धारा से भी ज्यादा अच्छा है, और राधाकृष्णन कमीशन और मूथम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया सबसे अच्छा तरीका है। इतना कह कर मैं माननीय सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और माननीय सदस्यों के विचार जब मेरे सामने आयेंगे तब अगर मुझे समय मिला तो अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि वा स-चांसलर की नियुक्त के लिये कौन-सा ढंग हो। श्रीमन्, जहां तक वाइस-चांसलर की नियुक्ति का सम्बन्ध है, उसमें बहुत सी पद्धतियां हैं। उसके लिये हमारे इस देश में भी भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न तरीके हैं तथा दूसरे देशों में भी हम देखते हैं कि इसके लिये कई प्रकार के तरीके इस्तेमाल में आते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि कौन-सा तरीका सबसे अच्छा है और कौन-सा नहीं है, यह थोड़ा कठिन काम है। जब हम आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो हमें मालूम होगा कि वाइस-चांसलर वहां पर रोटेशन से होता है। जो वहां के कालेजेज के हेड आफ दी डिपार्टमेंट्स हैं वे बाई रोटेशन वाइस-चांसलर बन जाते हैं। दूसरी पद्धति यह है जो कि अब तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस पर हमारे माननीय मित्र वर्मा जी ने बहुत जोर दिया। तीसरी पद्धति वह है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में है और जो कि इस बिल में थोड़े से इम्प्रूवमेंट के साथ दी गयी है। तो आज हम कोई भी तरीका निकालें लेकिन उसके बारे में यह कहना कि यही तरीका सबसे अच्छा है, बड़ा मुश्किल है, श्रीमन्, मेरी राय में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। हमने एक तरीका आगरा यूनिवर्सिटी में अपनाया और वह यह है कि एक्जीक्यूटिव ३ नामों को भेजे उसमें से चांसलर एक को एप्वाइंट कर दे। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी यही पद्धति है। हम समझते हैं कि भिन्न-भिन्न यूनिवर्सिटीज में कुछ मामलों में यूनीफार्मिटी हो जाय तो बहुत अच्छा है। और उसके लिये यह एक यूनिफार्मिटी हो सकती है। दूसरी बात यह कि जिस समय यह बिल आया था उसका सबसे बड़ा अभिप्राय यह था कि जहां तक हो सके चुनाव कम से कम किये जायं और इस प्वाइंट पर हमारे सभी शिक्षा शास्त्री एकमत हैं कि हमको यूनिवर्सिटीज और शिक्षा संस्थाओं में जो चुनाव की पद्धति है उसको कम से कम कर देना चाहिये। यदि हम माननीय मित्र के संशोधन को देखें तो उन्होंने भी यह कहा है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल दो आदमियों के नाम चुन कर इस कमेटी में भेजेगी और एक नाम एकेडेमिक कौंसिल से आयेगा। इसके माने यह हुआ कि एक दफा एक्जीक्यूटिव कौंसिल को चुनना पड़ेगा उन दो व्यक्तियों को जो इस कमेटी में काम करेंगे। तो उन दो व्यक्तियों के चुनाव में ही कनवेसिंग होने लगेगी, पार्टीबन्दी होगी और ग्रूप बन जायेंगे हो सकता है कि नाम भी १०,२० या ५० आयें, क्योंकि उसके लिये कोई लिमिट तो है नहीं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

उसमें तो यह है कि तीन से कम नाम न रिकमेंड करें। तो जब कोई तादाद लिमिट नहीं है तो तादाद ज्यादा होगी, उसमें काफी संशोधन हो सकता है। बहरहाल जो भी तादाद होगी वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने जायगी, उसमें पार्टीबन्दी होगी और ग्रूप बनेंगे। तो जिस चीज को हम और हमारी सरकार खतम करना चाहती है और जिसके लिये जो हमारे साथी हैं वे भी यही चाहते हैं कि यह कनवेंसिंग कम हो, पार्टी पोलिटिक्स कम हो, तो जहां एक दफा चुनाव करना पड़ता है या एक दफा चुनाव होने की सम्भावना है वहां इसको मान लेने से काफी गन्दगी के बढ़ जाने का ही अन्देशा है। एक बात तिवारी जी ने यह कही कि वे यह समझते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीका यही है कि कोर्ट के अन्दर ही नाम का कंफरमेशन हो जाय। आखिर डेमोक्रेसी का क्या डेफिनिशन है, हर चीज अपनी जगह पर डेमोक्रेटिक हो सकती है। कोर्ट के लिये उन्होंने खुद ही कहा था कि मूथम कमेटी ने कोर्ट की बात को नहीं माना है। इसलिये कि जब कोर्ट की मीटिंग होती है तो उसमें टीचर्स का बहुमत होता है, बाहर वाले काफी संख्या में नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं वे उस मीटिंग में शामिल हो जाते हैं जिससे कोर्ट में उनका बहुमत हो जाता है। कोर्ट की बात को भवन ने भी अस्वीकार कर दिया। है। उन्होंने यह भी कहा कि जब टीचर्स के लिये एक्सपर्ट कमेटी बनायी जाती है तो वाइस चांसलर के लिये भी एक्सपर्ट कमेटी बनायी जाय। श्रीमन्, दोनों की दो एनालाजी हैं जो एक दूसरे पर लागू नहीं होती है। टीचर्स जो किसी खास डिपार्टमेंट के हैं, केमिस्ट्री के हैं या मैथमेटिक्स के हैं या किसी सब्जेक्ट के हैं तो जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उनके नालेज से हम यह फायदा उठा सकते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस खास सबजेक्ट में उनकी आंखों से एक्सपर्ट हैं और क्वालिफाइड हैं। लेकिन जहां तक वाइस चांसलर का सवाल है उनके लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं फिक्स्ड है। जब कोई क्वालिफिकेशन फिक्स्ड नहीं है तो मैं नहीं जानता कि वहां एक्सपर्ट कमेटी की क्या आवश्यकता पड़ जायगी। दूसरी एक आपत्ति यह भी की गयी और शुरू शुरू में इस बात का बहुत शोर हुआ कि यूनिवर्सिटी के आटोनामी पर हमला किया जा रहा है, उसे कोई अख्तियार नहीं दिया गया है, बल्कि उसके ज्यादा से ज्यादा अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन जो इस बिल के अन्दर एक्जीक्यूटिव कौंसिल को पावर दिये गये हैं मैं समझता हूं कि उसके ऊपर आपत्ति उठायी जाती है और मैं समझता हूं कि जो इस तरह से कमेटी बनेगी वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास बहुत से नाम भेजेगी तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक्जीक्यूटिव कमेटी सबके कंफिडेंस का कोई नाम चुन सकती है। कोशिश तो इस बात की है कि एक ही नाम भेजा जाय। बहुत सी बातें कमीशन की रिपोर्ट में भी कही गयी हैं। यूनिवर्सिटी कमेटी जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव जी थे पेज ९० पर उसने तो कहा है कि

"The Vice-Chancellor should be appointed by the chancellor after considering the recommendation of the executive council."

यानी एक्जीक्यूटिव कमेटी के रिकमेंडेशन पर कंसिडरेशन करने के बाद ही चांसलर वाइस चांसलर का एप्वाइंटमेंट करेगा। वैसे चांसलर को अधिकार है कि बाहर के किसी आदमी को भी वाइस-चांसलर के लिये चुन लें। उनके लिये इस बात की कोई पाबन्दी नहीं है कि वे उन्हीं नामों में से वाइस चांसलर का नाम छाँटें या चुनें। उनको यह भी अधिकार है कि वह बाहर से चुन लें, लेकिन इस विधेयक में चांसलर को पाबन्द किया गया है कि अगर एक ही नाम जाय तब तो वह उसको चुनेंगे और अगर तीन जायं तो उनको अधिकार होगा कि वह उन तीन नामों में से किसी एक को चुन लें। मूथम कमेटी की बात तिवारी जी ने पेश की और देहली यूनिवर्सिटी की बात कही। मूथम साहब ने जहां ऐकेडेमिक कौंसिल की बात कही वहां उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरा मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी टीचर्स को भी इस बात का अधिकार हो कि वह वाइस चांसलर के चुनने में भाग लें हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि यह उचित न होगा कि चांसलर इन लोगों को छांटे जिनके ऊपर अंत में कंट्रोल करना होगा। अगर इस को मान लें तो यह तो समझ में आता है कि अगर टीचर उस के मेम्बर हों तब तो चुनाव हो यह ठीक है लेकिन

जैसा कि संशोधन में है कि इस प्रिंसिपल को अगर हम मान लें तो एकेडेमिक कौंसिल के रिप्रेजेन्टेशन की बात से टीचर्स में भी पार्टीबाजी उत्पन्न करेंगे और उससे कनवेसिंग बढ़ेगी। आपत्ति यह है कि जिस आधार को लेकर हम चले कि जहां तक हो चुनाव के तरीके को कम किया जाय, वह इस संशोधन से कम न होकर और बढ़ता है। ऐसी अवस्था में इस में जो प्राविजन है कि एक्जिक्यूटिव चुने और जैसा कि राधाकृष्णन जी भी चाहते थे कि जहां तक हो एक नाम भेजा जाय, उन्होंने जोर दिया है कि एक ही नाम भेजा जाय और अगर एक बार किसी फैसले पर न पहुंचा जाय तो दोबारा एक चांस दिया जाय और उसके बाद फिर एक चांस दिया जाय। इस तरह से ३ चांस दिये गये हैं कि किसी तरह से सहमत हो जाय तो अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

*श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। तिवारी जी ने यह रखा है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल ३ आदमियों को चुने, २ एक्जिक्यूटिव कौंसिल चुने और एक एकेडेमिक कौंसिल चुने। तीन आदमी चुनने के बाद उनकी जो कमेटी होगी वह ३ नाम फिर चुनेंगे और फिर वह उनको चांसलर के पास भेजेगी। मैं उन से पूछूंगा कि कितनी बार वह बार बार मिलेंगे और मीटिंग करेंगे और इस तरह से कितना पैसा खर्च होगा, जो अपने को अर्थ शास्त्र का बड़ा पंडित कहते हैं वह देखें कि कितना रुपया इस में खर्च होगा कि बार-बार उन की मीटिंग्स होंगी। गवर्नमेंट ने जो बिल पेश किया है उसमें पूरी ताकत है एक्जिक्यूटिव कौंसिल को और वह अगर चाहे तो एक नाम चुनकर भेज दे जैसा कि राधाकृष्णन कमेटी ने भी सिफारिश की है कि एक आदमी का नाम एक्जिक्यूटिव कौंसिल भेजे। हमारा जो यह मौजदा बिल है इसमें साफ दिया हुआ है कि अगर एक्जिक्यूटिव एक आदमी का नाम न भेज पाये तो वह तीन नाम भेजे और उसके बाद चांसलर विचार करे और अगर फिर भी वह ठीक से सहमत न हों तो १०, १५ दिन का उनको और मौका दिया जाय कि वह फिर विचार करें लेकिन वह बेन नहीं करता लेकिन उनका जो संशोधन है वह बेन कर देता है। अगर सहमत नहीं होते हैं तो एक्जिक्यूटिव कौंसिल चांसलर के पास ३ नाम भेज देगी जैसे मिसाल के तौर पर एक नाम रणंजय सिंह का, एक मदन मोहन उपाध्याय का और एक श्री राजनारायण का अगर भेजा जाय .....

श्री अध्यक्ष—आप यहां के माननीय सदस्यों का नाम क्यों ले रहे हैं।

श्री शिवनारायण—इधर को लोगों के चूंकि कल नाम लिये गये थे इसलिये मैंने सोचा कि मैं भी उधर के लोगों को नामिनेट कर दूं। इसलिये अगर इस तरह से नाम भेजे जायेंगे तो उन में से १ को चांसलर छांट लेगा। तो तिवारी जी कहते हैं कि इस तरह से हो और गवर्नमेंट कहती है कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल को फुल पावर रहे कि वह एक आदमी को भेज दे जिससे वहां पार्टी पालिटिक्स खत्म होती है। यह मंशा हमारी गवर्नमेंट का है। इस मौजूदा बिल से जो झगड़े हैं खत्म हो जाते हैं लेकिन तिवारी जी वाले में झगड़ा फंसा है। इनमें जो मोटा होगा जो दरबारदारी करेगा, जो जीहुजूरी करेगा वह हो जायगा लेकिन हमारे गवर्नमेंट वाले प्रपोजल में जीहुजूरी की कहीं गुन्जाइश नहीं है।

इसके बाद माननीय तिवारी जी वाइस-चांसलर को होलटाइम आफिसर बना देना चाहते हैं और चाहते हैं कि पांच साल तक वह वहां यूनिवर्सिटी के हाते में बना रहे और यह मजाल उसकी न हो कि वहां से टसमस हो और यूनिवर्सिटी में निगरानी करे कि साइन्स का प्रोफेसर क्या करता है, आर्ट्स वाला प्रोफेसर पढ़ा रहा है या नहीं। तो यह तरीका तो ठीक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य का मैं ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि विधेयक के खंड में भी होलटाइम आफिसर लिखा हुआ है।

श्री शिवनारायण—खैर, उसमें यह है तो कोई बात नहीं है लेकिन यह जो झगड़ा तिवारी जी इसमें फंसाना चाहते हैं वह नहीं है। मैं उनके संशोधन में बहुत ही फंसाने वाली चीज देखता हूं। मैं इन शब्दों के साथ तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि अपने एमेंडमेंट को वे कृपया वापस कर लें और फिर समय को देखते हुये मदन मोहन जी का भी ख्याल रखें, क्योंकि कहीं राजनारायण जी न हो जायं और वे रह जायं। रणंजय सिंह जी तो यहां हैं नहीं, नहीं तो वह भी खुश होते कि मैंने उनका भी नाम नामिनेट करा दिया। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि नारायणदत्त जी को अपना अमेंडमेंट वापस कर लेना चाहिये।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रणाली नारायणदत्त जी ने अपने उपकुलपति के चुनाव के लिये उपस्थित की है मैं उसका आशय ठीक प्रकार से नहीं समझ सका। जहां तक मैं समझा वह यह है कि इस प्रणाली के अनुसार उपकुलपति के चुनाव के लिये एक सेलेक्शन कमेटी बनायी जायगी, जिसके लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल दो सदस्यों को चुने, और एक सदस्य एकेडेमिक काउन्सिल चुनेगी और यह सेलेक्शन कमेटी कम से कम तीन आदमियों का नाम चुनकर एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास भेजेगी और तब एक्जीक्यूटिव कौंसिल चांसलर के पास इन नामों पर अपनी सिफारिश भेजेगी और चांसलर को इस बात का अधिकार होगा कि वह इनमें किसी एक आदमी को मनोनीत कर दे। इस प्रणाली में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि कोई ऐसा अवसर न तो एक्जीक्यूटिव कौंसिल को मिलता और न सेलेक्शन कमेटी को कि यदि एक नाम जिस पर सेलेक्शन कमेटी अथवा एक्जीक्यूटिव कौंसिल एकमत हो वह मनोनीत किया जा सके हर हालत में सेलेक्शन कमेटी और ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल को एक से अधिक नाम चुनने होंगे ही। तो मैं समझता हूं कि यह प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण है। इसके विपरीत जो प्रणाली विधेयक में दी हुयी है उस प्रणाली में बहुत से गुण हैं। उसमें कम से कम एक्जीक्यूटिव काउन्सिल को तीन अवसर मिलते हैं कि उन तीन अवसरों में जब कभी ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल एकमत हो सके उस समय एक किसी महानुभाव का नाम चुन दे और उसका ही नाम चांसलर महोदय मनोनीत कर दें और जब किसी तरह से भी एक्जिक्यूटिव काउन्सिल एकमत न हो सके उसी हालत में चांसलर को इस बात का अधिकार रहता है कि तीन आदमियों में से जिसका नाम एक्जिक्यूटिव काउन्सिल भेजती है, एक को चुन दें। श्री नारायणदत्त तिवारी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जब कि हम यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के चुनाव के लिये सेलेक्शन कमेटी बनाते हैं, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं तो क्या वजह है कि वाइस-चांसलर के चुनाव के लिये हम सेलेक्शन कमेटी को न बनायें? यदि उनकी यह दलील मान भी ली जाय तो वह कमेटी जो कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल है वही कमेटी पूरी सेलेक्शन कमेटी का काम करती है। एक्जिक्यूटिव काउन्सिल में यूनिवर्सिटी की विभिन्न फैकल्टीज के डीन्स होते हैं अन्य कई विश्वविद्यालय के अध्यापक होते हैं उसमें बाहर के सदस्य होते हैं जिनको कि कोर्ट चुनती है, उसमें वह सदस्य भी होते हैं जिनको कि चांसलर अपने विवेक से मनोनीत करता है। इस तरह एक्जीक्यूटिव काउन्सिल का निर्माण होता है। ऐसी एक्जिक्यूटिव काउन्सिल जब इस बात की कोशिश करती है कि यदि हो सके तो एक और अगर नहीं हो सके तो तीन ऐसे महानुभावों के नाम दे, जो कि यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर होने की योग्यता और क्षमता रखते हैं, तो उस कमेटी को यदि ऐक्सपर्ट कमेटी नहीं कह सकते। तो वह कमेटी जिसके कि सदस्य एक्जीक्यूटिव काउन्सिल अथवा ऐकेडेमिक काउन्सिल चुनेगी वही किस तरह से एक्सपर्ट कमेटी हो जायगी। दूसरा बड़ा भारी दोष जो इस प्रणाली में है वह यह है कि हर हालत में जब एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के दो आदमी इस कमेटी में होंगे तो एक्जिक्यूटिव काउन्सिल में जिनकी मैजारिटी होगी उन्हीं के बताये हुये तीन नाम यही कमेटी चुनेगी और जब एक्जिक्यूटिव काउन्सिल के पास नाम भेजे जायंगे तो वहां भी जिनकी मैजारिटी होगी उन्हीं नामों की सिफारिश चांसलर के

पास भेज दी जायगी और चांसलर उनमें से ही किसी न किसी एक को चुन देंगे। तो जो दोष इस समय बताया जाता है जिस गुटबन्दी को दूर करने का प्रयत्न इस बिल के द्वारा किया जा रहा है वह अभिप्राय इस संशोधन से पूरा नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रणाली इस बिल में दी गयी है वही प्रणाली ठीक प्रणाली है और उसी को अपनाना चाहिये और जो तिवारी जी की मंशा है वह भी जो उनका संशोधन है, उसके द्वारा हल नहीं होती। इसलिये मैं समझता हूं कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य को इसके समझने में कुछ कठिनाई हुयी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह चाहते हैं कि एक ऐसी कमेटी बने जिनमें ऐक्जिक्यूटिव कमेटी के दो आदमी हों और एकेडेमिक काउन्सिल का एक सदस्य हो। मान्यवर, जहां पर एलेक्शन का प्रश्न उठता है उस जगह डेमोक्रेसी में दलबंदियां किसी तरह से रूट आउट नहीं की जा सकती हैं। यह मैंने माना कि सिस्टम आफ प्रोपोर्शनल रिप्रेन्टेशन यदि अपनाया गया तो, उससे आप माइनारिटी को एक स्थान देते हैं, एक अवसर देते हैं। श्रीमन्, एकेडेमिक काउन्सिल में यह छुआछूत कहां तक पहुंचा है, यह बाद में देखा जा सकता है। अब श्रीमन्, यह चाहते क्या हैं अब इसके बाद इस सेलेक्शन कमेटी में जब तीन नाम भेजे यह दो सदस्य जो होंगे वह ऐक्जिक्यूटिव काउन्सिल के ही नुमाइन्दे हुए और एक सदस्य जो है वह एकेडेमिक काउन्सिल का हुआ, यह इसका सीधासादा कम्पोजीशन है। अब यह माननीय सदस्य चाहते हैं —

"The Executive Council, on receipt of the selection under sub-section (2) shall make its recommendation on the persons so selected to the Chancellor."

क्या माने इसके हुए ? यही तो जैसे कि थाने पर एक रजिस्टर रखा जाता है उस तरह से उन मेम्बरों की वह रिकमेंडेशन करेंगे। यदि वह यह कहते कि "शैल रिकमेंड दि नेम सो सेलेक्टेड टु दि चांसलर" तो उसमें कुछ सेंस भी था, वह एक चीज हो सकती थी। लेकिन वह तो कहते हैं "शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन आन दि परशंस सो सेलेक्टेड टु दी चांसलर" इसके क्या माने हुये ? श्रीमन्, मैं तो इस समय नारायणदत्त जी को यह बताना चाहूंगा कि जो कि डिसेंटिंग नोट उन्होंने दिया था, उन्हीं की चीज है वह, अगर वह उसे भूले नहीं हैं तो मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह इस चीज पर पूर्णरूपेण लागू है :

"We are confident that the Legislature would unanimously discord this complicated, pedantory and contradictory measure."

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी जगह पर "मेजर" की जगह पर "दिस अमेंडमेंट" कहा जा सकता है।

इसका नतीजा क्या होता है, वह चाहते यह हैं कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल में यह मसला कई दिनों तक, कई मीटिंग्स तक चलता रहे और वहां दलबन्दी गुटबन्दी तो है ही, उसमें किसी तरह से न्यूनता तो आती नहीं, तो वहां यह झगड़े में पड़ा रहे। फिर यह उसी की एक रिप्रिजेंटेटिव बाडी है। उसी का एक अंश है जो कि यह सेलेक्शन कमेटी बनती है उनके हिसाब से। इसमें कुछ सार हो सकता था। अगर वह यह कहते कि सेलेक्शन कमेटी से नाम चांसलर महोदय के पास भेजे जायं। उस समय मैं समझता कि वह चाहते क्या हैं। और श्रीमन्, वास्तविकता तो यह है कि और मुझे आश्चर्य है कि कितना हास्योत्पादक यह संशोधन है। वह कौन सी नीति है, यह मैं समझ न पाया। अगर मैं उस दल की नीति समझूं जिस दल के वह हैं और उनकी नीति पर विचार करूं तो आश्चर्य नहीं होता है कि जो उन्होंने इसी भवन में यह स्वीकार किया कि यदि यह अधिकार कोर्ट को प्राप्त होते तो वह प्रसन्न होते पर जो संशोधन था इस पर उसका समर्थन नहीं हुआ। फिर एक संशोधन इस रूप में लाया जाता है और जो कि डिसेंटिंग नोट में कहा जाता है कि कम्प्लीकेटेड पेडेंटी ऐंड कांट्रेडिक्टी वह मेथड है तो उसी तरह का एमेंडमेंट वह लाते हैं। यह कौन से सिद्धांत पर है। इसका क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

माने होता है ? एक्जिक्यूटिव कौंसिल के कुछ नुमाइन्दों को तो सारा अधिकारी ये बना देते हैं और एग्जीक्यूटिव जो कि मेन बाडी है और जिसके कि दो माननीय सदस्य हैं कमेटी में, उसका काम क्या है कि वह दरोगा जी की तरह अपनी सिफारिश लिखा करे। अगर यह एमेंडमेंट लाया जाता है तो जो विधेयक में है, उसको तो मैं लेसर इविल समझता हूं, मैं उसको स्वीकार करूंगा बजाय इसके स्वीकार करने के क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को उसमें यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह चाहे तो एक नाम भेज सकती है और एक बार नहीं, दो बार, तीन बार उसको यह अधिकार दिया जा रहा है और वह मैंडेटरी है, ऐसी परिस्थिति में चांसलर महोदय को उस व्यक्ति को अवश्य मनोनीत करना पड़ेगा। तो जहां तक संशोधन लाने का प्रश्न है संशोधन लाने का उद्देश्य यदि किसी विधेयक को उन्नतिशील करना है तब तो ऐसे संशोधन के लाने का महत्व होता है। मगर वह संशोधन जो कि उसके विरोधाभास में हों, विधेयक के ही नहीं बल्कि साथ ही साथ उनके भी सिद्धांतों के, तो ऐसे संशोधन के लाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। माननीय नारायणदत्त जी जो कि उस विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, सामान्य विवाद के समय जिन्होंने कि पुस्तकों की भरमार लगा दी मूथम कमेटी और राधाकृष्णन कमीशन पर जो रिपोर्ट पढ़ी गयी है, मैं उनके प्रति श्रद्धा के साथ यह कहना चाहता हूं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन अब हम ऊब गये हैं, थक गये हैं उनका नाम सुनते सुनते और उनके रिपीटीशन से। मान्यवर होता क्या है---कहते ये कुछ हैं और मतलब इनका कुछ और होता है। मैं उनकी पार्टी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप पड़ोस वालों के जरासी बात कहने से उनका जवाब न दें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, माननीय शिवनारायण जी का मतलब इस संशोधन के विरोध या समर्थन से नहीं था। वह तो कुछ ऐसे घुड़सवारों में थे जिनका नाम आज अखबारों में आचुका है और कुछ लोग पीछे थे, लिहाजा अखबारों में लाने के लिये उनका मतलब पूरा हो चुका था। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर व्यक्तिगत आक्षेप किये जावेंगे तो दूसरी ओर से भी होंगे और माननीय मंत्री जी अवश्य उन्हें रोकना चाहते हैं परन्तु मैं उनसे कहूंगा कि अपनी ओर के सदस्यों को भी रोकें। मैं भी चाहता हूं कि सदन की बहस का स्तर ऊंचा रहे और वह भी अवश्य चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज यहां वाद-विवाद हो रहा है वह यूनिवर्सिटी की जिन्दगी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाइस-चांसलर का चुनाव कैसे हो, इस पर इस सदन में बड़े सोच-विचार कर विचार करना चाहिये। और मैं समझता हूं कि इस बारे में इस बात की ही कोशिश होनी चाहिये कि किस तरह से सबसे अच्छा वाइस-चांसलर हमको किसी यूनिवर्सिटी के लिये मिल सकता है। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से मिल सकता है तो वैसे रखा जाय और अगर आटोक्रेटिक तरीके से भी अगर जरूरत पड़ती हो तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष---हम दो रोज और इस पर विचार कर लें। अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सोमवार, १८ अक्तूबर, १९५४---११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१५ अक्तूबर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

जिला हमीरपुर में १९५२ और १९५३ में होने वाले अपराधों की सूची

अपराध	सन् १९५२		सन् १९५३	
	रिपोर्ट की गयी	सजा मिली	रिपोर्ट की गयी	सजा मिली
१—डकैती	१३	४	९	१
२—कत्ल	२७	८	२३	५
३—चोरी	१२७	५	१३७	२८

प्रवर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१९७ एल० ए०—१९५४—८५०।